VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

आर्थिक समीक्षा 2019-2020

DELHI LUCKNOW JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD CHANDIGARH

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /Vision_IAS vision_ias www.visionias.in /VisionIAS_UPSC

विषय सूची

खण्ड : 1 .... *2*

अध्याय 1: अर्थ संपदा सृजन: विश्वास भरे अदृश्य हाथों की भूमिका 2

अध्याय 2: जमीनी स्तर पर उद्यमिता एवं धन सृजन 5

अध्याय 3 : व्यापार समर्थक बनाम पक्षवाद 8

अध्याय 4: बाजार की अनदेखी: जब अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप से लाभ की बजाय नुकसान होता है 12

अध्याय 5: नेटवर्क उत्पादों के क्षेत्र में निर्यात-विशेषज्ञता द्वारा रोजगार-सृजन और विकास 18

अध्याय 6: भारत में व्यवसाय को सुगम बनाने का लक्ष्य 22

अध्याय 7: बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्ण जयंती: एक समीक्षा 26

अध्याय 8: NBFC सेक्टर में वित्तीय भंगुरता 29

अध्याय 9: निजीकरण और धन सृजन 32

अध्याय 10: क्या भारत की GDP संवृद्धि को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया जाता है? नहीं! 35

अध्याय 11: थालीनॉमिक्स: भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र 36

खण्ड : 2 .... *37*

अध्याय 1: अर्थव्यवस्था की स्थिति 37

अध्याय 2: राजकोषीय घटनाक्रम 41

अध्याय 3: वैदेशिक क्षेत्र 46

अध्याय 4: मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता 53

अध्याय 5: कीमतें और मुद्रास्फीति 58

अध्याय 6: संधारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन 62

अध्याय 7: कृषि एवं खाद्य प्रबंधन 69

अध्याय 8: उद्योग और अवसंरचना 75

अध्याय 9: सेवा क्षेत्र 81

अध्याय 10: सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास 85

VISION IAS

खण्ड : 1

अध्याय 1: अर्थ संपदा सृजन: विश्वास भरे अदृश्य हाथों की भूमिका

(Wealth Creation: The Invisible Hand Supported By The Hand of Trust)

विषय (Theme)

यह अध्याय अर्थशास्त्र जैसे प्राचीन साहित्य के विचारों से प्रेरित है, जो भारत की संवृद्धि और आर्थिक विकास के लिए **नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन** (ethical wealth creation) के महत्व का समर्थन करता है। इस अध्याय में, नीतिपरक अर्थ संपदा के सृजन में बाजार द्वारा निभाई गई भूमिका तथा सरकार किस प्रकार उन बाजारों की उन्नति के लिए विश्वास का माहौल सृजित कर सकती है, पर प्रकाश डाला गया है।

अर्थ संपदा सृजन का महत्व (Importance of Wealth Creation)

- इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा में यह उल्लेख है कि हमारी सदियों पुरानी परंपराओं ने हमेशा अर्थ-संपदा के सृजन को प्रोत्साहित किया है। इस कारण विदित आर्थिक इतिहास की तीन-चौथाई से अधिक अवधि तक भारत वैश्विक स्तर पर प्रमुख आर्थिक शक्ति रहा है।
- इस प्राचीनतम विचारधारा का समकालीन प्रमाण वर्ष 1991 में उदारीकरण के पश्चात् भारत की GDP और प्रति व्यक्ति GDP में हुई प्रचंड वृद्धि से परिलक्षित होता है और यह शेयर बाजार में धनार्जन के अनुरूप है।
- देश के शीर्ष 100 धनी उद्यमियों (फोर्ब्स द्वारा प्राक्कलित) के डेटा के विश्लेषण के आधार पर इस समीक्षा में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार एक नैतिक कंपनी द्वारा अर्जित धन-संपदा उस कंपनी के कर्मचारियों, सरकार, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं और देश के आम नागरिकों को प्राप्त होने वाले लाभों से दृढ़ता से अंतर्संबंधित होती है।

Figure 2a: India's GDP (current US$ tn) (1960-2018)

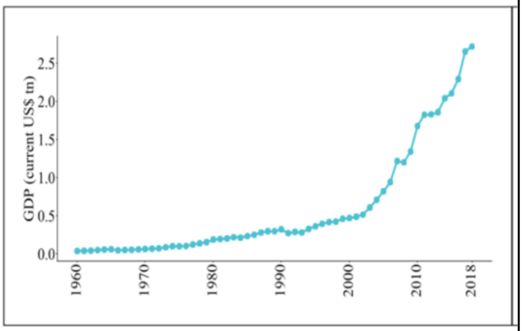

खुली अर्थव्यवस्था के माध्यम से अर्थ संपदा सृजन (Wealth Creation through the invisible hand of markets)

- बाजार अर्थव्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि संसाधनों का इष्टतम आबंटन तब होता है जब नागरिक उन उत्पादों या सेवाओं का स्वतंत्र रूप से चयन करने में सक्षम होते हैं, जो वे चाहते हैं।
- समीक्षा में यह उल्लेख है कि बाजार के अदृश्य हाथ को सक्षम करने (अर्थात् आर्थिक खुलापन में वृद्धि) से होने वाले लाभों के बारे में अभी भी संशय मौजूद है।
- इस तर्क का समर्थन करने के लिए, आर्थिक समीक्षा में विभिन्न क्षेत्रकों, जैसे- बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, पत्तन आदि का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है और उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1991 के पश्चात् जिन सेक्टरों को उदारीकृत किया गया था, उनका विकास उदारीकरण से वंचित रहे सेक्टरों की तुलना में अधिक तेजी से हुआ है।

इस सहस्राब्दी के शुरुआती वर्षों में विश्वास का टूटना (The breakdown of trust in the early years of this millennium)

- एक बाजार अर्थव्यवस्था में भी राज्य को अदृश्य हाथ की सहायता करने हेतु नैतिक हाथ सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाजार हर कीमत पर लाभों के अनुसरण में नैतिकता से विचलित हो सकते हैं।
- वैश्विक वित्तीय संकट के संदर्भ में, वर्ष 2011-13 की घटनाओं और उसके उत्तरवर्ती परिणामों ने अर्थव्यवस्था में विश्वास न्यूनता (trust deficit) की स्थिति उत्पन्न की है, जिसने वर्ष 2011 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को निम्नतम बिंदु के निकट पहुंचा दिया था।
- आर्थिक समीक्षा में "विश्वास को एक सार्वजनिक वस्तु" के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, जिसके प्रयोग में वृद्धि होने से यह और परिष्कृत हो जाता है। यदि विश्वास ज्यादा हो तो अवसरवाद की बढ़ी हुई संभावना के बावजूद आर्थिक गतिविधियाँ फलफूल सकती हैं।

आर्थिक समीक्षा का सारांश

- इस सार्वजनिक वस्तु में वृद्धि के लिए, आर्थिक समीक्षा में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं:
  - प्रवर्तन प्रणाली को मानकीकृत कर और सार्वजनिक डेटाबेस के माध्यम से सूचना असममिति को कम करना तथा पारदर्शिता में वृद्धि करना।
  - विभिन्न नियामकों {यथा- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India: IBBI)} के मानव संसाधन में मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि के माध्यम से पर्यवेक्षण की गुणवत्ता को बढ़ावा देना। साथ ही, प्रौद्योगिकी और सांख्यिकी विश्लेषण में महत्वपूर्ण निवेश किए जाने की आवश्यकता है।

Corruption Perceptions Index for India (low score = higher perceived corruption)

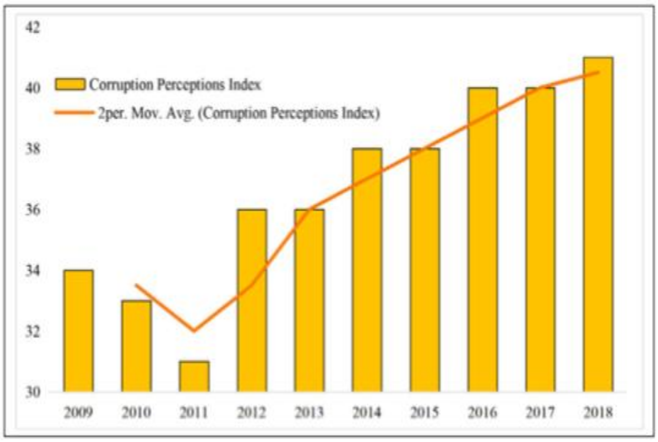

अर्थ संपदा सृजन के लिए उपकरण (The Instruments for Wealth Creation)

- आर्थिक समीक्षा के विभिन्न अध्यायों में विस्तारपूर्वक भारत में नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन के तरीकों और साधनों का सुझाव दिया गया है। ये (अध्याय) निम्नलिखित हैं:
  - **उद्यमियों के लिए समान अवसर:** इस अध्याय में यह विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार उद्यमिता में नए प्रवेशकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने से संसाधन आबंटन एवं उसकी उपयोगिता में वृद्धि होती है, रोजगार वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, अधिक उत्पाद विविधता के माध्यम से व्यापार वृद्धि एवं उपभोक्ता अधिशेष को प्रोत्साहन मिलता है और आर्थिक गतिविधियों की संपूर्ण सीमा में वृद्धि होती है।
  - **प्रो-बिजनेस बनाम प्रो-क्रोनी (व्यापार समर्थक बनाम पक्षवाद):** यह अध्याय इस बात पर साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वेल्थ क्रिएशन के लिए स्थापित निवेशकों की तुलना में नए प्रवेशकों के लिए अवसरों के संबंध में कैसे दक्ष रही है।
  - **सरकारी हस्तक्षेप:** आर्थिक समीक्षा के अध्याय चार में यह उल्लेख किया गया है कि सरकार की कमान और नियंत्रण का दृष्टिकोण, बाजारों के दक्ष प्रचालन में मदद करने की अपेक्षा इसे आघात पहुँचाता है।
  - **निर्यात-विशेषज्ञता:** आर्थिक समीक्षा के अध्याय पांच में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार "मेक इन इंडिया" में "असेंबल इन इंडिया" का एकीकरण करने से श्रम गहन उद्योगों में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात में भी वृद्धि होगी।
  - **इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (EODB):** आर्थिक समीक्षा के अध्याय छह में दर्शाया गया है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान हुए सुधारों ने भारत की EODB रैंकिंग में कैसे सुधार किया है।
  - **बैंकिंग क्षेत्र:** अध्याय सात में दर्शाया गया है कि देश का बैंकिंग क्षेत्रक भारत की अर्थव्यवस्था के आकार के सापेक्ष बहुत ही कम विकसित है तथा इसमें कुछ ऐसे उपाय सुझाए गए है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) को अधिक दक्ष बना सकते हैं।
  - **NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) सेक्टर में वित्तीय भंगुरता:** यह अध्याय शैडो बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम से निपटने हेतु एक तंत्र का सृजन करता है तथा इस प्रकार NBFC क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिम की निगरानी करता है।

- **निजीकरण:** जब सरकार के बजाए निजी क्षेत्र ने व्यवसाय को संचालित किया तो उस स्थिति में प्राप्त हुई उल्लेखनीय दक्षता लाभों को प्रदर्शित करने हेतु, इस अध्याय में उदारीकरण के पश्चात् केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के प्रदर्शन में आए परिवर्तनों को दिखाया गया है।
- **GDP (सकल घरेलू उत्पाद) संख्याओं की भूमिका:** इस अध्याय में आर्थिक समीक्षा इस बात का सावधानीपूर्वक प्रमाण देती है कि भारत की GDP संवृद्धि के अनुमानों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भारत की GDP संवृद्धि दर के गलत अनुमान का कोई साक्ष्य नहीं है।
- **थालीनॉमिक्स:** यह अध्याय अर्थशास्त्र को आम आदमी से जोड़ता है, जिसका प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति सामना करता है, जैसे- भोजन की एक थाली।

निष्कर्ष

किसी भी प्रकार की क्षति के बिना अर्जित की गई संपत्ति शुचिता एवं आनंद प्रदान करती है। जब अर्थ संपदा का सृजन होगा तभी हम उसके वितरण में सक्षम होंगे। पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की भारत की महत्वकांक्षा बाजार के अदृश्य हाथों को मजबूत बनाने एवं विश्वसनीय हाथों से इसकी सहायता करने पर निर्भर करती है।

विश्वास की परिभाषा (आर्थिक समीक्षा के अनुसार)

- **विश्वास:** आर्थिक समीक्षा में "विश्वास को एक सार्वजनिक वस्तु" के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, जिसके प्रयोग में वृद्धि होने से यह और परिष्कृत हो जाता है। निम्नलिखित विशेषताओं के साथ "विश्वास" को एक सार्वजनिक वस्तु के तौर चित्रित किया जा सकता है:
  - **गैर-बहिष्करण (Non-excludability):** नागरिक बिना किसी प्रत्यक्ष वित्तीय लागत के इसका लाभ उठा सकते हैं।
  - **गैर-प्रतिद्वंद्वी खपत (Non-rival consumption):** किसी अन्य नागरिक को इस सार्वजनिक वस्तु की आपूर्ति करने की सीमांत लागत शून्य होती है।
  - **गैर-अस्वीकार्य (Non-rejectable):** यह स्वीकार्य भी होता है अर्थात् सभी नागरिकों के लिए सामूहिक आपूर्ति का अर्थ यह है कि इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- **विश्वास बहालकर्ता के तौर पर आर्थिक नीतियों के लिए ऐतिहासिक संदर्भ:**
  - **मैकियावेली का दृष्टिकोण:** यह दृष्टिकोण लोगों को "धूर्त" (स्वाभावतः बेईमान) के रूप में देखता है तथा उनको दंडनीति के माध्यम से विनियमित करने की वकालत करता है।
  - **अरस्तू का दृष्टिकोण:** अरस्तू का मानना है कि प्रवृत्तियों और सामाजिक सद्गुण को विकसित कर अच्छे कानून अच्छे नागरिक तैयार करते हैं। इस प्रकार यह दृष्टिकोण लोगों को आदेश और दंडनीति के बजाए "रीति-रिवाजों" से विनियमित करने की वकालत करता है।
  - **कौटिल्य का दृष्टिकोण:** अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने आन्वीक्षिकी (दार्शनिक एवं नीतिपरक रूपरेखा) के विचार पर प्रकाश डाला है। यह "अदृश्य हाथ" का न केवल समर्थन करता है बल्कि "पारस्परिक सदभावना" (अर्थात् विश्वास) के महत्व का भी समर्थन करता है।
  - इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में "विश्वास" की संकल्पना कोई नवीन तथ्य नहीं है, बल्कि इसके ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं।

VISION IAS

अध्याय 2: जमीनी स्तर पर उद्यमिता एवं धन सृजन

(Entrepreneurship And Wealth Creation At The Grassroots)

विषय (Theme)

यह अध्याय, धन सृजन एवं रोजगार वृद्धि हेतु औपचारिक उद्यमशीलता गतिविधियों के योगदान, इस तरह की उद्यमशीलता गतिविधियों के संचालकों और प्रशासनिक संरचना के तल पर (भारत के 500 जिलों में) उनके वितरण का परीक्षण करता है। इन शिक्षाओं का उपयोग करते हुए, यह अध्याय उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और देश में रोजगार एवं धन सृजन के लिए नीतिगत बदलाव का सुझाव प्रदान करता है।

प्रवृत्तियां (Trends)

- ब्राजील और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से अग्रणी रहते हुए **भारत के पास विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उद्यमशीलता पारितंत्र** (entrepreneurship ecosystem) है।
- वर्ष 2014 के पश्चात् से भारत में **नई फर्म का गठन** प्रभावशाली रूप से बढ़ा है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2014 में गठित लगभग 70,000 नई फर्मों की तुलना में, वर्ष 2018 में नई फर्मों की संख्या लगभग 80 प्रतिशत बढ़कर 1,24,000 हो गई। यह वृद्धि भारत की नई आर्थिक संरचना को दर्शाती है (विशेष रूप से सेवा क्षेत्र के लिए)।

Figure 2a: Growth in new firms over time in India

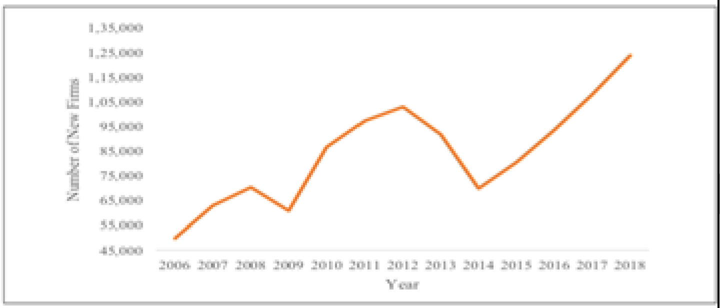

- औपचारिक अर्थव्यवस्था में **उद्यमी गहनता** (Entrepreneurial intensity) (अर्थात् प्रति 1,000 श्रमिकों पर प्रति वर्ष पंजीकृत नई फर्मों की संख्या) अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में कम है, क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में उद्यम अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रचालनरत हैं।

उद्यमिता एवं GDP (Entrepreneurship and GDP)

- यह समीक्षा दर्शाती है कि **सकल घरेलू जिला उत्पाद (Gross Domestic District Product: GDDP) पर उद्यमशीलता की गतिविधियों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।**
  - **प्रति जिले में नई फर्मों के पंजीकरण में 10 प्रतिशत की वृद्धि से GDDP में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि होती है।**
  - GDDP पर नई फर्म प्रविष्टि का प्रभाव विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अधिकतम है।
  - इस प्रकार, जमीनी स्तर पर औपचारिक क्षेत्र में उद्यमशीलता गतिविधि, आवश्यकता या वैकल्पिक रोजगार के विकल्प की कमी से प्रेरित नहीं है, अपितु ये गतिविधियाँ उत्पादक और विकास-केंद्रित हैं।
- भारत में उद्यमी गतिविधियों के वितरण में एक स्थानिक विषमता विद्यमान है, अर्थात् जिलों में उद्यमशीलता गतिविधियों के विभिन्न स्तर मौजूद हैं।
  - इस समीक्षा में यह इंगित किया गया है कि भारत में कुछ पूर्वी राज्यों को छोड़कर सभी क्षेत्र समय के साथ उद्यमी गतिविधियों में सुदृढ़ वृद्धि प्रदर्शित करते हैं।
  - हालांकि, उद्यमी गतिविधियों के स्तर में भिन्नता के बावजूद, सभी क्षेत्र उद्यमिता और GDDP के मध्य एक सुदृढ़ संबंध प्रदर्शित करते हैं जोकि उद्यमिता के व्यापक लाभों को दर्शाता है।
- इस समीक्षा के अनुसार, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमी गतिविधियों में जिला स्तर पर भी भिन्नता विद्यमान है।

VISION IAS

कृषि क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	अवसंरचना क्षेत्र
मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा और उड़ीसा में कृषि क्षेत्र से संबंधित उद्यमी गतिविधियां उच्चतम हैं।	गुजरात, मेघालय, पुदुचेरी, पंजाब और राजस्थान में विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित उद्यमी गतिविधियां उच्चतम हैं।	दिल्ली, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, केरल, अंडमान और निकोबार तथा हरियाणा में सेवा क्षेत्र से संबंधित उद्यमी गतिविधियां उच्चतम हैं।	झारखण्ड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू-कश्मीर और बिहार में अवसंरचनात्मक क्षेत्र से संबंधित उद्यमी गतिविधियां उच्चतम हैं।

- अन्य क्षेत्रों की तुलना में, जिले में विनिर्माण क्षेत्रों में उद्यमी गतिविधि और बेरोजगारी दर के मध्य एक **उच्च नकारात्मक स्थानिक सहसंबंध** विद्यमान है, जिसका आशय है कि विनिर्माण क्षेत्रों में नई फर्मों के बढ़ने पर बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय कमी होती है।

उद्यमी गतिविधि के निर्धारक तत्व (Determinants of Entrepreneurial activity)

स्थानीय जनसंख्या की विशेषताओं, जिला-स्तरीय परिस्थितियों और सामूहिक अर्थव्यवस्थाओं के अतिरिक्त, इस समीक्षा में जिला स्तर पर उद्यमी गतिविधि में विषमता के दो प्रमुख समुच्चयों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है:

- **भौतिक अवसंरचना:** इसमें बुनियादी भौतिक अवसंरचना, जैसे- सड़क, विद्युत, जल आदि के साथ-साथ बड़े जनसंख्या केंद्रों से भौतिक संपर्क शामिल है। उन्नत भौतिक अवसंरचना उद्यमी गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है तथा स्टार्ट-अप्स को अपने बाजार का विस्तार करने और अपनी गतिविधियों में विस्तार करने की अनुमति प्रदान करती है।
  - हालांकि, इस समीक्षा में यह इंगित किया गया कि एक सीमा के उपरांत भौतिक अवसंरचना में वृद्धि कम लाभकारी होती है, अर्थात् एक बिंदु से परे, स्थानीय बाजारों तक पहुंच में वृद्धि से प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ जाता है और यह उद्यमशीलता को हतोत्साहित कर सकता है।
  - इसी प्रकार, एक सीमा से परे अवसंरचना विकास का वर्धित स्तर क्षमतावान उद्यमियों के लिए अन्य अवसर उत्पन्न कर सकता है।
- **सामाजिक अवसंरचना:** जिले में महाविद्यालयों की संख्या और साक्षर जनसंख्या का अनुपात जिले में शिक्षा अवसंरचना का मापन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जिले में उच्चतर शिक्षा स्तर बेहतर मानव पूंजी के विकास को समर्थ बनाता है जो विचारों और उद्यमियों की आपूर्ति में वृद्धि से संबंधित होती है तथा इसमें सर्वाधिक वृद्धि तब देखी गई जब साक्षरता दर 72 प्रतिशत से अधिक बढ़ी।
  - इस समीक्षा में भौतिक अवसंरचना के मामले में ऐसी कोई सीमा नहीं पाई गई। नए महाविद्यालयों की स्थापना और साक्षरता के स्तर में वृद्धि से नई कंपनियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गयी है।

Figure 9a: Market Access and Entrepreneurship

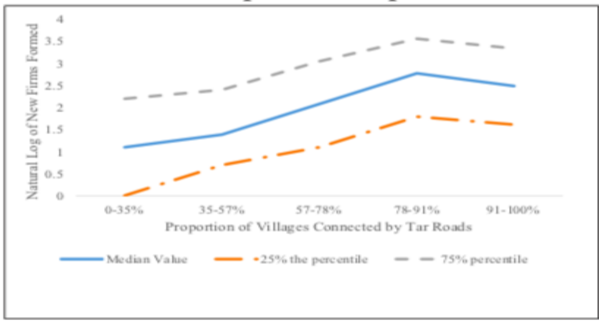

Figure 9b: Distance from large centres and Entrepreneurship

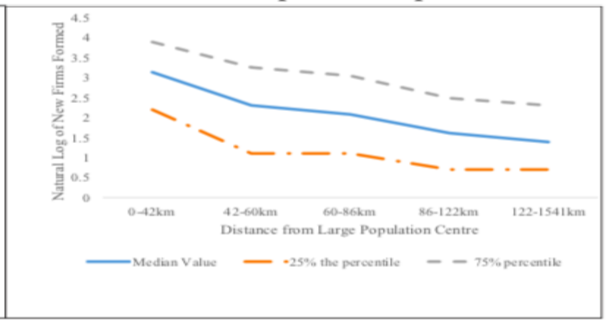

Source: MCA-21, SHRUG and Survey Calculations

Figure 8a: Literacy and entrepreneurship

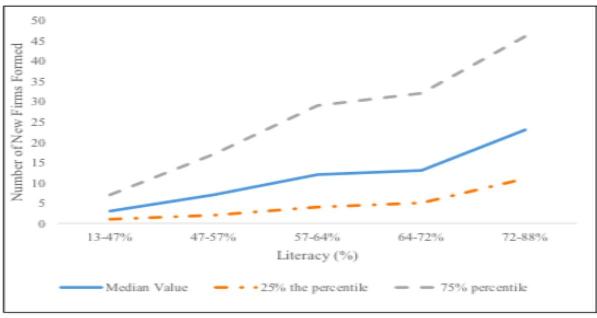

Figure 8b: Number of Colleges and entrepreneurship

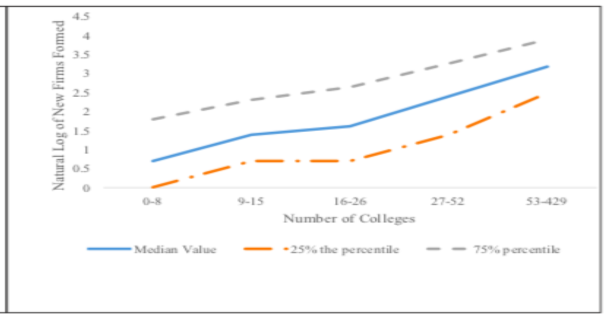

तेज रफ़्तार उद्यमिता एवं धन सृजन हेतु नीति निर्धारण (Policy Measures for Fast-Tracking Entrepreneurship and Wealth Creation)

- विनिर्माण क्षेत्र में उद्यमी गतिविधियों के अपेक्षाकृत उच्च आर्थिक योगदान और इसकी उच्च रोजगार सृजन क्षमता को देखते हुए, राज्यों के लिए अनौपचारिक क्षेत्र के कम उत्पादक क्षेत्रों और निर्वाह गतिविधि से श्रम एवं संसाधनों को अधिक उत्पादक प्रतिष्ठानों की ओर संक्रमण को सक्षम बनाने के लिए नीतिगत प्रेरकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है।
- विद्यालय शिक्षा के निजीकरण के साथ-साथ अधिक विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना के माध्यम से साक्षरता दर में वृद्धि तथा सभी स्तरों पर शिक्षण क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।
- विशेषकर उद्यमी गतिविधियों में वृद्धि हेतु अवसंरचना क्षेत्र में किए गए निवेश का मूल्यांकन इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करके किया जाना चाहिए कि कैसे बेहतर अवसंरचना से अन्य तरह के अवसरों का सृजन होता है जो संभवतः जिले की GDDP के लिए महत्वपूर्ण है।

VISION IAS

अध्याय 3 : व्यापार समर्थक बनाम पक्षवाद

(Pro-Business Vs Pro-Crony)

विषय (Theme)

इस अध्याय के अंतर्गत "व्यापार समर्थक" नीति (pro-business policy), प्रतिस्पर्धी बाजारों और धन सृजन के मध्य संबंधों को उजागर करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह "व्यापार पक्षवाद" नीतियों (pro-crony policies) से संबद्ध कमियों तथा कैसे "व्यापार समर्थक" और "व्यापार पक्षवाद" परस्पर विरोधाभासी हैं, इसकी व्याख्या करने का प्रयास करता है। इस विश्लेषण के आधार पर, इस अध्याय में यह उल्लेख किया गया है कि "व्यापार समर्थक" नीतियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की आकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

परिचय (Introduction)

- इस समीक्षा में वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को व्यापार समर्थक नीतियों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि धन सृजन पर व्यापार समर्थक नीतियों के प्रभाव के एक दृष्टांत के रूप में कार्य करता है।
- इसमें यह तर्क प्रस्तुत किया है कि उदारीकरण ने रचनात्मक विनाश (creative destruction) को सक्षम बनाया है। यहां शेयर बाजार की "मंथन प्रक्रिया" को रचनात्मक विनाश के एक पहचानकर्ता के रूप में माना गया है।
- ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री **जोसेफ शुंपीटर** ने रचनात्मक विनाश शब्द की रचना की और इसे निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है- "यह औद्योगिक उत्परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो आर्थिक संरचना में निरंतर अंदर से ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने को बढ़ावा देती है जिससे पुराना निरंतर उच्छेदित (नष्ट) होता जाए और नया निरंतर सृजित होता जाए"।

बाजार समर्थक, रचनात्मक विनाश एवं धन सृजन (Pro-Business, Creative Destruction and Wealth Creation)

- उदारीकरण ने बाजारों को सशक्त बनाकर रचनात्मक विनाश को सक्षम बनाया है। शेयर बाजार (S&P BSE सेंसेक्स के माध्यम से अभिग्रहीत) में तेजी से हो रही वृद्धि {CAGR (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) द्वारा अनुमानित} इसका उदाहरण है।
- बाजार समर्थक नीति और रचनात्मक विनाश के बीच संबंध को विगत कुछ वर्षों के दौरान सेंसेक्स की संरचना से दर्शाया जाता है। निम्नलिखित डेटा इसके साक्ष्य प्रदान करते हैं:
  - वर्ष 1986-96 से, सूचकांक में शामिल फर्मों में नाममात्र का परिवर्तन हुआ है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिशीलता की कमी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - वर्ष 1996 से (वर्ष 1991 के उपरांत सेंसेक्स में प्रथम संशोधन), इस सूचकांक में प्रत्येक 5 वर्ष में लगभग एक-तिहाई कंपनियां प्रतिस्थापित हो जाती हैं। यह निरंतर आधार पर नई फर्मों के उभरने, नए विचारों, नई प्रौद्योगिकियों और नई संचालन प्रक्रियाओं के तेजी से उभरने का द्योतक है।
  - अनुमान बताते हैं कि यदि उदारीकरण नहीं हुआ होता तो वर्ष 1986 में बाजार में प्रवेश करने वाली एक फर्म अगले 60 वर्षों तक सूचकांक में बनी रह सकती थी, परंतु उदारीकरण के कारण यह समय औसतन 12 वर्ष रह गया है।
- सेंसेक्स की प्रारंभिक मंथन प्रक्रिया ने रचनात्मक विनाश का प्रतिनिधित्व किया है जिससे फर्मों की विविधता में वृद्धि हुई और क्षेत्रकों की सघनता में कमी आई है। इसके साक्ष्य इस प्रकार हैं:
  - वित्तीय क्षेत्र, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध क्षेत्रों का इसमें शामिल होना, जो उस समय सूचकांक में शामिल नहीं थे।
  - निर्माण क्षेत्र का घटता प्रभुत्व, जिसका सामग्री और उपभोक्ता विवेकाधीन क्षेत्रों पर प्रभुत्व था।
- वर्तमान समय में सेंसेक्स न केवल बड़ी संख्या में विविध क्षेत्रों को शामिल करता है, अपितु फर्म के आकार के संदर्भ में भी यह अधिक लोकतांत्रिक है। इसके साक्ष्य इस प्रकार हैं:
  - वर्ष 1991 में, सबसे बड़ी फर्म का आकार सबसे छोटी फर्म का लगभग 100 गुना था जो वर्ष 2018 में घटकर 12 गुना ही रह गया है।
  - सेवा क्षेत्र (जैसे वित्तीय सेवा और IT क्षेत्रक) का बढ़ता भारांश पहले से विद्यमान कंपनियों के आकार में वृद्धि के बजाय कंपनियों की संख्या में वृद्धि के कारण हुआ है।
  - वित्तीय सेवा और IT क्षेत्रक के लिए प्रतिस्पर्धा के स्तर का विश्लेषण करने से दोनों क्षेत्रों के संकेंद्रण में समग्र गिरावट का पता चलता है।

VISION IAS

- रचनात्मक विनाश को प्रोत्साहित करके निम्नलिखित तरीकों से धन सृजन और जन कल्याण को अधिकतम किया जा सकता है:
  - नई फर्मों के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है जिससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम हो जाती हैं।
  - यह बाजार में गतिशीलता को बढ़ावा देता है तथा फर्मों को निरंतर सतर्क बनाए रखता है।
  - संबंधित क्षेत्र समग्र रूप में उस क्षेत्र के भीतर कार्यरत एकल कंपनियों की तुलना में सदैव ही बेहतर निष्पादन करता है।

इसकी केवल एकमात्र पूर्वशर्त यह है - एक प्रतिस्पर्धी व अपरिवर्तित बाजारों को बढ़ावा देने वाली व्यापार समर्थक नीति का अनुसरण करना। इसमें भारत को संवृद्धि के लिए व्यापार-पक्षवाद के बजाए व्यापार समर्थक नीतियों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा निहित है।

पक्षपातवाद और वैभव विनाश (Pro-Crony and Wealth Destruction)

- बाजारवादी नीतियों के विपरीत पक्षपातवादी नीतियों से अर्थव्यवस्था में धन का क्षरण होता है, क्योंकि पक्षपातवाद से रचनात्मक विनाश की प्रक्रिया बाधित हो जाती है, जिससे अक्षमता में वृद्धि होती है।

इस समीक्षा में ऐसी 75 भारतीय फर्मों (राजनीतिक रूप से संबद्ध के रूप में चिन्हित) का अध्ययन किया गया है, जो पक्षपातवादी नीतियों से लाभान्वित हुई हैं।

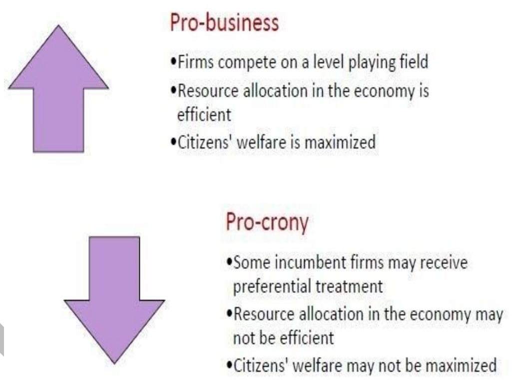

- पक्षपातवादी नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन "संबद्ध" (connected) बनाम "असंबद्ध" (unconnected) फर्मों के विकास की तुलना करके किया जाता है।
- 2G स्पेक्ट्रम आवंटन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की लेखापरीक्षा रिपोर्ट महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, क्योंकि इसने फर्मों के राजनीतिक गठजोड़ को परिवर्तित कर दिया था। उदाहरण के लिए, वर्ष 2010 से पूर्व, राजनीतिक रूप से संबद्ध फर्मों ने सेंसेक्स पर बेहतर प्रदर्शन किया था, वहीं वर्ष 2010 के बाद, इन फर्मों ने सेंसेक्स पर काफी कमजोर प्रदर्शन किया था।
- राजनीतिक रूप से संबद्ध फर्मों का सेंसेक्स पर न्यून प्रदर्शन तथा प्रतिफल के मध्य के निरंतर बढ़ते अंतराल से ज्ञात होता है कि इस तरह की संबद्ध फर्मों के अक्षम होने की संभावना अधिक थी।
- पक्षपातवादी नीतियां (Pro-crony policies) कुछ अप्रत्यक्ष कीमतें भी उत्पन्न करती हैं, जैसे-
  - यदि अनुचित तरीके से अपने लोगों को लाभ पहुँचाने का अवसर मौजूद हो, तो कंपनियां प्रतिस्पर्धा और नवाचार के जरिए विकास करने के बजाय राजनीतिक गठजोड़ स्थापित करने में संलग्न हो जाती हैं।
  - अपने लोगों द्वारा अनुचित तरीके से लाभ की मांग का भुगतान ईमानदार व्यवसायियों और नागरिकों द्वारा किया जाता है। इस तरह से धन का हस्तांतरण अर्थव्यवस्था में आय की असमानता को बढ़ाता है।
- पक्षपातवादी नीतियां और प्रक्रियाएं उपलब्ध संपत्ति का विस्तार करने के बजाए मौजूदा संपत्ति को हड़पने के लिए अपने राजनीतिक गठजोड़ का उपयोग करती हैं। इस प्रकार, धन/वैभव विनाश का एक चक्र निर्मित होता है।

राजनीतिक संपर्क के कारण किराए का निष्कर्षण (वैश्विक साक्ष्य)

- **यूक्रेन:** यूक्रेन में विश्व बैंक के एक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यदि समस्त राजनीतिक संपर्क समाप्त हो जाते हैं तो देश की वृद्धि दर में 1 से 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है।
- **चीन:** चीनी कंपनियों को बैंक ऋण का आवंटन करने में राजनीतिक संपर्क की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

मिसिंग रोड़ (Missing Roads)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत निर्मित 88,000 सड़कों के संबंध में इस समीक्षा में उल्लिखित एक अध्ययन में निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आए हैं:

- चुनावों में विजय प्राप्त करने के पश्चात्, जीतने वाले राजनेता से संबंधित ठेकेदारों को सड़क परियोजनाओं के आवंटन किए जाने की संभावना बढ़ जाती है।
- PMGSY में जनगणना से पूर्व निर्मित बताई गई लगभग 26 प्रतिशत सड़कें वर्ष 2011 की जनगणना में विलुप्त पाई गई।
- सड़कों का तरजीही आवंटन ऐसी 'विलुप्त' सड़कों की संभावना को लगभग 86 प्रतिशत तक बढ़ा देता है।

नीलामियों के माध्यम से आवंटन के बजाए प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना आवंटन (Discretionary Allocation of Natural Resources vis-à-vis allocation via auctions)

- इस आर्थिक समीक्षा में प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के लिए नीलामी और विवेकाधीन तरीकों के मध्य तुलना करने के लिए उदाहरण के रूप में कोयला आवंटन का उपयोग किया गया है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोयले को महत्वपूर्ण माना जाता है।
- वर्ष 1993 से पूर्व, आबद्ध खानों (captive mines) के आवंटन के लिए कोई विशेष मानदंड मौजूद नहीं थे। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन के माध्यम से निजी कंपनियों को अपने सीमित प्रयोग के लिए कोयला खनन करने की अनुमति दी गई थी।
- वर्तमान में, कोयला खदानों का आवंटन कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस अधिनियम में यह सुनिश्चित किया गया है कि कोयला ब्लॉको का कोई भी भावी आवंटन केवल प्रतिस्पर्धी नीलामियों के माध्यम से ही किया जाएगा।
- इस अंतर को समझने हेतु, समिति के माध्यम से आवंटन और नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए **संबंधित पार्टी लेनदेन (Related Party Transactions: RPT)** की तुलना का उपयोग किया गया है।
  - **RPTs:** RPT ऐसे दो पक्षों के मध्य एक सौदा या व्यवस्था है जो पूर्व मौजूद व्यापार संबंधों या सामान्य हित से जुड़े होते हैं।
  - **समीक्षा में प्रयुक्त RPT:** संबंधित पक्षों से पूंजीगत सामान/उपकरण खरीदने के लिए RPT, संबंधित पक्षों को भुगतान किए गए परिचालन व्यय के लिए RPT और संबंधित पक्षों के परिचालन आय से RPT.

समिति के माध्यम से आवंटन (Allocation via Committee)	**नीलामी के माध्यम से आवंटन (Allocation via Auction)**
कंपनियों को कोयला ब्लॉक की प्राप्ति में असामान्य वृद्धि	इस तरह की कोई वृद्धि नहीं
डायरेक्टर्स के लिए कमीशन, अनुलब्धियों और परामर्श शुल्क जैसे एक मुश्त भुगतान में वृद्धि	इस तरह की कोई वृद्धि नहीं
विवेकाधीन आवंटन के बावजूद इन कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी में कमी देखी गई	पारदर्शी प्रतिस्पर्धा के बावजूद इन कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई

- ये तीनों RPTs पूर्ववर्ती तीन वर्षों की तुलना में समिति आधारित आवंटन के माध्यम से कोयला ब्लॉक की प्राप्ति के बाद की तीन वर्षों की अवधि में निश्चित वृद्धि दर्शाते हैं। नीलामी आधारित आवंटन के मामले में ऐसी कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। (असूचीबद्ध/विदेशी इकाईयों और टैक्स हेवन के साथ RPTs के मामले में लगभग समान प्रेक्षण किया गया है।)
- डायरेक्टर्स के कमीशन, अनुलब्धियां और परामर्श शुल्क के एकमुश्त भुगतान में विवेकाधीन आवंटन के बाद वृद्धि होती है। नीलामी आधारित आवंटन के मामले में ऐसी कोई वृद्धि नहीं देखी गई है।
- विवेकाधीन आवंटन के कारण लाभ के बावजूद फर्मों के बाजार हिस्से (जिन्हें समिति आधारित आवंटन द्वारा कोल ब्लॉक्स प्राप्त हुए थे) में गिरावट आई है। इसकी व्याख्या डच डिज़ीज़ के रूप में की गई है।
  - **डच डिज़ीज़:** जिन फर्मों को मुफ्त संसाधन मिलते हैं, वे उत्पादक व्यावसायिक गतिविधियों के स्थान पर अप्रत्याशित लाभ (windfall gain) प्राप्त करने का प्रयास करती हैं।

जोखिम रहित प्रतिफल: जानबुझ कर चूक का मामला (Riskless Returns: The Case of Wilful Default)

- RBI एक विलफुल डिफॉल्टर को एक ऐसी फर्म के रूप में परिभाषित करता है, जो अपनी देयताओं को पूरा करने की क्षमता होते हुए भी अपनी पुनर्भुगतान देयताओं को पूरा करने में चूक करती है।
- एक फर्म को विलफुल डिफॉल्टर तब माना जा सकता है, जब वह अपनी निधियों का उपयोग उन उद्देश्यों से इतर किसी अन्य उद्देश्य के लिए करती है जिसके लिए ऋणदाता ने उसे ऋण प्रदान किया हो या संबंधित पक्षों के धन की बेईमानी तरीके से निकासी करती है या ऋण की प्रतिभूति के रूप में रखी गई परिसंपत्तियों को हटा देती है।
- विलफुल डिफॉल्टर्स पर कुल बकाया राशि में वर्ष 2010 के बाद से निरंतर वृद्धि हुई है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018 में कुल 1.4 लाख करोड़ रुपये बकाया थे। (यह राशि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए आबंटित राशि के लगभग बराबर है और मनरेगा के लिए कुल आबंटन का लगभग 2.5 गुना है)
- भारत में विलफुल डिफॉल्टर्स के संदर्भ में निम्नलिखित तीन विशिष्ट अभिलक्षण अवलोकित किए गए हैं:

VISIONIAS

- जानबूझ कर ऋण न चुकाने वाले (Wilful defaulters), गैर-इरादतन चूककर्ता (non-defaulters) तथा संकटग्रस्त चूककर्ताओं (distress defaulters) की अपेक्षा अधिक अपारदर्शी होते हैं।
- इरादतन चूककर्ता फर्मों के प्रवर्तक अपनी पूंजी का औसतन 50 प्रतिशत उधारदाताओं के पास गिरवी रख देते हैं। (चूककर्ताओं और गैर-इरादतन चूककर्ताओं से संबंधित आंकड़े क्रमशः 30 प्रतिशत और 11 प्रतिशत हैं)।
    - **गिरवी रखने के पीछे (Rationale for pledging):** भारत में, शेयरों को फर्म की अपनी परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए गिरवी रखा जाता है। यदि कोई फर्म विफल हो जाती है, तो इसके शेयरों का मूल्य गिर जाता है जिससे संपार्श्विक का मूल्य भी प्रभावित होता है। लेकिन प्रमोटरों के पास अपने गिरवी रखे शेयरों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है, जिसकी प्रतिपूर्ति गिरवी रखे संपार्श्विक के किराये से की जाती है। इस प्रकार, जानबूझ कर चूक करने वाले को इसका लाभ मिलता है।

- ऐसे इरादतन चूककर्ताओं की लागतों को बैंकों के पुनर्वित्त (कराधान और जमाओं के माध्यम से) और उधार की लागत में वृद्धि के रूप में आम जन एवं ईमानदार उधारकर्ताओं को वहन करनी पड़ती है।

निष्कर्ष

- ज्ञातव्य है कि जहाँ व्यापार समर्थक नीतियों से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है, बाजार की विफलताओं में कमी आती है और व्यापारिक जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है, वहीं पक्षपाती नीतियां बाजारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।
- व्यापार समर्थक नीतियां अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए एक अधिकार क्षेत्र में व्यापार करना आसान बनाती हैं। पक्षपाती नीतियां कुछ फर्मों को अन्य फर्मों की कीमत पर वरीयता प्रदान कर सकती हैं। दीर्घकालिक रूप में, यह बाजार की दक्षता कम कर सकती है और इसके परिणामस्वरूप सामाजिक कल्याण बाधित हो सकता है।

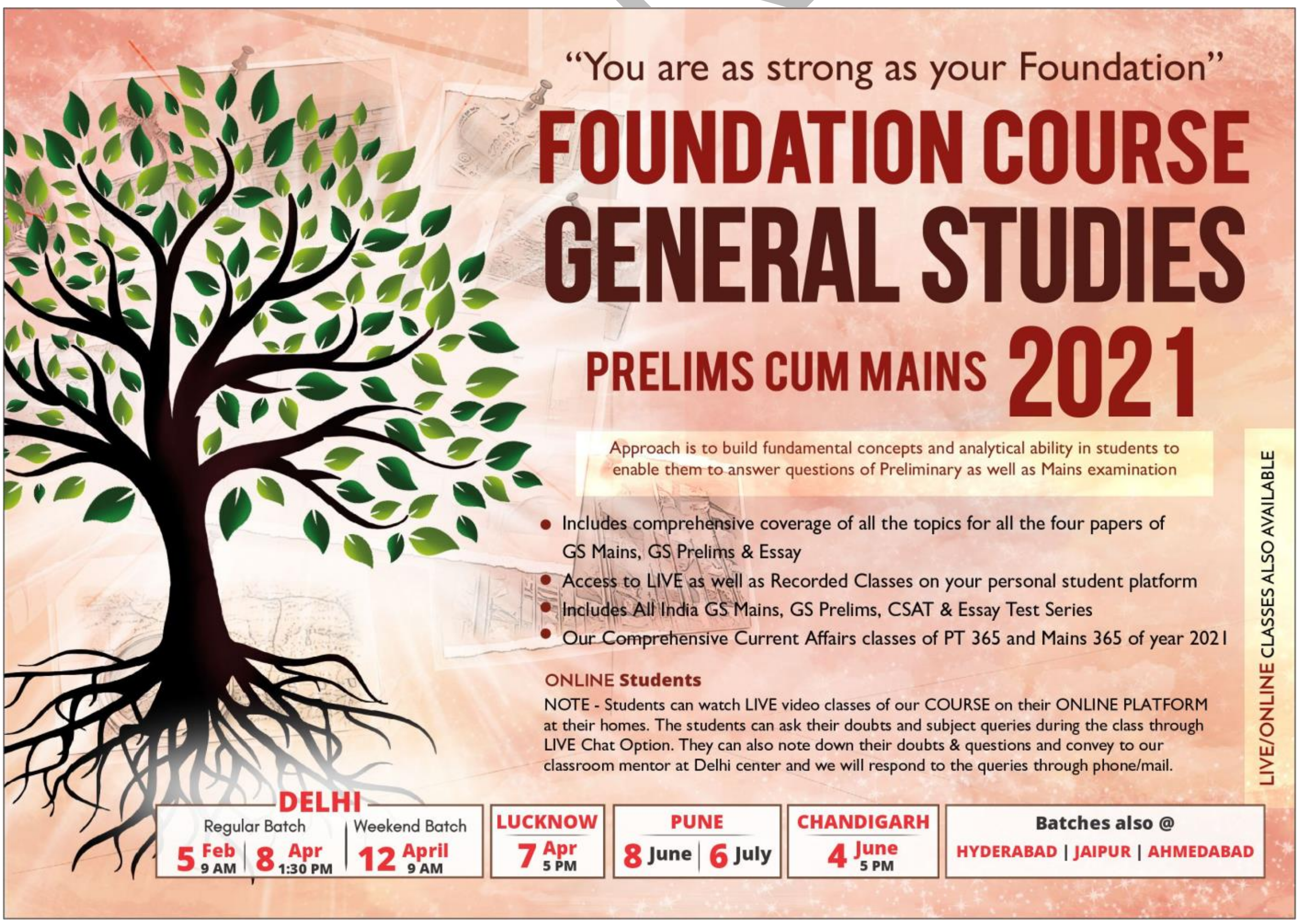

अध्याय 4: बाजार की अनदेखी: जब अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप से लाभ की बजाय नुकसान होता है

(Undermining Markets: When Government Intervention Hurts more than It Helps)

विषय (Theme)

इस अध्याय में यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार एनाक्रोनोटिक सरकार के हस्तक्षेप अंततोगत्वा लाभ की बजाए नुकसान अधिक पहुंचाते हैं, भले ही वे अच्छे इरादे से किए गए हो। इस हेतु इस आर्थिक समीक्षा में आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act: ECA), ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO), खाद्य सब्सिडी और कर्जमाफ़ी के उदाहरणों का उपयोग किया गया है। इस प्रकार, आवश्यकता-आधारित हस्तक्षेप को अपनाने पर बल दिया गया है।

परिचय (Introduction)

- यद्यपि भारत ने फर्मों और नागरिकों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी इसे **जर्जर (जकड़ी हुई) अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है।** निम्नलिखित सूचकांकों से इसी तरह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं:
    - **आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (Index of Economic Freedom):** हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित इस सूचकांक में भारत को 186 देशों के मध्य **129वां स्थान** प्राप्त हुआ है। इसमें भारत को "अधिकांशतः अस्वतंत्र" (mostly unfree) के रूप में वर्गीकृत किया गया हैं।
    - **वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (Index of Global Economic Freedom):** फ्रेज़र इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित इस सूचकांक में 162 देशों के मध्य **भारत को 79वां** स्थान प्राप्त हुआ है।
- आर्थिक स्वतंत्रता के संकेतक वस्तुतः प्रति व्यक्ति GDP, नए व्यवसायों के पंजीकरण, इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस, किसी देश में पेटेंट्स के लिए आवेदन तथा अनुदत्त पेटेंट्स की संख्या और नवाचार के संकेतकों के साथ सकारात्मक रूप से सह-संबंधित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि **आर्थिक स्वतंत्रता धन सृजन के कई पहलुओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।**
- समीक्षा में इस बात पर बल दिया गया है कि बाजार में सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी **मांग व आपूर्ति की साम्यावस्था को प्रभावित करेगी, जिससे अप्रतिभूत हानि हो सकती है।**
- समीक्षा में **एनाक्रोनोटिक सरकार के हस्तक्षेपों** से उत्पन्न प्रभाव पर प्रकाश डालने के लिए ECA, 1955, DPCO, खाद्यान्न बाजारों में सरकार की नीतियों और कर्जमाफी के उदाहरणों का प्रयोग किया गया है।

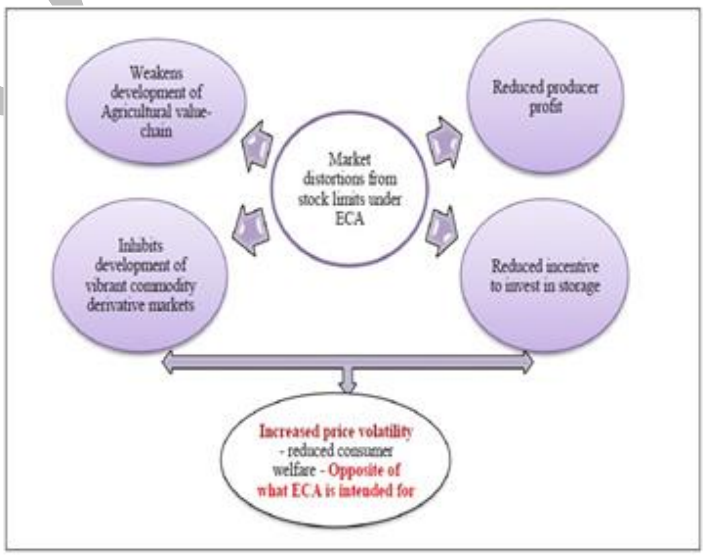

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 {Essential Commodities Act (ECA), 1955}

- ECA, 1955 का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगा कर गरीबों के लिए आवश्यक वस्तुएँ सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है। इस प्रयोजन के लिए ECA उन वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण तथा व्यापार एवं वाणिज्य को नियंत्रित करता है, जिन्हें आवश्यक वस्तुओं के रूप में माना जाता है।
- हालांकि, यह अधिनियम **बाजार विकृतियों का निर्माण** करके कृषि बाजारों के विकास को अवरुद्ध करता है।
- इस अधिनियम के तहत **ऐसी फर्म जिन्हें अपने प्रचलनों की प्रकृति के अनुरूप भंडारण रखना होता है** और **ऐसी फर्में जोकि अनुमान के आधार पर भंडारण करती हैं** के मध्य अंतर नहीं रखा गया है।
- कीमतों की अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए इस अधिनियम द्वारा लगाए गए अधिरोपण अप्रभावी रहे हैं। इसे दलहन (वर्ष 2006 की तृतीय तिमाही और वर्ष 2009 की प्रथम तिमाही में) और प्याज (सितंबर 2019) के उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, जिन पर ECA लागू होने के बावजूद कीमतें बढ़ गयी थी।
- **थोक और खुदरा मूल्यों के मध्य बढ़ता ग्राफ** इस बात को सुदृढ़ करता है कि ECA उपभोक्ताओं के कल्याण को कम करता है।

VISION IAS

- दीर्घावधि में, यह अधिनियम **भंडारण संरचना के विकास को हतोत्साहित करता है** जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन/उपभोग के झटकों के बाद मूल्यों में अस्थिरता बढ़ती है।
- **इस अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि की दर 2-4 प्रतिशत** है। यह निर्दिष्ट करता है कि ECA के अंतर्गत मारे गए छापों ने केवल व्यापारियों का उत्पीड़न किया है। इस अधिनियम के माध्यम से अनैतिक जमाखोरी को दंडित करने के साथ-साथ अप्रत्यक्ष तौर पर उपभोग को भी हतोत्साहित किया गया है।
- यह समीक्षा कीमतों के स्थिरीकरण हेतु ECA के विकल्प के रूप में निम्नलिखित सुझाव देती है:
  - वर्ष 2014-15 में स्थापित मूल्य स्थिरीकरण निधि (Price Stabilization Fund: PSF) का सुदृढ़ीकरण।
  - प्रभावी पूर्वानुमान तंत्र, स्थिर व्यापार नीतियां एवं कृषि बाजारों के एकीकरण कार्य को और आगे बढ़ाना।

ECA के अंतर्गत औषधि मूल्य नियंत्रण (Drug Price Controls under ECA)

- आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने और निर्धन परिवारों को गरीब होने से बचाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य को देखते हुए प्राय: सरकार द्वारा औषधियों के मूल्य का नियंत्रण किया जाता है। इस हेतु भारत सरकार, **राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority: NPPA)** एवं **DPCO** के माध्यम से औषधियों के मूल्यों का नियमन करती है।
- **अनिवार्य औषधियों की राष्ट्रीय सूची (National List of Essential Medicines: NLEM):** यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई वह सूची है जिसको भारत की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य एवं उच्च प्राथमिकता वाला माना जाता है।
- आवश्यक औषधियों के संबंध में DPCO के प्रभाव की जांच करने के लिए, इस समीक्षा में ग्लाइकोमेट और ग्लिमिप्रेक्स-एमएफ दवाइयों के उदाहरण लिए गए हैं, जिनमें से एक DPCO, 2013 के अंतर्गत आती है और दूसरी नहीं।
- इस अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं:
  - पूर्वस्थापित मान्यता के विपरीत, अनियमित औषधि की तुलना में नियमित औषधि के मूल्य में वृद्धि अधिक हुई। लेकिन दोनों दवाओं के सेवन की मात्रा पर DPCO का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पाया गया। (डिफरेंस-इन-डिफरेंस पद्धति के उपयोग से)
  - DPCO, 2013 के बाद, सस्ती दवाओं के मूल्यों में 21% की वृद्धि हुई। हालांकि, महंगी दवाओं की कीमतें 2.4 गुना बढ़ गईं। (जोकि नियत के विपरीत था।)
- इस समीक्षा में ECA को निरस्त करने और बाजार अनुकूल हस्तक्षेपों, जैसे- DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण), नवाचार के लिए प्रोत्साहन, बाजार एकीकरण में वृद्धि आदि की वकालत की गई है।

डिफरेंस-इन-डिफरेंसेज (Difference-in-differences) पद्धति

- यह एक सांख्यिकीय तकनीक है, जिसका उपयोग किसी विशिष्ट पहल या उपचार के प्रभाव का आकलन करने के लिए किया जाता है।
- यह तकनीक दो अवधियों के मध्य की जनसंख्या की तुलना करती है, जिसमें एक **विशिष्ट हस्तक्षेप युक्त जनसंख्या (उपचार समूह)** और दूसरी **विशिष्ट हस्तक्षेप से अप्रभावित जनसंख्या (नियंत्रण समूह)** को शामिल किया जाता है।

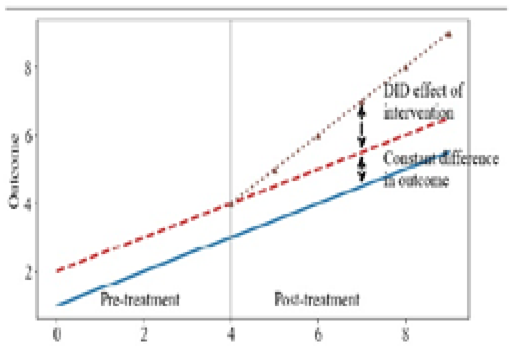

खाद्यान्न बाजारों (मंडियों) में सरकारी हस्तक्षेप (Government Intervention in Grain Markets)

- खाद्यान्न बाजार में सरकार के हस्तक्षेप का उद्देश्य उत्पादकों के लिए उपयुक्त पारिश्रमिक सुनिश्चित करने और वहनीय कीमतों पर वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए खाद्य सुरक्षा हासिल करना है।
- **भारत में खाद्यान खरीद प्रणाली की वर्तमान स्थिति:**
  - भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन, संवितरण और बिक्री का प्राथमिक कर्तव्य है।

VISION IAS

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के अंतर्गत सरकार 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु बाध्य है।
- इस अधिनियम के बाद सरकार खाद्यानों के एकल सबसे बड़े भंडारक के रूप में उभरी हैं। सरकार, चावल और गेहूं के बाजार अधिशेष का लगभग 40-50 प्रतिशत मात्रा की खरीद करने से इन खाद्यानों के प्रबल खरीददार के रूप में उभर रही है। (41.1 मिलियन टन के मानक की तुलना में 1 जुलाई 2019 को सेंट्रल पूल स्टॉक 74.3 मिलियन टन था।)
- यह इन वस्तुओं की खरीद, भंडारण और प्रसंस्करण में दीर्घकालीन निवेश करने के लिए निजी क्षेत्र को हतोत्साहित करता है।

- **वर्तमान प्रणाली को बनाए रखने से संबंधित लागतें:**
  - FCI की खरीद लागत, वितरण लागत और परिवहन लागत खाद्य सब्सिडी द्वारा काफी हद तक कवर की जाती है।
  - समीक्षा में उल्लेख किया गया है कि TPDS के तहत सुनिश्चित खरीद, भंडारण और वितरण की नीतियों के मौजूदा मिश्रण ने उच्च लागत वाली खाद्य-अनाज अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान दिया है।
  - FCI की अक्षमता भंडारण के बढ़ते हुए स्तर के साथ बढती जाती है।
- कृषि में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि खाद्य सब्सिडी परिव्यय में वृद्धि से नकारात्मक रूप से संबंधित है। इसलिए सब्सिडी पर बढ़ता फोकस दीर्घकालिक रूप में कृषि क्षेत्र की वृद्धि को नुकसान पहुंचा रहा है।
- सरकारी हस्तक्षेप ने खाद्यान्न की मांग और आपूर्ति के मध्य एक असंबद्धता उत्पन्न की है। इसके लिए निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं:
  - अनाज की मांग में प्रत्यक्ष गिरावट आई है। {मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (Monthly Per Capita Expenditure: MPCE) में अनाज की हिस्सेदारी में ग्रामीण क्षेत्र में 33 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 28 प्रतिशत की गिरावट से यह प्रदर्शित होता है।)
  - मांग के विपरीत, खाद्यान्न का उत्पादन वर्ष 2005 से लगातार बढ़ा है।
  - इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसान अपने उत्पादन विकल्प **मांग के प्रारूप के आधार पर नहीं, बल्कि खरीद और वितरण को लेकर सरकार की नीति के आधार पर** कर रहे हैं।
- उपरोक्त मुद्दों के आलोक में, यह समीक्षा कुछ वैकल्पिक उपाय सुझाती है:
  - किसानों को ऐसे प्रत्यक्ष निवेश सब्सिडी के माध्यम से सशक्त किया जाना चाहिए, जो फसल तटस्थ हो और फसल संबंधी निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करता हो।
  - NFSA के कवरेज को निचले 20 प्रतिशत जनसंख्या तक सीमित किया जाना चाहिए।
  - सशर्त नकद हस्तांतरण (Conditional Cash Transfers: CCTs) के अंगीकरण की आवश्यकता है, जिसका उपयोग लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए किया जा सकता है।
  - वृहद स्तर पर, कृषि विपणन, व्यापार (घरेलू और विदेशी दोनों) तथा वितरण नीतियों को संरेखित करने की आवश्यकता है, ताकि किसानों को विविधीकरण और स्थायी उत्पादन के लिए सही संकेत प्राप्त हो।

ऋण माफियां (Debt Waivers)

- हाल के दिनों में, राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर किसानों के ऋण माफ करने के कई मामले सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार, वर्ष 2018 में कर्नाटक सरकार आदि।
- ऋण माफ़ी के समर्थकों द्वारा दिए जाने वाले तर्क निम्नलिखित हैं:
  - उधार लेने वाले "डेब्ट ओवरहैंग" की समस्या से जूझ रहे हैं। इसका तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहाँ **संपूर्ण वर्तमान आय** एकत्रित ऋण के भुगतान में लग जाती है, इस वजह से उनके पास वास्तविक या मानवीय पूंजी में निवेश के लिए बहुत कम प्रोत्साहन राशियां शेष बचती हैं।
  - ऋण माफी के उपरांत ऋणी के बही खाता की सफाई से नए निवेशों की संभावना बढ़ेगी, इसके साथ ही नवीन निधि को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि ऋणी की पुनर्भुगतान क्षमता में तब भी वृद्धि होगी जब आय में कोई बदलाव नहीं हुआ हो।

VISION IAS

- समीक्षा में इन दावों का परीक्षण किया गया है, जिससे निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं:
  - ऋण से पूर्ण राहत प्राप्त करने वाले किसानों की कृषि उत्पादकता, निवेश या उपभोग के स्तर पर नगण्य प्रभाव पड़ा। (पूर्ण और आंशिक राहत पाने वाले किसानों की तुलना करके भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में की गई ऋण माफ़ी के परीक्षण पर आधारित)
  - पूर्ण ऋण माफ़ी वाले लाभार्थीयों के उपभोग, बचत और निवेश का स्तर कम पाया गया, साथ ही वे आंशिक लाभार्थियों की तुलना में कम उत्पादक साबित हुए हैं।
  - आंशिक लाभार्थियों की तुलना में पूर्ण लाभार्थियों के लिए **औपचारिक ऋण के हिस्से में कमी आती हैं।**
  - **ऋण से माफ़ी देने की बात केवल उसी स्थिति में लाभदायक हो सकती हैं जब लाभार्थी वास्तव में संकटग्रस्त हो।** हालांकि, यह ऋण चूक (डिफ़ॉल्ट) में वृद्धि करती है, जिससे वास्तविक संकट का सामना करने वाले कृषकों को सशर्त राहत प्राप्त करने में भी कठिनाई आती है।
- इस समीक्षा का तर्क है कि **ऋण माफ़ी ऋण बाजार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।** इसकी पुष्टि निम्नलिखित साक्ष्यों से होती है:
  - एक प्रत्याशित ऋण माफ़ी नैतिक खतरे को जन्म दे सकती है और क्रेडिट संस्कृति को नष्ट कर सकती है। (उदाहरण- ऋण का प्रदर्शन उन क्षेत्रों में सर्वाधिक खराब रहा है, जहाँ पर चुनाव होने वाले थे।)
  - भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में की गई ऋण माफ़ी ने भविष्य के ऋणों में ऋण चूक की वृद्धि को प्रोत्साहित किया है तथा इसने वेतन, उत्पादकता या खपत में सुधार करने में कोई योगदान नहीं दिया है।

सरकारी हस्तक्षेप को कम करने के लिए किए गए विधायी बदलाव (Laws where changes have been made)

अधिनियम	बाजार में की गई विकृत्ति	बाजार अर्थव्यवस्था विकसित करने की दिशा में बदलाव
पूंजी संबंधी मुद्रा (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 {Capital Issues (Control) Act, 1947}	शेयरों के मूल्य निर्धारण और मात्रा पर अत्यधिक नियंत्रण ने पूंजी के अप्रभावी मूल्यांकन को बढ़ावा दिया।	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) अधिनियम, 1992 द्वारा निरस्त और प्रतिस्थापित।
एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 {Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act, 1969}	इस अधिनियम ने कंपनियों के विकास और वैश्विक प्रसार को सीमित किया तथा छोटी कंपनियों के प्रसार को प्रतिबंधित किया।	वर्ष 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया। तब से, ध्यान 'प्रभुत्व के निषेध' से हटकर 'प्रभुत्व के दुरुपयोग को विनियमित करने' पर हो गया है।
विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (Foreign Exchange Regulation Act, 1973)	इस अधिनियम ने विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी तक पहुंच को प्रतिबंधित किया।	इसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act: FEMA) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। FEMA के तहत, विदेशी मुद्रा बाजार के विकास को सक्षम करने के लिए विशेष रूप से प्रतिबंधित या विनियमित गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां अनुमत हैं।
शहरी भूमि सीमांकन एवं	इसके कारण शहरी क्षेत्रों में	वर्ष 1999 में इसे निरस्त कर दिया गया।

VISION IAS

विनियमन अधिनियम, 1976 (Urban Land Ceiling and Regulation Act, 1976)	भूमि बाजारों का विरूपण, मलिन बस्तियों में वृद्धि, भूमि का कृत्रिम अभाव और भूमि की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई।	

सरकारी हस्तक्षेप को कम करने हेतु आवश्यक विधायी परिवर्तन (Legislative Changes Required to Reduce Government Intervention)

अधिनियम	बाजार में की गई विकृत्ति	निरसन/संशोधन की आवश्यकता
फैक्ट्री अधिनियम, 1948	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों की लागत बढ़ाता है तथा श्रमिकों से पूंजी को दूर करता है।	इसे व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता विधेयक, 2019 में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।
रुग्ण वस्त्र-उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 {Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974}	रुग्ण मिलों का राष्ट्रीयकरण उनके पुनर्स्थापन और पुनर्गठन के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा सूत, वस्त्र, उचित मूल्य या रोजगार प्रदान करने में विफल रहा।	इस अधिनियम को निरस्त करने की आवश्यकता है और राष्ट्रीय वस्त्र निगम (National Textile Corporation: NTC) लिमिटेड का विनिवेश किया जाना चाहिए।
बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 (Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993)	पीठासीन अधिकारियों की अपर्याप्त संख्या, अनुशंसित की गई छह महीने की वैधानिक अवधि के बजाए वसूली में दो वर्ष लगना, वसूली अधिकारियों में पर्याप्त न्यायिक अनुभव की कमी और न्यायाधिकरणों के मध्य निर्णय लेने की प्रक्रिया की असंगति के कारण अप्रत्याशित विलंब आदि समस्याएँ विद्यमान हैं।	गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या के समाधान के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) को अपनाया गया है, लेकिन DRT (डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल) को समाप्त या IBC के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013	यह भूमि अधिग्रहण का नियमन करता है, जिसमें 80 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण संवाद के जरिए किया जाएगा, केवल शेष 20 प्रतिशत के लिए ही सरकार हस्तक्षेप करेगी। PPP परियोजनाओं के लिए, यह 70 प्रतिशत है।	यह भूमि के मालिकों के पक्ष में संतुलन दर्शाता है, जिन्हें भूमि के विकास में एक समान भागीदार बनाने तथा विकासकर्ता/अधिग्रहणकर्ता के साथ लाभ एवं लागत को साझा करने की आवश्यकता है।

VISION IAS

निष्कर्ष

- चूंकि पूर्ण दक्ष बाजार का विचार दुर्लभ है, ऐसे में "बाजार विफलता" की स्थिति गंभीर नहीं होने पर सरकारी हस्तक्षेप की लागतें अलाभकारी हो सकती हैं'।
- सरकारी हस्तक्षेप उस आर्थिक संरचना में उपयुक्त हो सकते हैं, जहाँ पर "बाजार विफलता" की स्थिति गंभीर है। लेकिन मौजूदा परिवर्तित अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेपों की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, क्योंकि इसमें "बाजार विफलता" की स्थिति गंभीर नहीं हैं।
- इस अध्याय का तर्क यह नहीं है कि कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप के उदाहरणों को समाप्त करने से प्रतिस्पर्धी बाजारों को बढ़ावा मिलेगा तथा इससे निवेश और आर्थिक संवृद्धि में तेजी आएगी।

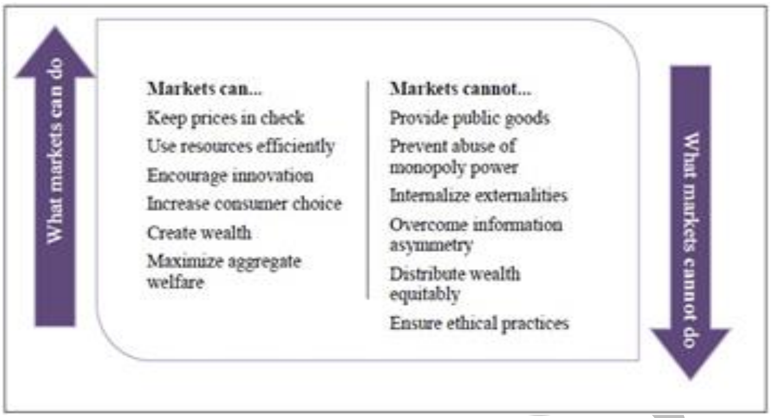

अध्याय 5: नेटवर्क उत्पादों के क्षेत्र में निर्यात-विशेषज्ञता द्वारा रोजगार-सृजन और विकास

(Creating Jobs and Growth by Specializing to Exports In Network Products)

विषय (Theme)

चूंकि रोजगार-सृजन; धन सृजन और भारत की संवृद्धि के लिए एक पूर्व शर्त है, इसलिए इस अध्याय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु वर्तमान परिवेश में लाभ उठाने हेतु भारत के लिए एक सुविचारित कार्यनीति का उल्लेख किया गया है। भारत के पास चीन जैसे श्रम-प्रधान निर्यात पथ का अनुसरण करने का एक अभूतपूर्व अवसर है, जिससे हमारे उदीयमान युवाओं के लिए असीमित रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

परिचय (Introduction)

- इस समीक्षा में कहा गया है कि वर्ष 2001 से 2006 तक की पांच वर्ष की अवधि में ही, चीन **श्रम प्रधान निर्यात के माध्यम से केवल प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किए श्रमिकों के लिए 70 मिलियन नौकरियाँ सृजित करने में समर्थ रहा।**
- इस समय US-चीन व्यापार संघर्ष के कारण वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (Global Value Chains: GVCs) में मुख्य समायोजन किया जा रहा है और फर्में अब अपने प्रचालनों के लिए वैकल्पिक स्थानों की तलाश कर रही हैं। यहाँ तक कि व्यापार संघर्ष प्रारंभ होने से पहले भी, औद्योगिक उत्पादों की अंतिम असेंबली के लिए **निम्न लागत के स्थान के रूप में चीन की छवि** श्रम में कमी और मजदूरियों में वृद्धि के कारण तेजी से बदल रही थी। ये घटनाक्रम भारत के समक्ष ऐसे समान निर्यात पथ का अनुसरण करने का एक अप्रत्याशित अवसर प्रस्तुत करते हैं।
- इस समीक्षा से पता चलता है कि **"असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड"** को **'मेक इन इंडिया'** के साथ एकीकृत करके, भारत वर्ष 2025 तक अपनी निर्यात बाजार हिस्सेदारी को लगभग 3.5 प्रतिशत और वर्ष 2030 तक 6 प्रतिशत बढ़ा सकता है। इस प्रक्रिया में, भारत वर्ष 2025 तक लगभग 4 करोड़ और वर्ष 2030 तक 8 करोड़ उत्तम वैतनिक रोजगार सृजित कर सकता है।

चीन की तुलना में भारत का निर्यात में निम्न-निष्पादन (India's export under-performance vis-à-vis China)

- वर्ष 2018 तक, भारत की विश्व बाजार में 1.7 प्रतिशत की भागीदारी चीन की 12.8 प्रतिशत की भागीदारी की तुलना में नगण्य है। इस अध्याय में चीन की तुलना में भारतीय निर्यात के निम्न-निष्पादन के कारणों की जांच की गई है।

भारत	चीन
वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भागीदारी का निम्न स्तर	वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भागीदारी का उच्च स्तर
उत्पादों का विविधीकरण	उत्पादों के स्तर पर विशेषज्ञता
लघु स्तर पर संचालन	बृहद् स्तर पर संचालन
निर्यात वृद्धि मुख्य रूप से पूंजी और कौशल गहन उत्पादों द्वारा संचालित है	निर्यात वृद्धि मुख्य रूप से पारंपरिक श्रम गहन और पूंजी गहन उद्योगों के भीतर उत्पादन प्रक्रियाओं के श्रम गहन चरणों में शामिल है।
उच्च आय वाले देशों के बाजार में कम पैठ	उच्च आय के साथ-साथ निम्न आय तथा मध्यम आय वाले देशों में भी समान पैठ।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भागीदारी से लाभ प्राप्त करना (Reaping gains from participation in Global Value Chains)

- इस अध्याय में कहा गया है कि सकल निर्यात के विदेशी मूल्य वर्धित (foreign value added) की हिस्सेदारी में 10 प्रतिशत वृद्धि सकल निर्यात के डॉलर मूल्य में 17.9 प्रतिशत में परिणत होती है, जो परिणामस्वरूप घरेलू मूल्य वर्धित (निर्यात से) में 7.7 प्रतिशत तक की वृद्धि का कारण रही है। अंततः घरेलू मूल्य वर्धित में 7.7 प्रतिशत वृद्धि से रोजगार में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

VISION IAS

Figure 8: The Conceptual Framework for Gains from "Assembling in India" as part of "Make in India"

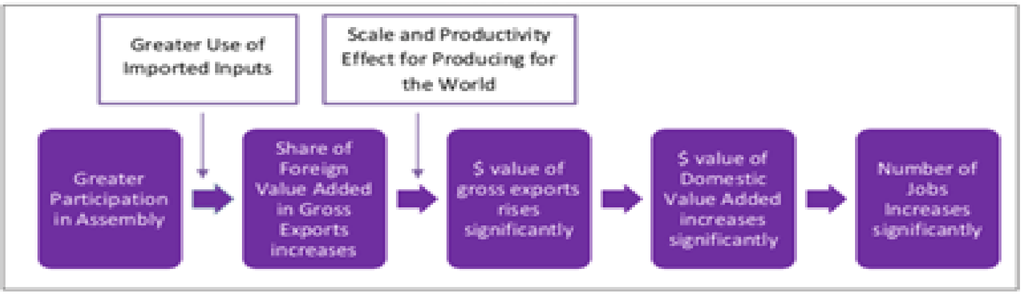

- इस गणना के अनुसार, भारत जैसे देश में, अगले पांच वर्षों के दौरान निर्यात से संबंधित 10 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों और अगले दस वर्षों में 20 मिलियन से अधिक नौकरियों का सृजन संभव है।

रोजगार के सृजन हेतु कौन से उद्योगों में भारत को विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए? (Industries in which India can specialize in for job creation)

इस समीक्षा के अनुसार, उद्योगों के दो समूह ऐसे हैं, जिनमें निर्यात वृद्धि और रोजगार सृजन की सर्वाधिक संभावना है।

- **पारंपरिक अकुशल श्रमसाध्य उद्योग:** जैसे- कपड़ा, वस्त्र, जूते और खिलौने आदि। इन उद्योगों में GVC का संचालन "क्रेता संचालित" नेटवर्क द्वारा होता है, जिनमें विकसित देशों में स्थित अग्रणी कंपनियां अधिक मूल्यवर्धन वाले कार्यों, जैसे- डिजाइन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान देती हैं। विकासशील देशों में कंपनियों द्वारा उप-संविदा व्यवस्थाओं के माध्यम से वास्तविक उत्पादन किए जाते हैं। ऐसे उदाहरणों में वालमार्ट, नाइक, एडिडास आदि की उत्पादन श्रृंखलाएं शामिल हैं।
- **नेटवर्क उत्पाद (Network products: NPs):** इन उद्योगों में GVCs पर नियंत्रण "उत्पादक संचालित" नेटवर्कों के अंतर्गत अग्रणी बहुराष्ट्रीय उद्यमों (MNEs), जैसे- एप्पल, सैमसंग, सोनी आदि का है। सामान्यत: इन उत्पादों का उत्पादन किसी निर्दिष्ट देश के भीतर शुरू से अंत तक नहीं किया जाता है, बल्कि देश किसी विशेष कार्य या सामान के उत्पादन श्रृंखला के चरणों के विशेषज्ञ होते हैं। उत्पादन नेटवर्क के अंतर्गत प्रत्येक देश उत्पादन प्रक्रिया के एक विशेष हिस्से का विशेषज्ञ होता है तथा यह विशेषज्ञता उस देश के तुलनात्मक लाभ पर आधारित होती है। श्रमिक बहुलता वाले देश (जैसे- चीन) उत्पादन के कम कुशल श्रमसाध्य प्रक्रियाओं (यथा- असेम्बल करने) के विशेषज्ञ होते हैं।
  - NPs के उदाहरणों में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरण, दूरसंचार उपकरण, सड़क वाहन आदि शामिल हैं।
  - वर्ष 2018 में विश्व निर्यात में NPs की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत थी।
  - NPs को दो मुख्य उप-कोटियों में विभाजित किया गया हैं - पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स (P&C) और असेम्बल एंड प्रोडक्ट्स (AEP)। AEP अत्यधिक श्रम गहन है, जो जन साधारण के लिए रोजगार प्रदान कर सकता है, जबकि P&C के घरेलू उत्पादन से उच्च कौशल युक्त रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं।

नेटवर्क उत्पाद: भारत के संदर्भ में अध्ययन (Network Products: Case in India)

- इस अध्याय में बताया गया है कि भारत की निर्यात बास्केट में NPs का शेयर बहुत कम (वर्ष 2018 में 10 प्रतिशत) है। इसके विपरीत चीन, जापान एवं कोरिया के कुल राष्ट्रीय उत्पादों में इनका हिस्सा लगभग आधा है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख एशियाई देशों के मध्य भारत ही एकमात्र देश है जिसका NPs में व्यापार घाटा है।
- भारत से निर्यात किए जाने वाले NPs की मुख्य श्रेणी रोड व्हीकल्स हैं, जिनकी वर्ष 2018 के कुल निर्यात में 4.9 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

NPs के संदर्भ में प्रवेश का पैटर्न (Pattern of entry in case of NPs)

- NPs के लिए निर्यात बाजार में देशों का प्रवेश, उभरना, उत्तरजीविता एवं सापेक्ष गिरावट का प्रारूप "वाइल्ड-गीज फ्लाइंग मॉडल" से सुसंगत है अर्थात् "उलटे वी" प्रारूप में है।
- जब जापान जैसे देश गिरावट के चरण में हैं, उसी दौरान चीन सहित अधिकांश देश विभक्ति बिंदु (inflection point) पर पहुंच गए हैं। लेकिन भारत में, NPs निर्यात में टेक-ऑफ की प्रक्रिया अभी शुरू हो सकती है, जो हमें इस अवसर का लाभ उठाने का पर्याप्त अवसर दे सकती है।

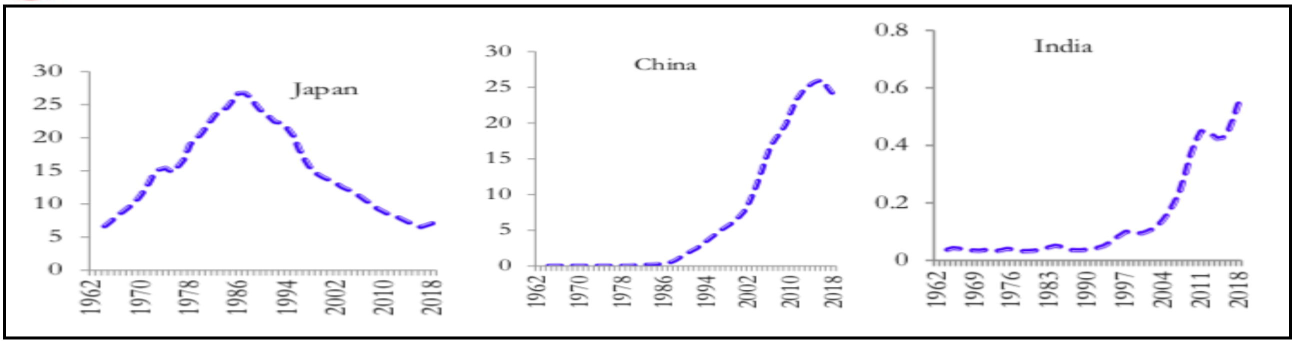

नेटवर्क उत्पादों के निर्यात पर ध्यान देने के साथ रोजगार और GDP में संभावित लाभ (Potential gains in employment and GDP with focus on Network products export)

- इस अध्याय में दर्शाया गया है कि वर्ष 2019 और वर्ष 2025 के बीच NPs के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने से घरेलू मूल्य में 485.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुड़ेंगे, जो कि वर्ष 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए अपेक्षित सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली वृद्धि (आधार मूल्य पर) का लगभग एक-चौथाई है।

	# of Jobs (Millions)	Value added (US$ Billion)
2020	30.1	168
2025	97.3	586.9
2030	173.5	1134.3

मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements)

- भारत ने वर्ष 1993 और 2018 के मध्य विभिन्न देशों के साथ 14 FTAs पर हस्ताक्षर किए हैं। इन FTAs की प्रभावकारिता पर प्रकाश डालते हुए, यह समीक्षा दर्शाती है कि व्यापार संतुलन के परिप्रेक्ष्य से भारत ने, विनिर्मित उत्पादों के संबंध में व्यापार अधिशेष में प्रतिवर्ष 0.7 प्रतिशत तथा कुल व्यापारिक माल के संबंध में व्यापार अधिशेष में प्रतिवर्ष 2.3 प्रतिशत का "लाभ" स्पष्ट तौर पर प्राप्त किया है।

Figure 17: Overall Impact of Trade Agreements on Exports and Imports

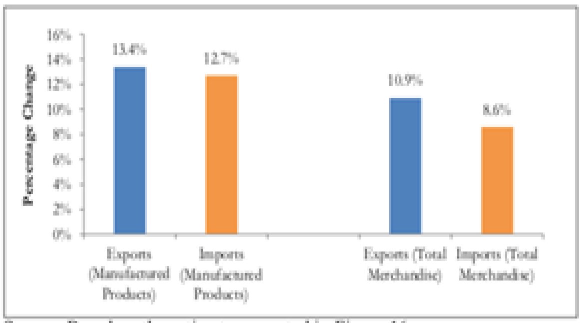

भावी परिदृश्य (Way forward)

अपेक्षाकृत निम्न कौशल वाली व्यापक जनशक्ति को देखते हुए भारत की वर्तमान आर्थिक क्षमता NPs की असेंबली में अधिक निहित है। पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स (P&C) का आयात कर जहाँ लघु से मध्यम अवधि में असेंबली गतिविधियों में बड़े पैमाने पर विस्तार करना होगा, वहीं दीर्घावधि में P&C के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा (अर्थात् GVCs के तहत उन्नयन करके) देना होगा।

इस हेतु निम्नलिखित नीतिगत उपायों पर ध्यान देना चाहिए:

- **एक पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन:** इसके परिणामस्वरूप भारत की श्रम-गहन प्रक्रियाओं और उत्पाद लाइनों के लिए विशेषज्ञता पैटर्न का पुनःसंरेखन होगा।
- मध्यवर्ती आगतों (inputs) के लिए **आयात शुल्क कम** करना।
- **बाजार सुधारों का कार्यान्वयन:** श्रम बाजार में अधिक लचीलापन प्राप्त करने का यह एक प्रमुख कारक है।
- देश में अग्रणी फर्मों के प्रवेश के लिए अग्र-सक्रिय FDI नीति के साथ एक **सक्षम वातावरण प्रदान** करना
- **सेवा लिंक की निम्न लागत,** अर्थात् परिवहन, संचार और अन्य कार्यों से संबंधित लागत।

सफलता की कहानियां (Success Stories)

ऑटोमोबाइल

- देश कॉम्पैक्ट कारों के असेंबल के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। पूरी तरह से निर्मित इकाइयों (Completely Built Units: CBUs) के संदर्भ में भारत का निर्यात वर्ष 2001 के लगभग 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2017 में 8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि इन वर्षों के मध्य इनके भागों और सहायक उपकरणों का निर्यात 408 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

VISION IAS

- दूसरी ओर, इसी अवधि के दौरान असेंबल किए गए वाहनों के आयात की तुलना में इनके भागों और उपकरणों का आयात काफी तेजी से बढ़ा।
- भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र की केस स्टडी से प्रमुख सीख यह मिलती है कि घरेलू फर्म पहले निम्न प्रौद्योगिकी से आरंभ कर के मूल्य श्रृंखला को आगे बढाती हैं, जैसे- असेंबली। उसके बाद विनिर्माण एवं संघटकों का कार्य करती हैं। इस प्रक्रिया में, अल्पावधि में घटकों के आयात में वृद्धि होती है।

मोबाइल फोन

- वर्ष 2018 में भारत, वियतनाम को पीछे छोड़कर चीन के बाद मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता बन गया। विश्व की 11 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत के पास है।
- भारत वर्ष 2025 तक विभिन्न खण्डों में लगभग 1.25 बिलियन हैंडसेट का निर्माण कर सकता है, जिससे यह उद्योग लगभग 230 बिलियन डॉलर का हो जाएगा।
- वर्ष 2013 से 2017 के मध्य, भारत के टेलिकॉम हैंडसेट का आयात 4.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 3.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था तथा टेलीकॉम पार्ट्स का आयात 1.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 9.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- इसी अवधि में टेलीकॉम हैंडसेट के निर्यात में पिछले तीन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। टेलीकॉम हैंडसेट के असेंबली केंद्र के रूप में भारत की उपस्थिति इस पैटर्न से सुसंगत है।

अध्याय 6: भारत में व्यवसाय को सुगम बनाने का लक्ष्य

(Targeting Ease of Doing Business in India)

विषय (Theme)

किसी भी राष्ट्र में उद्यमिता, नवाचार और अर्थ सृजन हेतु इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (EODB) एक अति महत्वपूर्ण घटक है। यह अध्याय उन मापदंडों (parameters) में भारत के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है जिसमें भारत पिछड़ रहा है और भारत के कार्यनिष्पादन की तुलना इसके समकक्षों (जैसे- चीन, ब्राजील और इंडोनेशिया) के साथ-साथ सर्वोतम प्रदर्शन करने वाले देशों के साथ की गई है। इस प्रकार यह अध्याय सुधार की संभावना को प्रदर्शित करता है।

परिचय (Introduction)

- वर्ष 2019 की वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत ने अत्यधिक सुधार करते हुए 63वां (वर्ष 2014 में 142वां स्थान) स्थान प्राप्त किया। हालांकि, भारत की स्थिति कुछ मानदंडों के के मामलों में पिछड़ी हुई है, जैसे, व्यवसाय प्रारम्भ करने की सुगमता (136वीं रैंक), संपत्ति का पंजीकरण (154वीं रैंक), करों का भुगतान (115वीं रैंक) और संविदाओं का प्रवर्तन (163वीं रैंक)।

वैश्विक तुलना (Global Comparisons)

मानदंड	भारत	समकक्ष देश	न्यूजीलैंड (EODB में प्रथम रैंक)
व्यापार को प्रारंभ करने के लिए प्रक्रिया और दिनों की संख्या	10 प्रक्रियाएं और 18 दिन	चीन- 4 प्रक्रियाएं और 9 दिन। इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे अन्य देशों में भी भारत की तुलना में व्यवसाय प्रारम्भ करने की कम जटिल प्रक्रिया विद्यमान है।	1 प्रकिया और आधा दिन
संपत्ति का पंजीकरण	9 प्रक्रियाएं, कम से कम 49 दिन और संपत्ति के पंजीकरण के लिए संपत्ति के मूल्य का 7.4-8.1 प्रतिशत शुल्क।	चीन में 4 प्रक्रियाएं, 9 दिन और संपत्ति के पंजीकरण के लिए संपत्ति के मूल्य का 4.6 प्रतिशत शुल्क।	2 प्रक्रियाओं और संपत्ति के पंजीकरण के लिए संपत्ति के मूल्य का 0.1 प्रतिशत शुल्क (निम्नतम लागत)।
करों का भुगतान	करों का भुगतान करने के लिए प्रतिवर्ष 250-254 घंटे।	चीन- 138 घंटें	140 घंटें
संविदाओं का प्रवर्तन	औसतन विवाद समाधान में 1,445 दिन (लगभग चार वर्ष) लगते हैं।	चीन- 496 दिन, ब्राजील- 801 दिन, इंडोनेशिया - 403 दिन।	216 दिन।

विभिन्न क्षेत्रों में विधिक जटिलता और सांविधिक अनुपालन आवश्यकता (Density of Legislation and Statutory Compliance Requirements in different sectors)

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि अधिकांश कंपनियों के समक्ष आने वाली एक बड़ी चुनौती विधिक जटिलता और सांविधिक अनुपालन की अपेक्षाओं सहित भारतीय संविधान के ढांचे की जटिल संरचना है।

- उदाहरण के लिए:
  - **विनिर्माण:** भारत में विनिर्माण इकाइयों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले इस प्रकार के 51 अधिनियम और इनकी 6,796 धाराएं/विनियम विद्यमान हैं, जिनके अनुपालन की आवश्यकता है।
  - **सेवाएँ:** यह क्षेत्र रेस्तरां खोलने जैसे सामान्य व्यवसाय के संबंध में भी कई नियामक बाधाओं का सामना करता है।

VISION IAS

- आर्थिक समीक्षा से यह ज्ञात होता है कि भारत में एक रेस्तरां खोलने के लिए अपेक्षित लाइसेंसों की संख्या 12-16 है, जबकि चीन और सिंगापुर जैसे देशों में केवल 4 लाइसेंसों की आवश्यकता होती है।
- इसके अतिरिक्त, दिल्ली और कोलकाता जैसे राज्यों में एक 'पुलिस ईटिंग हाउस लाइसेंस' की भी आवश्यकता होती है। दिल्ली पुलिस से यह लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या 45 है जो नए हथियारों और अत्यधिक मात्रा में पटाखों के क्रय-विक्रय करने के लिए लाइसेंस हेतु अपेक्षित दस्तावेजों की संख्या की तुलना में कहीं अधिक है, जो क्रमशः 19 और 12 हैं।
- आर्थिक समीक्षा भारत में एक रेस्तरां खोलने के संदर्भ में व्यतिरेक सरकारी नियंत्रण बनाम क्युरेशन/साझेदारी जैसे दृष्टिकोण में भिन्नता को प्रतिबिंबित करता है। उदाहरण के लिए, भारत में केवल किसी सरकारी पोर्टल या सूचना केंद्र से केवल लाइसेंसों और अनुमतियों की सूची प्राप्त की जा सकती है, दूसरी ओर, न्यूजीलैंड में ऑकलैंड काउंसिल की वेबसाइट (एक निजी थर्ड-पार्टी एजेंसी द्वारा संचालित), एक रेस्तरां खोलने के लिए अनुमतियों, फीस और टाइम लाइन के बारे में व्यवसाय के पैमानों के बावजूद विभिन्न व्यवसायों पर उपयोग करने के लिए तैयार व्यवसाय योजना संबंधी टेम्पलेट्स और व्यापक सूचना से भी सुसज्जित है।

व्यापार के बड़े पैमाने को प्राप्त करना (Achieving scale across a business)

- आर्थिक समीक्षा के अनुसार, भारत में व्यवसाय कार्य क्षमता से संबंधित मामले में मुख्य समस्या पैमानों (स्केल) की है। अधिकांश निर्माण इकाईयों की क्षमता निम्न होती है और इस प्रकार निम्न निर्माण क्षमता का नकारात्मक प्रभाव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ता है।
- बांग्लादेश, चीन और वियतनाम की तुलना में, बड़े उद्यमों द्वारा किए जा रहे निर्यात का बाजार मूल्य 80 प्रतिशत से अधिक है और भारत में लघु उद्यमों का 80 प्रतिशत योगदान है।

सीमापार व्यापार (Trading across borders)

- सीमापार व्यापार संकेतक, सामग्रियों (माल) के निर्यात और आयात हेतु लॉजिस्टिक्स संबंधी प्रक्रिया से संबद्ध समय और लागत का अभिलेख दर्शाते हैं।
- जहाँ भारत से निर्यात और आयात के लिए सीमा पर और दस्तावेजीय अनुपालन में लगने वाला समय क्रमश: 60-68 और 88-82 घंटे हैं, वहीं इटली में केवल एक घंटे का ही समय लगता है। इसके अतिरिक्त, इटली में अनुपालन लागत शून्य है। भारत के मामले में, निर्यात और आयात के लिए इसकी लागत क्रमशः 260-281 अमेरिकी डॉलर और 360-373 अमेरिकी डॉलर है।
- लगभग 70 प्रतिशत विलंब (निर्यात और आयात दोनों मामलों में) पत्तन अथवा सीमा पर ऐसी हैंडलिंग प्रक्रियाओं के कारण होता है, जो अनिवार्यत: प्रक्रियात्मक जटिलताओं (व्यापार के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं की अनेकता और विवधता), विविध दस्तावेजीय प्रक्रियाओं तथा अनुमोदन और अनुमति के लिए विविध एजेंसियों की कार्रवाई से संबंधित होती है।
- इस समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि यद्यपि भारत ने डिजिटलीकरण में वृद्धि करके और विविध एजेंसियों को एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करके (प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक जैसी योजनाओं के माध्यम से) प्रक्रियात्मक और दस्तावेज़ीय अपेक्षाओं को पहले ही कम कर दिया है, तथापि इन प्रक्रियात्मक अक्षमताओं को और भी कम किया जा सकता है तथा प्रयोक्ता अनुभव में अत्यधिक सुधार लाया जा सकता है।

प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (Authorised Economic Operator: AEO)

- यह वैश्विक व्यापार को सुरक्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए **विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO)** के **सेफ (Secure and Facilitate Trade: SAFE) फ्रेमवर्क ऑफ़ स्टैंडर्ड्स** के तत्वावधान में संचालित एक कार्यक्रम है।
- यह एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा में वृद्धि करना तथा माल की आवागमन को सुगम बनाना है।
- इस कार्यक्रम के तहत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न प्रतिष्ठानों को सीमा शुल्क द्वारा आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा मानकों के अनुपालनकर्ता के रूप में अनुमोदित किया जाता है और AEO का दर्जा प्रदान किया जाता है। उस इकाई को तब एक 'सुरक्षित' व्यापारी और विश्वसनीय व्यापारिक भागीदार माना जाता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला के प्रमुख हितधारकों अर्थात् आयातक, निर्यातक, लॉजिस्टिक्स प्रदाता, कस्टोडियन या टर्मिनल ऑपरेटर, कस्टम ब्रोकर और वेयरहाउस ऑपरेटर (जो सीमा शुल्क अधिकारियों से प्राप्त अधिमान्य उपचार से लाभान्वित

VISION IAS

होते हैं) के साथ घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से कार्गो सुरक्षा को बढ़ाने और सुव्यवस्थित करने के लिए भारतीय सीमाशुल्क विभाग को सक्षम बनाता है।

- इन लाभों के अंतर्गत तीव्र मंजूरी प्रक्रिया, निम्न जांच प्रक्रिया, आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के मध्य उन्नत सुरक्षा और संचार जैसे लाभ शामिल हैं।

विशिष्ट खंडों में संभारतंत्र में भारत का निष्पादन (India's Performance in Logistics in Specific Segments)

कारखानों से लेकर विदेशी ग्राहकों तक विशिष्ट व्यापारिक मदों को पहुँचाने के क्रम में, इस आर्थिक समीक्षा में आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में लगने वाले समय का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न केस स्टडीज और उद्योगों से प्राप्त डेटा की एक श्रृंखला का उपयोग किया गया है।

- भारत से परिधान और कार्पेट का निर्यात करने तथा बंदरगाहों के माध्यम से भारत में कार्पेट का आयात करने जैसे क्षेत्रों का केस अध्ययन निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं:
  - भारतीय समुद्री-पत्तनों में लोडिंग और सीमा शुल्क प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब।
  - इसके विपरीत आयात प्रक्रिया, निर्यात प्रक्रिया से अपेक्षाकृत बेहतर है।
  - प्रक्रियागत विलंब का अभिप्राय यह है कि निर्यातकों को अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिससे पत्तन पर उन्हें अपनी वस्तुओं को लंबे समय तक रखना होता है। इससे पत्तन पर अन्य निर्यातकों के सामान को रखने हेतु स्थान की कमी हो जाती है।

कार्पेट निर्यात संबंधी केस अध्ययन (Case Study of Exporting Carpets)

- मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) के कार्पेट विनिर्माता की एक कंसाइनमेंट (जो AEO है) को न्यू जर्सी (संयुक्त राज्य अमेरिका) में निर्यात गंतव्य तक पहुंचने में 40 दिन लगते हैं। इस समय का विवरण निम्नलिखित है:
  - हरियाणा के पियाला अवस्थित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (Inland Container Depot: ICD) तक शिपमेंट पहुंचने में लगने वाला समय - 2 दिन;
  - ICD में सीमा शुल्क विभाग द्वारा कंसाइनमेंट को क्लीयर करने में लगने वाला समय - 1 दिन;
  - स्टफिंग कंटेनर (अर्थात् सामग्री को लोड करना) - 3 दिन;
  - मुंद्रा समुद्री पत्तन तक परिवहन: 3-4 दिन;
  - पत्तन में प्रवेश के लिए कतार में लगने वाला समय: 6-7 घंटे;
  - पोत पर लदान और प्रस्थान - 3 दिन;
  - समुद्री परिवहन में लगने वाला समय - 23 दिन;
  - अमेरिका में कंसाइनमेंट क्लियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला समय - 4-5 दिन।
- यद्यपि, एक AEO होने के कारण भारत से किसी शिपमेंट के प्रस्थान में लगने वाले समय (दिनों की संख्या) में उल्लेखनीय कमी (पूर्व के मामले की तुलना में) आई है, तथापि इसमें अभी भी अत्यधिक समय लगता है।

आयातित कार्पेट का केस अध्ययन (Case Study of Importing Carpets)

- इटली के मिलान से राजस्थान के ब्यावर के एक गोदाम तक पहुंचने में कार्पेट के आयात में लगभग 31 दिन लगते हैं। इस समय का विवरण इस प्रकार है:
  - शिपमेंट को नेपल्स तक पहुंचाने में - 10 घंटे;
  - कस्टम क्लीयरेंस और जहाज को लोड करने में - 3 घंटे;
  - समुद्री परिवहन में लगने वाला समय - 23 दिन;
  - मुंद्रा बंदरगाह पर प्रवेश के इंतजार और कस्टम क्लीयरेंस में - 6 दिन;
  - अंत में कंसाइनमेंट को सड़क मार्ग से ब्यावर तक पहुंचने में - 2 दिन का समय लगता है।

- इसके विपरीत, बेंगलुरु हवाई अड्डे के माध्यम से किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्रियों का आयात और निर्यात विश्व स्तरीय है। यह परिवर्तित होते कारोबारी परिवेश में AEO नीति के लागू होने के प्रभावों को भी परिलक्षित करता है। इसी केस अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं:
  - भारतीय वायुपत्तनों पर प्रक्रियाएं आयात और निर्यात दोनों के लिए समुद्री पत्तनों की तुलना में अत्यधिक बेहतर हैं;

VISION IAS

- AEO ने इस प्रक्रिया में अत्यधिक सुधार किया है, हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स आयात / निर्यात करने वाले गैर-AEO ऑपरेटरों के लिए भी यह काफी अनुकूल है।
- भारतीय प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पीछे छोड़ सकती हैं।
- ऐसे में भारतीय वायुपत्तनों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को बंदरगाहों के संबंध में भी अपनाया जाना चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्रियों के निर्यात और आयात का केस अध्ययन (Case Study of export and import of Electronics)

बेंगलुरु से हांगकांग में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में लगने वाला समय इस प्रकार है (AEO पंजीकृत और गैर-पंजीकृत दोनों के लिए):

- कारखाने में शिपमेंट के तैयार हो जाने के पश्चात्, इसे केंपेगौड़ा हवाई अड्डे तक ले जाने में लगने वाला समय - 3 घंटे;
- हवाई अड्डे पर निर्यात टर्मिनल में प्रवेश - 1 घंटा;
- सीमा शुल्क और जांच प्रक्रिया के लिए हवाई अड्डे पर लगने वाला कुल समय - AEO ओपरेटरों के लिए केवल 2 घंटे और गैर-AEO ओपरेटरों के लिए 6 घंटे;
- AEO के कार्यान्वयन के पश्चात्, हांगकांग (7 घंटे) की तुलना में भारत (6 घंटे) में लगने वाला कुल समय कम हो गया है।

निष्कर्ष

अत: समग्र मूल्यांकन करना और कारोबार विनियमों को सरल बनाने हेतु सतत प्रयास करना तथा कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल परिवेश का निर्माण करना एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार होगा, जो भारत को प्रतिवर्ष 8-10 प्रतिशत की सतत संवृद्धि दर प्राप्त करने में सहायता करेगा और वर्ष 2024-25 तक भारत को 5 ट्रीलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में सक्षम करेगा।

अध्याय 7: बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्ण जयंती: एक समीक्षा

(Golden Jublee of Bank Nationalization: Taking Stock)

विषय (Theme)

आर्थिक समीक्षा के इस अध्याय में, भारत के बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति और मुद्दों को रेखांकित किया गया है और इनकी तुलना इनके समकक्षों के साथ की गई है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दक्षता संवर्धन हेतु बैंकिंग कार्यों में वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) और समस्त स्तरों पर कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व के उपयोग का सुझाव दिया गया है। यह सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग नेटवर्क (PSBN) के विचार से भविष्य में बैंकिंग क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) एवं मशीन लर्निंग के उपयोग को भी दर्शाती है।

परिचय (Introduction)

- समीक्षा में उल्लेख किया गया है कि, अर्थव्यवस्था के आकार (GDP), अर्थव्यवस्था के विकास (GDP प्रति व्यक्ति) और जनसंख्या के अनुपात की तुलना में भारतीय बैंक असमान रूप से लघु हैं।
- समीक्षा में कहा गया है कि वर्ष 2013 के बाद से PSB (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) के बीच ऋण वृद्धि में तेजी से गिरावट आई है क्योंकि नए निजी बैंकों (NPB) की ऋण वृद्धि (15% से 29% के बीच) अधिक थी।
- अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों का उपयोग करते हुए, इस समीक्षा में यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुपात की दृष्टि से, वैश्विक स्तर के शीर्ष 100 बैंकों में भारत के कम से कम छह बैंक शामिल होने चाहिए। यदि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का प्रयोजन रखता है, तो यह संख्या आठ होनी चाहिए।
- PSB और NPB के बीच प्राथमिक अंतर कार्यकुशलता में अंतर से उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार यह PSB के भीतर कार्यकुशलता में सुधार का समर्थन करती है।

सामाजिक लक्ष्यों और वित्तीय प्रतिलाभों का समेकन: माइक्रोफाइनेंस का मामला (Merging Social goals and Financial Returns: Case for Microfinance)

- वर्ष 2000 के उपरांत, MFIs (सूक्ष्म वित्तीय संस्थनों) ने सामाजिक लक्ष्य के अनुसरण के अपने विशुद्ध लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए, सामाजिक और वित्तीय प्रतिफल प्राप्त करने की दोहरी अंतर्निहित संकल्पना (double bottom-line approach) का अनुसरण प्रारम्भ किया है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2005 को माइक्रोफाइनेंस इयर के तौर पर घोषित किया था, जहाँ निर्धनता उन्मूलन के संबंध में MFIs की भूमिका को रेखांकित किया गया था।
- वर्ष 2016 की स्थिति के अनुसार, 97 प्रतिशत ऋण धारक महिलाएं थी और लगभग 30 प्रतिशत ऋण धारक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा 29 प्रतिशत अल्पसंख्यकों वर्ग से थे। इस प्रकार यह दर्शाता है कि इन MFIs द्वारा दिए जाने वाले ऋण प्राथमिक तौर पर समाज के सीमांत वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

बैंकिंग संरचना: राष्ट्रीयकरण से वर्तमान तक (Banking Structure: Nationalization to Today)

- 1980 के राष्ट्रीयकरण के बाद, राष्ट्रीय बैंकिंग बाजार में PSB की हिस्सेदारी 91% से घटकर वर्तमान में 70% रह गई है। इसका कारण उदारीकरण के बाद 1990 के दशक के आरंभ में नए निजी बैंकों (NPB) का आगमन रहा है।
- सरकार PSB संचालन के समस्त कार्यों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखती है। परिणामस्वरूप बैंक की देयता के प्रति बेलआउट के संबंध में सरकार की अंतर्निहित वचनबद्धता होती है। इसके अतिरिक्त, PSB अधिकारी CVC और CAG की जांच के अधीन होते हैं, जो इन्हें जोखिम लेने से सावधान करते हैं।

राष्ट्रीयकरण के लाभ (Benefits of Nationalization)

- ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बैंकिंग संसाधनों के आवंटन में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, 19691980 की अवधि में:
    - ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या में दस गुना वृद्धि हुई।
    - ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण में बीस गुना वृद्धि हुई।
    - कृषि ऋण में चालीस गुना की वृद्धि हुई है (GDP के 2% से बढ़कर 13%)।

आर्थिक समीक्षा का सारांश

VISION IAS

- इस आर्थिक समीक्षा में इस बात पर चर्चा की गयी है कि क्या ये लाभ पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण के कारण प्राप्त हुए हैं? क्योंकि इस अवधि में हरित क्रांति, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम (जैसे- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम) और RBI की नीतियां (जैसे- RBI के 4:1 सूत्र) जैसी कई अन्य घटनाएँ भी घटित हुई हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कमजोर होना (The Weakening of Public Sector Banks)

- वर्ष 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल और निवल NPAs क्रमशः 7.4 लाख करोड़ रूपये और 4.4 लाख करोड़ रूपये रहा, जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का लगभग 80 प्रतिशत है। (PSBs का सकल NPAs उनके सकल अग्रिम का 11.59 प्रतिशत है।)
- बैंक धोखाधड़ी के मामलों का 92.9% हिस्सा PSBs से संबंधित है। इन धोखाधड़ी के मामलों का एक बड़ा हिस्सा (90.2%) अग्रिम राशियों (advances) से संबंधित है। यह सुझाव दिया गया है कि PSBs द्वारा अंगीकृत ऋण नीति में स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग प्रक्रिया की गुणवत्ता पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
- PSBs में निवेश किए गए करदाताओं के एक रुपये पर 71 पैसे के समतुल्य बाजार मूल्य प्राप्त होता है। जबकि, NPB में निवेश किए गए एक रुपये पर 3.70 रूपये के समतुल्य बाजार मूल्य प्राप्त होता है, अर्थात्, PSBs में निवेश किए गए रुपये के मूल्य से पाँच गुना अधिक।
- PSBs, NPB की तुलना में परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (Return-on-Assets: ROA), इक्विटी पर प्रतिलाभ (Return-on-Equity: ROE) और कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio: CAR) जैसे संकेतकों पर अत्यल्प प्रदर्शन करते हैं।
- समीक्षा द्वारा सुझाव: PSBs की NPA समस्याओं के लिए एक स्वीकार्य स्पष्टीकरण यह है कि वर्ष 2004 और 2011 के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के चरण में, PSBs ने अपने ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि की है, लेकिन यह ऋण वृद्धि संदिग्ध गुणवत्ता की रही थी।

PSB की क्षमता में वृद्धि करना: भावी परीदृश्य (Enhancing Efficiency of PSBs: The Way Forward)

- यह समीक्षा सकारात्मक जनसांख्यिकीय लाभांश, आधुनिक डिजिटल अवसंरचना (JAM ट्रिनिटी, आधार और मोबाइल फोन नेटवर्क की पैठ द्वारा चालित) और GST संरचना जैसे कारकों के साथ भारत की महत्वपूर्ण स्थिति का लाभ उठाने का समर्थन करती है।
- PSBs की दक्षता में वृद्धि करने के लिए नरसिम्हन समिति (वर्ष 1991 और 1997), राजन समिति (वर्ष 2007) और पी. जे. नायक समिति (वर्ष 2014) जैसी विभिन्न समितियों द्वारा प्रदत्त सुझावों के अतिरिक्त, सर्वेक्षण ने अक्षमताओं को कम करने के लिए निम्नलिखित दो समाधानों पर बल दिया है:
  - समस्त बैंकिंग कार्यों में फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) का उपयोग; तथा
  - समस्त स्तरों पर कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व (Employee Stock Ownership)।

ऋणदाताओं की संपार्श्विक की सुरक्षा हेतु डेटा का उपयोग करना (Using Data to Protect Creditor's Collateral)

विलफुल डिफॉल्टर्स के पास अपनी संपार्श्विक की कीमत को गलत बताने या ऋणदाता की जानकारी के बिना अपनी संपत्ति का निपटान करने का एक आसान तरीका होता है। हालांकि, निम्नलिखित तरीकों से डेटा का उपयोग कर इसे रोका जा सकता है:

- संपार्श्विक संपत्तियों की जिओ टेंगिग।
- मोबाइल एसेट्स (चल परिसंपत्तियों) में GPS उपकरणों का उपयोग।
- संपार्श्विक के संबंध में सभी ऋणदाताओं के लिए समेकित डेटा सृजन।

इसलिए गोपनीयता संबंधी उल्लंघनों से बचने के लिए (अर्थात् किस प्रकार के डाटा को एकत्रित किया जाए, उन्हें कैसे एकत्रित किया जाए, किसके द्वारा और कब तक के लिए एकत्रण) ठोस और स्पष्ट दिशानिर्देश की आवश्यकता है।

PSBs में वित्तीय प्रौद्योगिकी का उपयोग (Use of Financial Technology in PSBs)

- समीक्षा में वित्तीय प्रौद्योगिकी (FinTech) के अधिग्रहण के लिए PSBs के पास महत्वपूर्ण सामग्रियों की उपलब्धता को दर्शाया गया है, उदाहरण के लिए- स्थानीय बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान, अनेक दशकों की ऐतिहासिक परिचालन पृष्ठभूमि, व्यापक भौगोलिक पहुंच और संरचित एवं असंरचित डेटा की वृहत उपलब्धता।

VISION IAS

- इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए, निम्नलिखित क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है:
  - इन प्रचलित संरचित और असंरचित डेटा का उपयोग करने के लिए नए डेटा, विश्लेषण और मॉडलिंग तरीकों की आवश्यकता है।
  - इस प्रणाली को अतिरिक्त विनिवेश, जैसे- विश्लेषण उन्मुखता युक्त विशिष्ट मानव पूंजी की आवश्यकता है।
- साख विश्लेषण का प्रयोग करने के अनेक लाभ हो सकते हैं, जैसे- NPAs के बहुत बड़े भाग को कम करना (जैसा कि अध्याय-3 में विलफुल डिफॉल्टरों की पहचान में देखा गया था), खुदरा उधारी में वृद्धि (जैसा कि उपभोक्ता साख डेटा के उपयोग के बाद देखा गया था) आदि।
- समीक्षा GSTN (गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क) के आधार पर PSB नेटवर्क (PSBN) के निर्माण के लिए तर्क प्रस्तुत करती है। जिसके निम्नलिखित संभावित लाभ हो सकते हैं:
  - मशीन लर्निंग (ML), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के साथ-साथ बिग डेटा तथा मैचिंग, बैंकों को विशाल डेटासेट का विश्लेषण करके पैटर्न को पहचानने की क्षमता प्रदान करते हैं।
  - यह उच्च प्रचालन लागत, मैनुअल परिचालन प्रक्रियाओं तथा व्यक्तिपरक निर्णयन जैसी कई चुनौतियों का समाधान करता है।
  - AI-MLमॉडल को न केवल तब नियोजित किया जा सकता है जब नए ऋण के लिए कॉर्पोरेट की जाँच करनी होती है, बल्कि कॉर्पोरेट ऋणी की सतत निगरानी के लिए भी नियोजित किया जा सकता है।
  - PSBN, विगत 50 वर्षों के PSBs के सभी डेटा का लाभ उठाने में PSBs को सहायता कर सकता है।
- इसने निम्नलिखित संरचना का प्रस्ताव दिया है:

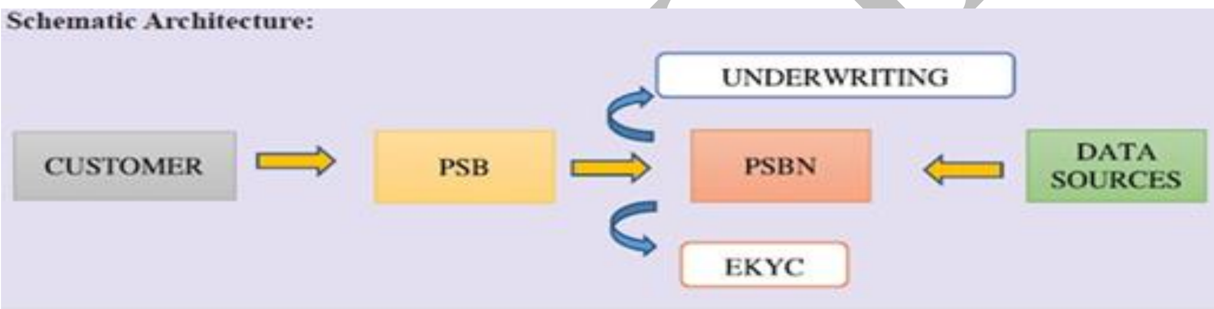

PSBN के लिए तंत्र (Mechanism for PSBN): ग्राहक PSB से संपर्क स्थापित करता है तथा अपनी ऋण आवश्यकता को इंगित करता है और तत्पश्चात PSB इस सूचना को PSBN को स्थांतरित करता है। PSBN द्वारा KYC की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है और यह ग्राहकों की क्रेडिट प्रोफाइल तैयार करता है। इसके अतिरिक्त, इस प्रोफाइल के आधार पर PSB, ऋण की राशि और दर के संबंध निर्णय करता है।

PSB में कर्मचारी हिस्सेदारी (Employees Stakes in PSBs)

- समीक्षा का तर्क है कि वर्तमान वेतन-आधारित क्षतिपूर्ति तंत्र कर्मचारियों को जोखिम लेने और नवाचार की बजाए उन्हें सुरक्षा एवं संरक्षणवाद को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- समीक्षा समाधान के रूप में यह दर्शाती है कि सरकारी अंश के एक हिस्से को कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (Employee Stock Option Plans: ESOP) के माध्यम से संगठन के सभी स्तरों पर बेहतर निष्पादन करने वाले कर्मचारियों को अंतरित किया जा सकता है।
- यह योजना जोखिम उठाने और कर्मचारी को उन्हें एक मालिक वाली मनोदशा में परिवर्तित करने में सहायता कर सकती है।
- समीक्षा यह भी अनुशंसा करती है कि PSBs को अत्याधुनिक भर्ती प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता है जिसमें पेशेवरों के पार्श्व प्रवेश तथा प्रवेश स्तर पर पेशेवर रूप से प्रशिक्षित लोगों को भर्ती करना शामिल है।

निष्कर्ष (Conclusion)

- समीक्षा में कहा गया है कि उपर्युक्त सभी सुझावों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर एक निश्चित व समयबद्ध कार्य-योजना तैयार की जानी चाहिए।
- साथ ही, बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा देने तथा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India: IBBI) जैसे आवश्यक विधिक ढांचे को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है तथा बैंकिंग प्रणाली को अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

VISION IAS

अध्याय 8: NBFC सेक्टर में वित्तीय भंगुरता

(Financial Fragility in the NBFC Sector)

विषय (Theme)

इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विस (IL&FS) की सहायक कंपनियों और दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) द्वारा भुगतान चूक (डिफ़ॉल्ट) के आलोक में, इस अध्याय का उद्देश्य आवास वित्त कंपनियों (Housing Finance Companies: HFC) और रिटेल-NBFCs में विभेद करते हुए NBFCs (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां) सेक्टर के समक्ष उत्पन्न जोखिमों को समाप्त करना है। इस अध्याय में एक हेल्थ स्कोर के सृजन के बारे में भी उल्लेख किया गया है जो NBFCs के बेहतर वित्तीय विनियमन के लिए एक नीतिगत उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है।

समस्या (What happened)?

- IL&FS की दो सहायक कंपनियों द्वारा जून से सितंबर 2018 की अवधि के मध्य भुगतान करने में चूक (डिफ़ॉल्ट) की गई, जबकि DHFL द्वारा ऐसी चूक ही जून से अगस्त 2019 की अवधि के दौरान की गई।
- चूक की राशि लगभग 1500-1700 करोड़ रुपये थी।
- संबंधित डेब्ट म्यूचुअल फंड्स ने इन दबावग्रस्त NBFCs में अपने निवेश को आहरित करना शुरू कर दिया और इन NBFCs की संपत्तियों की जल्दबाजी में कम कीमतों पर बिक्री होने लगी थी।
- इसके परिणामस्वरूप दबावग्रस्त NBFCs की इक्विटी के मूल्यों में गिरावट हुई, जिसने फंड जुटाने के लिए NBFCs की क्षमता को कम कर दिया। इसके परिणामस्वरूप समग्र साख वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ा तथा साथ ही सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि में गिरावट आई।

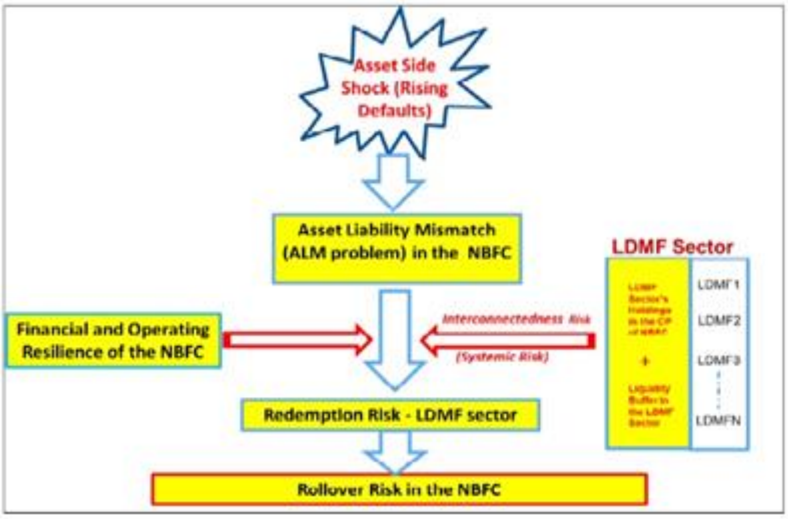

आवर्ती जोखिम (Rollover risk)

- NBFCs अल्पकालिक बाजार से पूँजी जुटाते हैं किंतु NBFCs की परिसंपत्तियां दीर्घकालिक होती हैं। इस प्रकार, अल्प आवृत्तियों पर ऋण को पुनः वित्तपोषण करने की आवश्यकता होती है। बारंबार मूल्य परिवर्तन के कारण NBFCs को उच्च वित्तपोषण लागत का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के पुनः वित्तपोषण जोखिम को रोलओवर जोखिम के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- रोलओवर जोखिम परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन, **लिक्विड डेब्ट म्यूचुअल फंड (LDMF) क्षेत्र** और वित्तीय एवं परिचालन लचीलापन के साथ अंतर्संबद्ध जोखिमों का एक संयोजन है।
- **आस्ति-देयता के असंतुलन से उत्पन्न जोखिम (Risks from Asset-Liability Mismatch)**
    - यह जोखिम अधिकांश वित्तीय संस्थानों में आस्तियों और देयताओं की अवधि के मध्य असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है। सामान्य तौर पर आस्तियों की तुलना में देयताओं की समयावधि लघुत्तम होती है, जिसमें दीर्घत्तर अवधि के होने की प्रवृति होती है।
- **परस्पर संबद्धता से उत्पन्न जोखिम (Risks from Interconnectedness)**
    - यह जोखिम तब उत्पन्न होता है जब NBFCs की देयता संरचना अल्पकालिक **थोक निधियों पर अत्यधिक** निर्भर होती है। **LDMF** क्षेत्र थोक अल्पावधिक वित्तपोषण का एक प्राथमिक स्रोत है। यह परस्पर संबद्धता NBFCs क्षेत्रक से **LDMF** क्षेत्रक में और इसके विपरीत स्थिति में भी प्रणालीगत जोखिम के प्रेषण का एक माध्यम है।
    - यह किस प्रकार घटित होता है? यदि **LDMF** सेक्टर को विमोचन (redemption) दबाव का सामना करना पड़ता है, तो यह NBFC सेक्टर के लिए वित्तपोषण (रोलओवर) ऋण प्रदान करने हेतु अनिच्छुक होता है, जिसके कारण NBFC क्षेत्र

में तरलता की कमी होती है। विमोचन दबाव को आस्तियों की परिपक्वता तिथि पर या उससे पूर्व किसी भी प्रतिभूति के पुनर्भुगतान दबाव के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

- **वित्तीय और परिचालन लचीलापन** {NBFCs के बैलेंस शीट (तुलनपत्र) का सामर्थ्य और संबंधित जोखिम}
  - NBFC के वित्तीय लचीलापन की माप हैं: उधार के प्रतिशत के रूप में वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper: CP), पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) और प्रावधान नीति (provisioning policy)।
  - NBFC के परिचालन लचीलापन की माप हैं: ऋण के प्रतिशत के रूप में नकद, ऋण की गुणवत्ता और परिचालन व्यय अनुपात {Operating Expense Ratio (Opex Ratio)}।
- रोलओवर जोखिम के संबंध में,आवास वित्त कंपनियों (HFCs) और रिटेल-NBFCs की संरचना में निम्नलिखित भिन्नताएं विद्यमान हैं:

	आवास वित्त कंपनियां (HFCs)	रिटेल-NBFCs
अंतर	HFCs के पास आवास ऋण (15 से 20 वर्ष की अवधि के लिए) आदि जैसी महत्वपूर्ण दीर्घावधि की आस्तियां होती हैं। HFCs अल्पावधि के **थोक वित्तपोषण के प्रति अल्प जोखिमग्रस्त होते हैं।** (वर्ष 2014-19 से वाणिज्यिक पत्र पर औसत निर्भरता 4.68% है)।	**रिटेल-NBFCs** के पास तुलनात्मक रूप से **मध्यम अवधि की आस्तियां,** जैसे- गोल्ड लोन, ऑटो लोन आदि होती हैं। रिटेल-NBFC अल्पावधि के **थोक वित्तपोषण के प्रति अधिक जोखिमग्रस्त होते हैं।** (इस मामले में वाणिज्यिक पत्र पर औसत निर्भरता 13.13% है)।
जोखिम प्रोफाइल पर प्रभाव	दीर्घकालिक आस्तियों के कारण **आस्ति देयता प्रबंधन (ALM)** जोखिम का भय होता है।	अल्पकालिक ऋण जोखिम के कारण **परस्पर संबद्धता जोखिम** का भय होता है।
समानता	वित्तीय और परिचालन लचीलापन एक प्रमुख कारक है।	वित्तीय और परिचालन लचीलापन एक प्रमुख कारक है।

हेल्थ स्कोर में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण मेट्रिक्स (Some important metrics used in Health Score)

- **अल्पकालिक अस्थिर पूंजी:** इसकी माप NBFC की उधारियों के प्रतिशत के रूप में CP द्वारा की जाती है।
- **आस्ति गुणवत्ता:** इसकी माप NBFC के समग्र ऋण पोर्टफोलियो में खुदरा ऋणों के अनुपात द्वारा की जाती है।
- **अल्पकालिक तरलता:** इसकी माप NBFC के समग्र उधारियों में नकदी की प्रतिशतता द्वारा की जाती है।
- **प्रावधान नीति:** इसकी माप किसी भी वित्तीय वर्ष में अशोध्य ऋणों के लिए की गई व्यवस्था और अनुवर्ती वित्त वर्ष में कुल NPA के मध्य अंतर के द्वारा की जाती है।
- **पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR):** यह जोखिम-भारित आस्तियों (RWA) के प्रतिशत के रूप में NBFC द्वारा धारित टियर-I और टियर-II पूंजी का योग है।
- **प्रचालक व्यय अनुपात:** इसकी माप चालू वित्तीय वर्ष के अंत में और विगत वित्त वर्ष के अंत में बकाया ऋणों के औसत द्वारा विभाजित किसी वित्त वर्ष में प्रचालक व्ययों द्वारा की जाती है।

हेल्थ स्कोर (Health Score)

- समीक्षा द्वारा एक **गतिशील स्वास्थ्य सूचकांक** अर्थात हेल्थ स्कोर सृजित किया गया है, जो यह तर्क प्रस्तुत करता है कि इसका उपयोग NBFC में तरलता के जोखिमों का पुर्वानुमान करने हेतु किया जा सकता है।
- इस सूचकांक की **रेंज -100 से लेकर +100 के बीच है,** जिसमें फर्म/सेक्टर का उच्चतर स्कोर उच्चतर वित्तीय स्थिरता को निर्दिष्ट करता है।

VISION IAS

- समीक्षा में यह प्रेक्षण किया गया है कि हेल्थ स्कोर में सुधार NBFCs द्वारा उत्पन्न प्रतिफल में वृद्धि के साथ दृढ़ता से संबंधित है।
- समीक्षा द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक का उपयोग यह प्रदर्शित करने के लिए भी किया गया है कि यह पूर्व में NBFCs क्षेत्र में तनाव की पहचान करने में किस प्रकार सक्षम रहा होगा।

नीतिगत निहितार्थ (Policy Implications)

- समीक्षा में यह उल्लेखित है कि **NBFCs की अधिक निगरानी बढ़ाने के लिए** हेल्थ स्कोर का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही, हेल्थ स्कोर के घटकों में रुझानों का विश्लेषण अपनाए जा सकने वाले उचित सुधारात्मक उपायों को रेखांकित कर सकता है।
- जब अत्यधिक नकदी की कमी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो नियामक योग्य NBFCs के लिए इष्टतम **पूंजी निवेश को बेहतर रूप से निर्देशित करने के लिए** हेल्थ स्कोर का उपयोग आधार के रूप में किया जा सकता है।
- उपर्युक्त विश्लेषण का उपयोग थोक विक्रय वित्तपोषण की मात्रा पर ऐसी विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है, जिनकी आभासी (शैडो) बैंकिंग प्रणाली में फर्मों के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है।

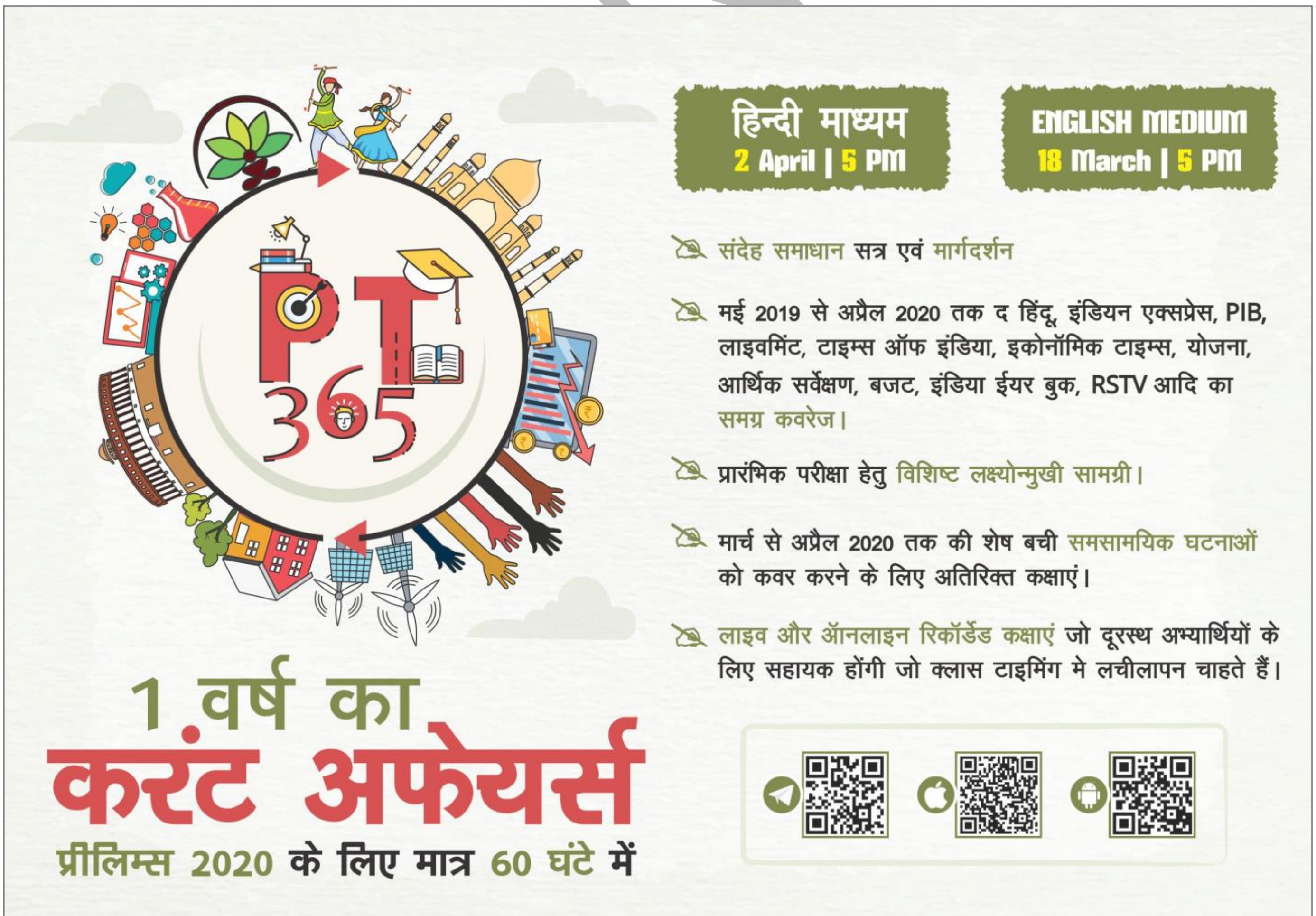

अध्याय 9: निजीकरण और धन सृजन

(Privatization and Wealth Creation)

विषय (Theme)

यह अध्याय सरकार द्वारा निजीकरण किए जाने से पूर्व-पश्चात् केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) के निष्पादन का विश्लेषण करता है। निजीकरण से दक्षता प्राप्ति के महत्व को समझते हुए, समीक्षा में सरकार के लिए समान संसाधनों से अधिक अर्जित करने हेतु CPSEs के रणनीतिक विनिवेश पर बल दिया गया है।

सरकार द्वारा अपनाए गए विनिवेश नीति के विभिन्न तरीके (Various modes of disinvestment policy followed by the Government:):

- **सूचीबद्ध CPSEs में अल्पांश हिस्सेदारी के विक्रय के माध्यम से विनिवेश,** ताकि न्यूनतम 25% सार्वजनिक हिस्सेदारी के मानकों को प्राप्त को किया जा सके। हालांकि, CPSEs का विनिवेश करते समय सरकार बहुसंख्य हिस्सेदारी अर्थात् 51 प्रतिशत शेयर और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबंधन व नियंत्रण कार्य अपने पास रखेगी।
- **CPSEs की लिस्टिंग:** लोगों को स्वामित्व की सुविधा देने हेतु और शेयरधारकों को जवाबदेही के माध्यम से कंपनियों की क्षमता बढ़ाने के लिए CPSEs की लिस्टिंग की गई है। अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के 57 उपक्रमों को सूचीबद्ध किया जा चूका है, जिनका कुल बाजार पूंजीकरण 13 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
- **रणनीतिक विनिवेश:** इसमें प्रबंधन व नियंत्रण कार्यों को हस्तांतरित करने के साथ-साथ CPSEs में 50 प्रतिशत या उससे अधिक की सरकार की हिस्सेदारी की बिक्री शामिल है।
    - **रणनीतिक विनिवेश के लिए नीति आयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पहचान करता है।** इस उद्देश्य के लिए, नीति आयोग ने निम्नलिखित आधारों पर PSUs को "उच्च प्राथमिकता" (high priority) और "निम्न प्राथमिकता" (low priority) वाले CPSEs में वर्गीकृत किया है: (a) राष्ट्रीय सुरक्षा (b) कम से कम सरकारी हस्तक्षेप (Sovereign functions at arm's length) और (c) बाजार अपूर्णता और लोक प्रयोजन (Market Imperfections and Public Purpose)।
        - "कम प्राथमिकता" के तहत आने वाले PSUs को रणनीतिक विनिवेश के लिए चिन्हित किया गया है।
- **शेयरों की वापसी-खरीद (Buy-back of shares):** जिन PSUs के पास अत्यधिक अधिशेष मौजूद है, उनके द्वारा शेयरों का बायबैक।
- **विलय और अधिग्रहण (Merger and acquisitions):** एक ही क्षेत्र में कार्यरत PSUs का विलय और अधिग्रहण।
- **एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) का आरंभ:** यह एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है जो एक विशेष सूचकांक को ट्रैक करता है। CPSE ETF भारत की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, जैसे- ONGC, REC, कोल इंडिया, CONTENOR Corp, ऑयल इंडिया, पॉवर फाइनेंस, GAIL, BEL, EIL, इंडियन ऑयल और NTPC में इक्विटी निवेशों से बना है; तथा
- **मुद्रीकरण (Monetization):** CPSE की चयनित परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाए ताकि उनकी बैलेंस शीट को बेहतर किया जा सके और उनके पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं के एक हिस्से को पूरा किया जा सके।

परिचय (Introduction)

- रणनीतिक विनिवेश इस आधारभूत आर्थिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है कि सरकार को उन **विनिर्माण/उत्पादन और सेवा क्षेत्र में अपनी संलग्नता समाप्त कर देनी चाहिए जहां प्रतिस्पर्धी बाज़ारों ने विकास की पराकाष्ठा प्राप्त कर ली है।**
- ऐसी कंपनियां विभिन्न कारकों के चलते निजी क्षेत्र के अधीन बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं, जैसे- प्रौद्योगिकी उन्नयन और कार्यक्षम प्रबंधन पद्धतियाँ। इस प्रकार ये संपति का सृजन करेंगी तथा देश की आर्थिक प्रगति में योगदान करेंगी।

निजीकरण का प्रभाव: एक फर्म स्तर का विश्लेषण (Impact of Privatisation: A firm level analysis)

- समीक्षा में यह रेखांकित किया गया है कि **भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)** में **रणनीतिक विनिवेश** संबंधी हालिया अनुमोदन से इसकी एक समकक्ष कंपनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) की तुलना में इसके (BPCL) शेयरधारकों की इक्विटी के मूल्य में 33,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

VISION IAS

- **38 विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के तहत लगभग 264 CPSEs हैं।** चूंकि भारत सरकार द्वारा नीतिगत उपाय के रूप में वर्ष 1999-2000 में रणनीतिक बिक्री को अपनाया गया, इसलिए वर्ष 1999-2000 से 2003-04 तक 11 CPSEs का रणनीतिक विनिवेश किया गया था, उदाहरण- बाल्को, मारुति, हिंदुस्तान जिंक आदि।

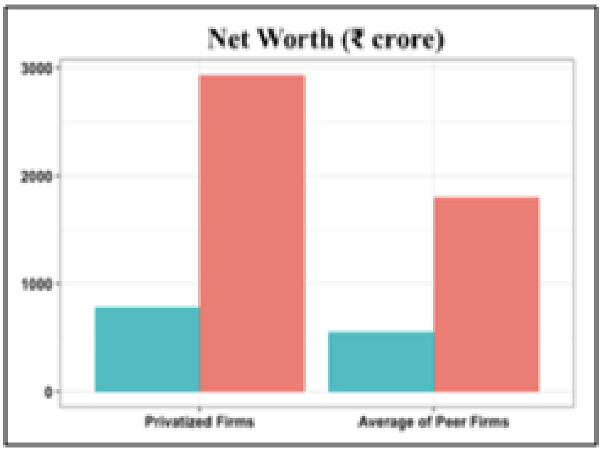

- इन **CPSEs** के विनिवेश पूर्व-पश्चात् के निष्पादन का विश्लेषण करने के उपरांत समीक्षा द्वारा निम्नलिखित परिणामों का उल्लेख किया गया है:
    - **समकक्ष कंपनियों के साथ तुलना:** निजीकरण के पश्चात्, इन **निजीकृत CPSEs** का निवल मूल्य, निवल लाभ, परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (Return-on-Assets: ROA), इक्विटी पर प्रतिलाभ (Return-on-Equity: ROE), सकल राजस्व, निवल लाभ मार्जिन, बिक्री में वृद्धि और प्रति कर्मचारी सकल लाभ के संदर्भ में अपनी समकक्ष कंपनियों की तुलना में औसतन बेहतर प्रदर्शन रहा है।
    - उदाहरण के लिए, औसतन निजीकृत कंपनियों का निवल मूल्य 700 करोड़ रूपये (निजीकरण के पूर्व) से बढ़कर 2992 करोड़ रूपये (निजीकरण के पश्चात्) हो गया।

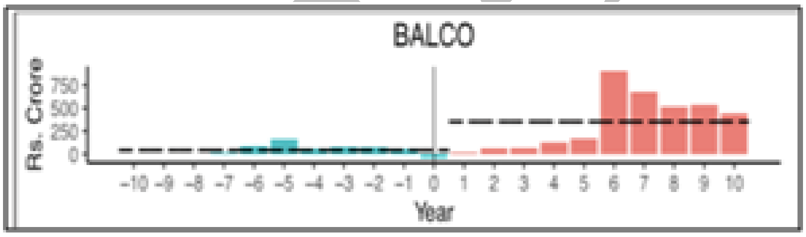

    - **व्यक्तिगत प्रदर्शन:** प्रत्येक निजीकृत CPSE के निष्पादन में निवल मूल्य, निवल लाभ, सकल राजस्व, निवल लाभ मार्जिन, बिक्री वृद्धि के संदर्भ में निजीकरण के पूर्व की अवधि की तुलना में निजीकरण के पश्चात् की अवधि में सुधार देखा गया।
    - **समकक्ष कंपनियों की तुलना में प्रदर्शन का गत्यात्मक पहलू (Dynamic aspects of performance in comparision to peers):** निजीकरण से 10 वर्षों पूर्व की अवधि के दौरान निजीकृत CPSE और उसकी समकक्ष कंपनियों का प्रदर्शन अत्यधिक समान था। हालाँकि, निजीकरण के पश्चात्, निजीकृत इकाई की समकक्ष कंपनियों के निष्पादन (समान अवधि में) में हुए परिवर्तन से तुलना करने पर इसके प्रदर्शन में 10 वर्ष की अवधि में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया।

विभिन्न वित्तीय संकेतकों को समझना

- **निवल मूल्य (Net Worth):** एक कंपनी का निवल मूल्य वस्तुतः उसके इक्विटी शेयरहोल्डर्स द्वारा धारित मूल्य होता है। इसमें शेयरधारकों द्वारा निवेशित इक्विटी पूंजी, कंपनी द्वारा सृजित लाभ और धारित रिज़र्व शामिल होता है। कंपनी के निवल मूल्य में वृद्धि वस्तुतः उसके वित्तीय स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार और शेयरधारकों के लिए वर्धित संपत्ति सृजन का संकेत होता है।
- **निवल लाभ (Net Profit):** यह कंपनी द्वारा कर चुकाने के पश्चात् शेष बचा लाभ होता है। सभी प्रचालन खर्चों को मिलाने के बाद कुल लाभ में वृद्धि कंपनी से अत्यधिक प्रतिफल प्राप्ति को दर्शाती है।
- **सकल राजस्व (Gross Revenue):** यह वस्तुओं की बिक्री और अन्य गैर-वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त होने वाली कंपनी की आय को दर्शाता है।
- **परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (Return on Assets: ROA):** यह कंपनी की कुल औसत परिसंपत्तियों के संदर्भ में कर चुकाने

के पश्चात् लाभ (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स: PAT) के अनुपात को दर्शाता है तथा इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ROA में वृद्धि यह दर्शाती है कि निजीकृत फर्म अपने संसाधनों का अधिक उत्पादक तरीके से उपयोग करने में सक्षम है।

- **रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE):** यह कर चुकाने के पश्चात् लाभ (PAT) को संदर्भित करता है तथा औसत निवल मूल्य (नेट वर्थ) के प्रतिशत के रूप में इसे ज्ञात किया जाता है। RoE में वृद्धि वस्तुतः शेयरधारकों की इक्विटी की प्रत्येक इकाई से लाभ उत्पन्न करने में फर्म की दक्षता में वृद्धि को दर्शाती है।
- **निवल लाभ मार्जिन (Net Profit Margin):** किसी कंपनी का निवल लाभ मार्जिन वस्तुतः उसकी कुल आय के प्रतिशत के रूप में PAT होता है।

आगे की राह (Way forward)

- इस आर्थिक समीक्षा में यह सुझाव दिया गया है कि रणनीतिक बिक्री के मार्ग के माध्यम से विनिवेश का उपयोग उच्च लाभप्रदता को बढ़ावा देने, दक्षता को बढ़ावा देने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और CPSEs के प्रबंधन में व्यावसायिकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। इसके बदले में यह, अन्य क्षेत्रों विशेष रूप से सार्वजनिक अवसंरचना, जैसे- सड़क, विद्युत पारेषण लाइन, सीवेज प्रणाली, सिंचाई प्रणाली, रेलवे और शहरी अवसंरचना के उपयोग के लिए पूंजी में वृद्धि करेगा।
- कई CPSEs लाभ की स्थिति में हैं, किन्तु बाजार में CPSEs प्रदर्शन सामान्यतः ख़राब रहा है। इसलिए, किसी भी निजीकरण या विनिवेश कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी इक्विटी स्टेक वैल्यू को अधिकतम करना होना चाहिए। इसके लिए समीक्षा में **विनिवेश के निगमीकरण** (Corporatisation of Disinvestment) हेतु एक संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

Figure 12: Proposed Structure for Corporatization of Disinvestment

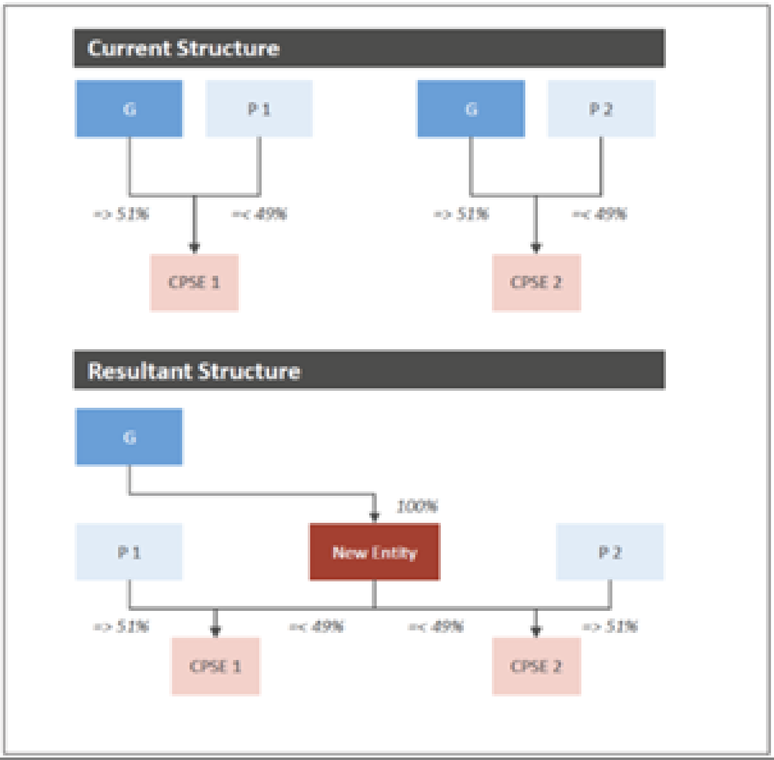

  - इसके तहत सरकार, सूचीबद्ध CPSEs में अपनी हिस्सेदारी (स्टेक) एक स्वतंत्र बोर्ड द्वारा प्रबंधित एक अलग कॉर्पोरेट इकाई को हस्तांतरित कर सकती है। इस इकाई को समय-समय पर इन CPSEs में सरकारी हिस्सेदारी का विनिवेश करना अनिवार्य होगा।
  - यह विनिवेश कार्यक्रम को व्यावसायिकता और स्वायत्तता प्रदान करेगा।

अध्याय 10: क्या भारत की GDP संवृद्धि को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया जाता है? नहीं!

(Is India's GDP Growth Overstated? No!)

विषय (Theme)

- हाल के दिनों में, भारत के GDP (सकल घेरलू उत्पाद) आकलनों (प्राक्कलन विधि में वर्ष 2015 के पश्चात् परिवर्तन) की अशुद्धता के संबंध में विद्वानों और नागरिकों के मध्य वाद-विवाद एवं चर्चाएं हुई हैं। इस अध्याय का उद्देश्य गलत आकलन के तर्कों की जांच करना और यदि कोई अशुद्धि हो तो उसका अनुमान लगाना है।

GDP के गलत आकलन की जांच करने की आवश्यकता है (Need to check the mis-estimation of GDP)

- GDP का आकलन अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं को निर्दिष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका निवेशक के मनोभाव पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
- यदि दोषपूर्ण आकलन के प्रमाण विश्वसनीय और सुदृढ़ हैं, तो एक क्रांतिकारी आकलन विधि का अनुसरण किया जाना चाहिए।

समीक्षा द्वारा किए गए प्रेक्षण (Observations made by the Survey)

- जो प्रतिमान वर्ष 2011 के पश्चात् भारत के बारे में 2.77 प्रतिशत तक GDP वृद्धि का गलत तरीके से अति-प्राक्कलन करते हैं, वहीं इसी समान अवधि में मॉडल में शामिल अन्य 51 देशों की GDP वृद्धि के बारे में भी गलत प्राक्कलन प्रस्तुत करते हैं।
- उपयोग किए गए चरों (निर्यात, आयात, उद्योग के लिए वास्तविक ऋण आदि) का GDP आकलन के साथ अस्थिर सह-संबंध होता है। (अर्थात् उनके मध्य सह-संबंध सकारात्मक से नकारात्मक रूप में भिन्न होता है।)
- मानक प्राक्कलन विधि "समानांतर-प्रवृत्ति" की एक मौलिक धारणा का निर्माण करती है और यह सांख्यिकीय जोखिमों के प्रति जिम्मेदार नहीं है। (छोड़े गए चर का पूर्वाग्रह)
- मानक मॉडल द्वारा उत्पन्न मुद्दों को समाप्त करने हेतु, समीक्षा द्वारा एक सामान्यीकृत मॉडल को अपनाया गया है, जिसमें देश के निश्चित प्रभावों (प्रत्येक देश के लिए विशिष्ट प्रभाव) को भी शामिल किया गया हैं।
- सामान्यीकृत मॉडल GDP से संबंधित गलत-आकलन को लगभग पूर्ण रूप से समाप्त करता है और यह भी रेखांकित करता है कि सृजित मूल्य अधिक विश्वसनीय नहीं है।

निष्कर्ष (Conclusion)

- समीक्षा में यह उल्लेख किया गया है कि **भारत की GDP का सटीक पैटर्न** क्या है और समय के साथ विकसित होने से यह स्पष्ट रूप से आगे क्यों है। हालांकि, इस संबंध में और अधिक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।
- समीक्षा में यह सुझाव दिया गया है कि **सकल घरेलू उत्पाद जैसे सूक्ष्म-स्तरीय** साक्ष्यों के साथ **इसके निष्कर्षों को योगवाही तरीके (synergistically viewed)** से समझा जाना चाहिए। (जैसा कि समीक्षा के खंड-1 के अध्याय 2 में रेखांकित किया गया है)। उदाहरण के लिए-
    - सूक्ष्म साक्ष्य दर्शाते हैं कि नवीन फर्मों का सृजन करने में 10 प्रतिशत की वृद्धि के कारण जिला-स्तर की GDP वृद्धि में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि होती है। इस जिला स्तर की GDP वृद्धि को देश-स्तर के GDP वृद्धि के अनुरूप होना चाहिए।
    - सेवा क्षेत्र में नवीन फर्मों का सृजन विनिर्माण, अवसंरचना या कृषि क्षेत्र के सापेक्ष अत्यधिक है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के सापेक्षिक महत्व के संबंध में वृहत तथ्यों के साथ सुसंगत है।
- भारत के सांख्यिकीय अवसंरचना के महत्व पर बल देते हुए, समीक्षा ने 28-सदस्यीय **आर्थिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति (Standing Committee on Economic Statistics: SCES)** के गठन की सराहना की है।

VISIONIAS

अध्याय 11: थालीनॉमिक्स: भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र

(Thalinomics: The Economics of a Plate of Food in India)

विषय (Theme)

इस अध्याय में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार अर्थशास्त्र जनसाधारण के जीवन को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करता है। अर्थशास्त्र को सामान्य व्यक्ति से संबंधित करने हेतु, समीक्षा में थालीनॉमिक्स का चयन किया गया है। थालीनॉमिक्स, भारत में भोजन की एक थाली के अर्थशास्त्र को संदर्भित करता है। यह अध्याय एक थाली की वहनीयता को समय, क्षेत्र और इसके घटकों के संबंध में समझाने का प्रयास करता है।

पृष्ठभूमि: विश्लेषण के लिए प्रयुक्त डेटा (Background: Data used for the analysis):

- दो प्रकार की थालियों का विश्लेषण किया गया है: **निरामिष भोजी (शाकाहारी)** और **आमिषभोजी (मांसाहारी)।**
- 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए थाली की कीमतों का परिकलन किया गया है, जिसमें अन्न (चावल या गेहूं), सब्ज़ी (सब्जियां और अन्य घटक), दाल (दाल के साथ-साथ अन्य घटक) और साथ ही भोजन पकाने हेतु ईंधन की लागत को शामिल किया गया है।
- थाली को तैयार करने हेतु आवश्यक घटकों की मात्रा **राष्ट्रीय पोषण संस्थान** द्वारा भारतीयों के लिए निर्धारित आहार संबंधी दिशा-निर्देशों पर आधारित हैं।
- समीक्षा में वर्ष 2015-16 को थाली की कीमतों की गतिकी में परिवर्तन के वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। समीक्षा का अनुमान है कि यह इस वर्ष में किए गए विभिन्न सुधार उपायों के कारण हो सकता है, जैसे- प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (NAM), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)।
- थाली की वहनीयता का आकलन करने हेतु, **दैनिक मजदूरी की तुलना थाली के मूल्य के साथ की गई है।** (ASI डेटा का उपयोग दैनिक मजदूरी की गणना के लिए किया गया है)

समीक्षा द्वारा किए गए प्रेक्षण (Observations made by the Survey)

- शाकाहारी थाली के निरपेक्ष मूल्य में वर्ष 2015-16 से कमी हुई है, हालांकि वर्ष 2019 के दौरान इसमें वृद्धि हुई। यह संपूर्ण भारत में अर्थात् उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में परिलक्षित हुआ है।
- शाकाहारी थाली की वहन क्षमता में वर्ष 2006-07 से 2019-20 की अवधि में 29% और मांसाहारी थाली में 18% तक सुधार हुआ है।
    - 5 व्यक्तियों के परिवारों में शाकाहारी थाली और मांसाहारी थाली के लिए औसत मूल्य पर क्रमशः 10,887 रुपये और 11,787 रुपये प्रतिवर्ष का लाभ प्राप्त हुआ। (इसे कुछ अपेक्षाओं वाले क्षेत्रों में प्रेक्षित किया गया है।)
- अखिल भारतीय स्तर पर लगभग सभी घटकों के मूल्य वर्ष 2015-16 से अनुमानित मूल्यों की तुलना में कम रहे हैं।
- थाली स्फीति (थाली के मूल्यों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि) की प्रकृति चक्रीय होती है, लेकिन इसमें वर्ष 2006-07 से वर्ष 2015-16 तक निरपेक्ष रूप से कमी देखी गई है।
- अखिल भारतीय स्तर पर थाली के मूल्यों की परिवर्तनशीलता में कोई स्पष्ट रुझान नहीं है। साथ ही क्षेत्रवार और राज्यवार परिवर्तनशीलता में भी कोई स्पष्ट रुझान नहीं है।
- थाली की वहन करने की क्षमता में कामगारों के वेतन की तुलना में सुधार होने से आम व्यक्ति के कल्याण में बेहतरी का संकेत मिलता है।

निष्कर्ष

यह आर्थिक समीक्षा इसका उल्लेख करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि भोजन केवल एक साध्य नहीं है, बल्कि मानव पूँजी के विकास के लिए भी एक आवश्यक घटक भी है और इसलिए यह राष्ट्रीय संपदा निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण है।

VISION IAS

खण्ड : 2

अध्याय 1: अर्थव्यवस्था की स्थिति

(State of the Economy)

वर्ष 2019-20 में वैश्विक अर्थव्यवस्था (Global Economy in 2019-20)

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जनवरी 2020 में प्रकाशित **"वर्ल्ड इकॉनमिक आउटलुक" (WEO)** अपडेट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि वैश्विक उत्पादन वृद्धि (ग्लोबल आउटपुट ग्रोथ) वर्ष 2019 में 2.9 प्रतिशत पर बनी रहेगी। वर्ष 2018 में यह 3.6 प्रतिशत और वर्ष 2017 में 3.8 प्रतिशत थी।
- यह वर्ष 2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से वैश्विक उत्पादन में सबसे धीमी वृद्धि दर को इंगित करता है, जोकि विनिर्माण संबंधी गतिविधियों, व्यापार और मांग में भौगोलिक रूप से आई व्यापक गिरावट के कारण उत्पन्न हुई है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:
    - चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य व्यापारिक तनाव के कारण उत्पन्न अनिश्चितता, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ईरान के मध्य भू-राजनीतिक तनाव तथा बढ़ती व्यापार बाधाएं।
    - उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में म्यूटेड मुद्रास्फीति (muted inflation) के कारण उपभोक्ता मांग में कमी।
    - मांग में कमी के कारण ऑटोमोबाइल उद्योग के वैश्विक उत्पादन में तीव्र गिरावट आई है। अनेक देशों में प्रौद्योगिकी और उत्सर्जन मानकों में क्षेत्र में हुए परिवर्तन को इसका कारण बताया जा रहा है।
    - विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात की वृद्धि दर में गिरावट आई है।
- भारत के ऑटो उद्योग और विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में भी गिरावट आई है।

वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy in 2019-20)

अर्थव्यवस्था का आकार (Size of the economy)

- अक्टूबर 2019 के WEO में चालू अमेरिकी डॉलर मूल्य पर GDP का मापन कर भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान व्यक्त किया गया था। उपर्युक्त उपलब्धि को प्राप्त करते ही भारत ब्रिटेन और फ्रांस से आगे निकल जाएगा।
- वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- विगत पांच वर्षों (वार्षिक औसत संवृद्धि दर 7.5 प्रतिशत और मुद्रास्फीति की वार्षिक औसत दर 4.5 प्रतिशत) से स्थिर समष्टि अर्थशास्त्रीय घटनाचक्र के चलते भारत की संवृद्धि दर के रिकॉर्ड को देखते हुए, वर्ष 2024-25 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाए जाने संबंधी दृष्टिकोण पर स्पष्ट बल दिया गया है।

वर्ष 2019-2020 में सकल मूल्य वर्धित (GVA) और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर (GVA and GDP growth in 2019-2020)

- **राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय** ने वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही (अप्रैल-सितंबर) में भारतीय GDP में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है, जो 2018-19 की दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) में दर्ज की गई 6.2 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा कम है।
- आपूर्ति पक्ष के संबंध में, 'कृषि और संबद्ध गतिविधियों' और 'लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं' को छोड़कर सभी क्षेत्रकों द्वारा सामान्य तौर पर GDP वृद्धि में योगदान किया गया है।
- मांग पक्ष के संबंध में, रियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट (वास्तविक अचल निवेश) की वृद्धि में गिरावट के कारण GDP वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई है जो वास्तविक उपभोग की धीमी वृद्धि से प्रेरित है।

प्रथम अग्रिम अनुमान: 2019-20 (First Advance Estimates: 2019-20)

प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2019-20 के दौरान वास्तविक GDP में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि होना अनुमानित है, जबकि वर्ष 2018-19 में GDP वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

वर्ष 2018-19 के लिए GDP के अनंतिम अनुमानों पर सांकेतिक GDP में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

VISIONIAS

वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में अनुमानित रुझान (Estimated trends in 2019-20 vis-à-vis 2018-19)

- चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में कुल उपभोग एवं निवल निर्यात के योगदान में वृद्धि होने का अनुमान है।
- चालू कीमतों पर GDP के प्रतिशत के रूप में स्थयी निवेश और मूल कीमतों पर वास्तविक GVA वृद्धि में कमी होने का अनुमान है।
- लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं को छोड़कर सभी उपक्षेत्रों में GVA वृद्धि में गिरावट होने का अनुमान है।

वृद्धि का सुचक्र (The virtuous cycle of growth)

- यह एक ऐसा चक्र है जिसमें अचल निवेश की दर में वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को तीव्र करती है जो उपभोग को अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि की ओर प्रवृत्त करती है। उपभोग में अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि से निवेश परिदृश्य विस्तारित होता है, जो क्रमिक रूप से पुन: अचल निवेश में परिणत हो जाता है और GDP वृद्धि को तीव्र करता है तथा उपभोग अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि को प्रेरित करता है।
- अपेक्षाकृत अधिक अचल निवेश- उच्च GDP वृद्धि- उच्च उपभोग वृद्धि के इस सुचक्र से देश में आर्थिक विकास होता है।

वृद्धि में हालिया गिरावट: रियल सेक्टर पर वित्तीय क्षेत्र द्वारा अवरोध (The Recent Growth Deceleration: Drag of the Financial Sector on the Real Sector)

वृद्धि का मंदन चक्र (The Slowing Cycle of growth)

- जब वृद्धि का सुचक्र (virtuous cycle) धीमी गति से घूमता है, तो अचल निवेश में कमी से GDP वृद्धि में भी कमी हो जाती है, जो अंततः उपभोग वृद्धि में कमी का कारण बनती है।
- भारत के मामले में, अचल निवेश की दर और GDP वृद्धि के मध्य इस कम होते प्रभाव को तीन से चार वर्ष तक देखा जा सकता है और उपभोग में वृद्धि पर GDP वृद्धि का प्रभाव एक से दो वर्षों में परिलक्षित होता है।
- वर्ष 2011-12 के पश्चात् से अचल निवेश दर में तीव्र गिरावट होना शुरू हुई है और वर्ष 2016-17 के बाद से यह अचल बनी हुई है जिसके कारण वर्ष 2017-18 के बाद वृद्धि में गिरावट आई है।

अचल निवेश दर में कमी (Decline in fixed investment rate)

- वर्ष 2009-14 से वर्ष 2014-19 के मध्य अधिकांश परिवारों का समग्र अचल निवेश 14.3 प्रतिशत से कम होकर 10.5 प्रतिशत हो गया।
- सार्वजनिक क्षेत्र में आंशिक रूप से अचल निवेश दो अवधियों के दौरान GDP के 7.2 प्रतिशत से घटकर 7.1 प्रतिशत हो गया है।
- तथापि, वर्ष 2011-12 और वर्ष 2017-18 के मध्य सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 11.5 प्रतिशत पर इस निजी कॉर्पोरेट निवेश में स्थायित्व, संवृद्धि के मंद चक्र और विशेष रूप से, GDP एवं उपभोग में हुई हालिया मंदी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Figure 23: Virtuous cycle of growth

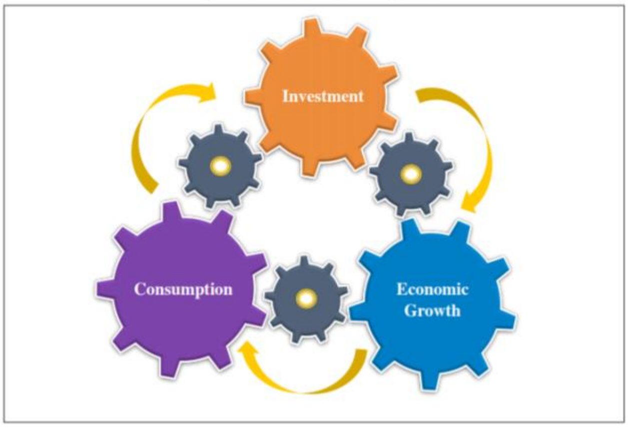

निजी कॉर्पोरेट निवेश पर वित्तीय क्षेत्र का अवरोध (Drag of financial sector on private corporate investment)

- अकस्मात रूप से ऋण का विस्तार विशुद्ध रूप से आपूर्ति से प्रेरित होता है। इसके परिणामस्वरूप अल्पकालिक उत्पादन और रोजगार वृद्धि हो सकती है किंतु दीर्घकाल में यह महत्वपूर्ण संकुचन का कारण बनता है।
- अधिकांश मामलों में, ऋण (क्रेडिट) चैनल घरेलू ऋण के माध्यम से कार्य करता है, जहां घरेलू ऋण की मांग में लघु अवधि के लिए वृद्धि होती है और यह मांग अगले चरण में कम हो गई, जिसके परिणामस्वरूप मंदी उत्पन्न हुई। भारतीय परिदृश्य में, ऋण चैनल कॉर्पोरेट निवेश के माध्यम से कार्य करता है।

आर्थिक समीक्षा का सारांश

- कॉर्पोरेट क्षेत्र में लाभोपरांतक और निम्न निवेश का चित्रण किया गया है, जो अंततः GDP वृद्धि में हालिया गिरावट का कारण रही है। यहाँ पर यह कहना उपयोगी होगा कि वृद्धि कम होने के चक्र का मूल कारण 21वीं सदी के प्रथम दशक के मध्य तथा उसके बाद ऋणों में अत्यधिक वृद्धि रही है।
- इस सह-संबंध के माध्यम से देखा जा सकता है कि जिन फर्मों ने वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के मध्य अत्यधिक उधार लिया था, उन्होंने वर्ष 2012-13 से 2016-2017 की अवधि के दौरान काफी कम निवेश किया।

डीलेवरेजिंग (Deleveraging): किसी के ऋण स्तर को कम करने हेतु त्वरित रूप से उसकी संपत्ति को विक्रय करने की प्रक्रिया को डीलेवरेजिंग कहते हैं।

घरेलू निवेश में कमी (Decline in household investment): पारिवारिक क्षेत्र में परिवारों के साथ-साथ 'अर्ध-निगम' (quasi-corporates) भी शामिल हैं। यह मूल्य श्रृंखला के बैक एंड और रियल स्टेट क्षेत्र में उद्यमों को शामिल करने के लिए प्रत्यक्ष खुदरा उपभोग के लिए निवेश की आपूर्ति करता है।

- घरेलू क्षेत्र में निवेश में गिरावट यह दर्शाती है कि 'मशीनरी और उपकरण' तथा अन्य 'इमारतों और संरचनाओं' के निवेश में कुल घरेलू क्षेत्र के निवेश का दो-तिहाई से अधिक भाग होता है। निवेश में गिरावट इसी निजी कॉर्पोरेट निवेश स्तर से जुड़ी हो सकती है।

अर्ध-निगम (Quasi-Corporates): ये परिवारों से संबंधित गैर-निगमित उद्यम होते हैं, जिसमें उनका संपूर्ण विवरण होता है।

निजी उपभोग में विलंबित गिरावट (Delayed decline in private consumption)

- वर्ष 2009-16 तक GDP के अनुपात के संदर्भ में निजी उपभोग में वृद्धि हुई थी, इसके बाद वर्ष 2017-18 में गिरावट दर्ज की गई और वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में तेजी से कमी आने से पहले वर्ष 2018-19 में पुनः इसमें वृद्धि हुई थी।
- 1-2 वर्ष की अवधि में गिरावट के बाद से उपभोग पर सकल घरेलू उत्पाद का प्रभाव कई गुणा हो गया, इसलिए वर्ष 2017-18 से उपभोग में गिरते हुए रुझान पर GDP वृद्धि में आंशिक गिरावट का प्रभाव प्रतिबिंबित होता है।

संभावनाएं (OUTLOOK): IMF ने अपने वर्ल्ड इकॉनमिक आउटलुक के जनवरी 2020 के अद्यतन में यह अनुमान व्यक्त किया है कि वर्ष 2020-21 में भारत की GDP की वास्तविक वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत होगी। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकॉनमिक प्रॉस्पेक्ट्स में जनवरी 2020 में यह अनुमान व्यक्त किया कि वर्ष 2020-21 में भारत की GDP की वास्तविक वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत होगी।

- किंतु GDP में संभावित वृद्धि के संदर्भ में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों जोखिम हैं, जिसके बारे में आगे चर्चा की गई है:

नकारात्मक जोखिम (Downside Risks)

- वैश्विक व्यापार तनाव में निरंतर वृद्धि से वैश्विक उत्पादन वृद्धि के सुधार में विलम्ब हो सकता है, जो देश के निर्यात निष्पादन को बाधित करेगा।
- अमेरिका-ईरान के मध्य व्याप्त भू-राजनीतिक तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होगी तथा रुपये में गिरावट होगी एवं निवल FPI प्रवाह कम हो सकता है।
- यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु उन्नत देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा अल्पकालिक ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी, तो इसके परिणामस्वरूप भारत सहित उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMEs) से पूंजी का पलायन (capital flight) हो सकता है।
- यदि दिवाला व शोधन अक्षमता संहिता (IBC) का कार्यान्वयन तीव्र गति से नहीं होता है, तो भविष्य में बैंकों के ऋण जोखिम कम नहीं होंगे, जो मौद्रिक नीति संचरण (monetary policy transmission) को प्रभावित करेगा।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के कार्यान्वयन से राजकोषीय घाटा उच्च होगा, जिससे संभवतः क्राउडिंग आउट (निजी क्षेत्र हेतु पैसे की कमी) की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में यदि निजी क्षेत्र निवेश के लिए बाह्य फंडिंग पर निर्भर होगा तो इससे चालू खाता घाटा (CAD) में वृद्धि होगी और रूपये का अवमूल्यन होगा तथा इसके कारण उपभोग, निवेश और संवृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- उत्पादकता लाभ और सकल घरेलू बचत दरों में वृद्धि न होना एक चुनौती बनी हुई है।

VISIONIAS

सकारात्मक जोखिम (Upside Risks)

- हालांकि, IMF द्वारा जनवरी 2020 में प्रकाशित **WEO** अपडेट में यह भी अनुमान व्यक्त किया गया है कि वैश्विक उत्पादन वृद्धि (ग्लोबल आउटपुट ग्रोथ) में वर्ष 2020 में सुधार आएगा तथा यह 3.3 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, जो भारत के निर्यात को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
- किफायती आवास पर सरकार के बल देने से परिवारों द्वारा आवास में उच्चतर निवेश से अर्थव्यवस्था में अचल निवेश बढ़ेगा।
- NIP की घोषणा, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड दोनों अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में देश में FDI अंतर्प्रवाह को और बढ़ाएगी।
- भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी रैंक में सुधार करने हेतु निरंतर प्रगति कर रहा है।
- नई विनिर्माण कंपनियों के लिए आधार कॉर्पोरेट कर की दर को घटाकर 15 प्रतिशत करने से निवेश संबंधी प्रतिफल दर में वृद्धि होगी।
- **वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अनुमान:** नकारात्मक/ सकारात्मक दोनों जोखिमों के समग्र आकलन के आधार पर, वर्ष 2020-21 में भारत की GDP संवृद्धि दर 6.0 से 6.5 प्रतिशत के मध्य होने की संभावना है।

अध्याय 2: राजकोषीय घटनाक्रम

(Fiscal Developments)

परिचय (Introduction)

- वर्ष 2019-20 में, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा GDP का 3.3 प्रतिशत था, जो वर्ष 2018-19 के 3.4 प्रतिशत से कम है।
- वर्ष के पूर्वार्द्ध में संवृद्धि दर में गिरावट के कारण वर्ष 2019-20 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है।
- सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की संवृद्धि को पुनः बढ़ाने की अनिवार्य वरीयता को देखते हुए वर्तमान वर्ष के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को परिवर्तित करना पड़ सकता है।
- बजट 2019-20 के साथ प्रस्तुत **मध्यावधि राजकोषीय नीति (Medium Term Fiscal Policy: MTFP) विवरण** में वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 3.3 प्रतिशत और वर्ष 2020-21 में GDP के 3 प्रतिशत तथा 2021-22 तक इसी स्तर पर बने रहने की अपेक्षा की गई है।
- यह भी अनुमानित है कि केंद्र सरकार की देयताएं कम होकर वर्ष 2019-20 में GDP के 48.0 प्रतिशत, वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में क्रमशः 46.2 प्रतिशत और 44.4 प्रतिशत हो जाएंगी।

केंद्र सरकार के वित्त साधन (Central Government Finances)

प्राप्तियों का रुझान (Trends in Receipts)

- बजट 2019-20 में केंद्र सरकार की गैर-ऋण प्राप्तियों में उच्च वृद्धि को लक्षित किया गया है, जो कि निवल कर राजस्व और गैर-कर राजस्व में अपेक्षित उच्च वृद्धि से प्रेरित है।

केंद्र सरकार की प्राप्तियां (Central Government Receipts)

मोटे तौर पर केंद्र सरकार की प्राप्तियों को ऋण और गैर-ऋण प्राप्तियों में विभाजित किया जाता है।

- गैर-ऋण प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (जैसे- ऋणों की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां) शामिल हैं।
- ऋण प्राप्तियों में अधिकांशतः बाजार से लिया गया उधार और अन्य देयताएं शामिल होती हैं। इन ऋण प्राप्तियों को सरकार भविष्य में चुकाती है।

वर्ष 2019-20 के दौरान प्रत्यक्ष करों के लिए किए गए प्रमुख उपाय (Major measures taken for Direct taxes during 2019-20)

- उच्च मूल्य लेन-देन करने वाले व्यक्तियों के लिए आयकर विवरणी आंकड़ों (ITR) की प्रस्तुति को अनिवार्य करना।
- पैन कार्ड और आधार की अंतर्विनिमेयता (Interchangeability)।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC), स्टार्ट-अप्स, संकटग्रस्त कंपनियों के समाधान और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के ग्राहकों को प्रोत्साहन प्रदान करना।

वर्ष 2019-20 के दौरान अप्रत्यक्ष करों के लिए किए गए प्रमुख उपाय (Major measures taken for Indirect taxes during 2019-20)

- **सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019:** यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और 26 अन्य अप्रत्यक्ष कर नियमों से संबंधित पिछले विवादों का एक ही बार समाधान करने की योजना है।
- कुछ निश्चित करदाताओं के लिए सभी B2C इनवॉइस के लिए डायनामिक QR कोड वाले इनवॉइस सिस्टम को लागू करने हेतु **क्विक रिस्पॉन्स (QR) कोड** का प्रस्ताव।
- करदाताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों को संबद्ध कार्यालयों द्वारा भेजे गए सभी संचारों के लिए **दस्तावेज़ पहचान संख्या (Document Identification Number)** का सृजन और उद्धृत करना।

VISION IAS

कर राजस्व (Tax Revenue)

- प्रत्यक्ष कर में मुख्यतः कॉर्पोरेट और वैयक्तिक आयकर शामिल होते हैं, जो सकल कर राजस्व (GTR) का लगभग 54 प्रतिशत है।
- विगत कुछ वर्षों में कॉर्पोरेट और वैयक्तिक आयकर की प्राप्तियों में सुधार हुआ है।
- बेहतर कर प्रशासन, वर्षों से TDS के विस्तार, कर अपवंचन विरोधी उपाय और कर दाताओं के आधार में प्रभावी वृद्धि ने प्रत्यक्ष कर उछाल (direct tax buoyancy) में योगदान दिया है।

Figure 3: Composition of taxes in Gross Tax Revenue in 2019-20 BE

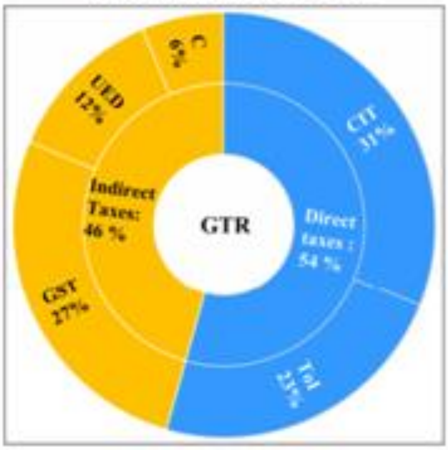

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रशासन में अप्रत्यक्ष कर फाइल करने वालों की संख्या में वृद्धि से भी कर उछाल में सुधार हुआ है।
- निवारण, सामाजिक और वैयक्तिक नियम को विकसित करने, जटिलता को कम करने और निष्पक्षता और विश्वास बढ़ाने जैसे करदाताओं के व्यवहार प्राचलों को शामिल करते हुए वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन का परिवेश निर्मित करने हेतु कई पहलें की गई हैं:-
    - ई-वे बिल
    - GST पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में दिखाई देने वाले GSTN रिटर्न दाखिल करने की स्थिति।
    - मासिक रिटर्न की देय तिथि को स्मरण कराने हेतु एसएमएस।
    - छोटे करदाताओं को नि:शुल्क लेखांकन और बिलिंग सॉफ्टवेयर प्रदान करना।
    - पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करदाताओं का अनुपालन अनुक्रमांक।
    - समयबद्ध अनुपालन हेतु करदाताओं को धन्यवाद देना।

गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue)

- बजट 2019-20 में गैर-कर राजस्व को बढ़ाकर इसे GDP के 1.5 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- मोटे तौर पर उपर्युक्त बजट अनुमान का दो-तिहाई हिस्सा लाभांश व लाभ और RBI द्वारा अंतरित किए जाने वाले अधिशेष से आने की परिकल्पना की गई है।

गैर-कर राजस्व के अंतर्गत मुख्य रूप से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को अंतरित अधिशेष सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त लाभांश और लाभ, केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्तियां और विदेशी अनुदान सम्मिलित हैं।

- **गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां:** मुख्यतः इसमें ऋणों और अग्रिमों की वसूली तथा विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं।
- विगत कुछ वर्षों में, गैर-ऋण प्राप्तियों के कुल समूह में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के अंशदान में सुधार हुआ है।
- विगत वर्षों में ऋणों और अग्रिमों की वसूली से होने वाली प्राप्तियों में कमी आई है।
- गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का प्रमुख घटक विनिवेश प्राप्तियां हैं जो सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश (रणनीतिक बिक्री सहित) से प्राप्त होते हैं। सरकार ने वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान (BE) के अनुसार विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ की प्राप्तियां जुटाने का लक्ष्य रखा है।
- महत्वपूर्ण सौदे अभी भी विचाराधीन है तथा इन प्राप्तियों में और अधिक तेजी आने की संभावना है।

व्यय संबंधी रुझान (Trends in Expenditure)

- वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार के बजटीय व्यय में GDP के एक प्रतिशत बिंदु की बढ़ोतरी की परिकल्पना की गई है। संपूर्ण बढ़ोतरी GDP के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय को अपरिवर्तित रखते हुए राजस्व खाते पर की जाएगी।
- रक्षा सेवाओं, वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और प्रमुख सब्सिडियों पर व्यय कुल व्यय का 60 प्रतिशत से अधिक है।
- बेहतर लक्ष्यीकरण और **केंद्रीय क्षेत्रक एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के पुनर्संरचित और पर्याप्त पुनर्वर्गीकरण** के माध्यम से हालिया वर्षों में सब्सिडी पर बजटीय व्यय में महत्वपूर्ण संतुलन देखा गया है।
- वर्ष 2016-17 से वित्त अवसंरचना के निवेश हेतु बजटीय व्यय से इतर, अतिरिक्त बजटीय संसाधन (Extra Budgetary Resources: EBR) भी जुटाए गए हैं।

राज्यों को अंतरण (Transfer to States)

- राज्यों को निधियों के अंतरण में अनिवार्य रूप से तीन घटक होते हैं: राज्यों को हस्तांतरित किए गए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी, वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान और केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) तथा अन्य अंतरण।
- निरपेक्ष रूप में और GDP के प्रतिशत के तौर पर दोनों ही रूपों में, राज्यों को होने वाले कुल अंतरण में वर्ष 2014-15 और वर्ष 2018-19 के मध्य वृद्धि हुई है।
- 2019-20 के बजट में GST के लागू होने की वजह से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान के एवज में राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे, ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान और समग्र शिक्षा के तहत रिलीज की वजह से उच्च आवश्यकताओं की मद पर वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमानों (RE) के सापेक्ष राज्यों को अपेक्षित अनुदान और ऋण में वृद्धि की परिकल्पना की गई है।

अतिरिक्त बजटीय संसाधन (EBRs): ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा ग्रहण की गयी वित्तीय देनदारियां होती हैं, जिसके संपूर्ण मूलधन और ब्याज का भुगतान केंद्र सरकार के बजट से किया जाता है।
राजकोषीय घाटे की गणना करते समय इन EBRs पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि, इन्हें सरकारी ऋण की गणना में शामिल किया जाता है।

वर्ष 2019-20 बजटीय अनुमान की तुलना में वर्ष 2019-20 (नवंबर 2019 तक) में राजकोषीय परिणाम {Fiscal outcome in 2019-20 (upto November 2019) vis-à-vis 2019-20 BE}

- राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2019-20 (अप्रैल से नवंबर 2019) के दौरान विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है।
- गैर-कर राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि, विशेष रूप से लाभांश और लाभ में, जो इसमें शामिल निवल कर राजस्व में निम्न वृद्धि की क्षतिपूर्ति करती है। RBI से अंतरण के द्वारा लाभांश और लाभ में अप्रैल-नवंबर 2019 में विगत वर्ष की संगत अवधि की तुलना में मोटे तौर पर तीन गुना वृद्धि हुई है।
- प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत, व्यक्तिगत आयकर में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कॉर्पोरेट कर में चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।
- वर्ष 2019-20 के दौरान मासिक सकल GST संग्रहण कुल पांच बार एक लाख करोड़ रूपये के आंकड़े की सीमा को पार कर गया।

हाल ही में सरकार ने निगम करों की दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं (Recently Government has undertaken major changes in the corporate tax rate)

- हाल ही में, सरकार ने कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 {Taxation Laws (Amendment) Act, 2019} के तहत घरेलू कंपनियों के लिए लागू निगम आयकर (Corporate Income Tax: CIT) की दर में एक बड़ी कटौती की घोषणा की, जिसके तहत आयकर अधिनियम में दो नई धाराएं 115BAA और 115BAB जोड़ी गई।
- कंपनियों को इस अधिनियम के अधीन प्राप्त कतिपय कटौती और छूटों को त्याग देने के एवज में मौजूदा 34.61 प्रतिशत कर के स्थान पर 25.17 प्रतिशत कर (अधिभार और उपकर सहित) चुकाने का विकल्प प्रदान किया गया है।
- विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए दिनांक 1.10.2019 को या उसके पश्चात् पंजीकृत नई विनिर्माण कंपनियों को 17.16 प्रतिशत के CIT दर का चयन करने की सुविधा प्रदान की गई है।
- तथापि विदेशी कंपनियों पर लागू CIT दर अपरिवर्तित रहेगी।

- व्यय पक्ष में, अप्रैल से नवंबर (2019-20) के दौरान पूंजीगत व्यय, वर्ष 2018-19 में समान अवधि में पूंजीगत व्यय की तुलना में लगभग तीन गुना बढ़ा है।
- साथ ही, वर्ष 2019-20 के इन आठ महीनों के दौरान विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में राजस्व व्यय उच्च दर से बढ़ा है।

VISION IAS

केंद्र सरकार का ऋण: विशेष रूप से FRBM अधिनियम, 2003 के लागू होने के पश्चात्, केंद्र सरकार की कुल देयताओं में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुपात के संदर्भ में निरंतर कमी हुई है। यह राजकोषीय समेकन के प्रयासों के साथ-साथ अपेक्षाकृत उच्च GDP संवृद्धि दोनों का परिणाम है।

- केंद्र सरकार का ऋण रूपये के अवमूल्यन और ब्याज दर जोखिम के कारण विशिष्ट बना हुआ है। इसका कारण ऋण पोर्टफोलियो में बाह्य ऋण की निम्न हिस्सेदारी और संपूर्ण बाह्य ऋणों का पूर्ण रूप से आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त करना है।
- हाल के वर्षों में, पांच वर्ष से कम समय में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियों के अनुपात में लगातार गिरावट देखी गई। भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की बकाया राशि की भारित औसत परिपक्वता मार्च 2010 के 9.7 वर्ष से बढ़कर मार्च 2014 में 10.4 वर्ष हो गई। यह ब्याज दरों के संदर्भ में बजट के लिए निश्चितता की स्थिति प्रदान करता है।

Figure 9: Trend in Centre's Debt-GDP ratio

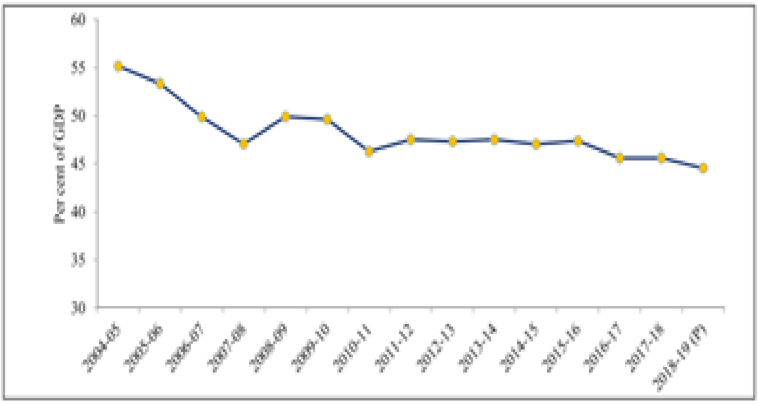

राज्य वित्त: राज्य राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने अपने राजकोषीय घाटे को FRBM अधिनियम द्वारा नियत लक्ष्यों के अनुरूप रखा है।

- विगत चार से पांच वर्षों में राज्यों के राजकोषीय समेकन का मुख्य कारण व्यय (मुख्य रूप से पूंजीगत में) में तेजी से गिरावट रही है।
- विगत कुछ वर्षों में राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे की वित्तीयन रचना में भी परिवर्तन हुए हैं। बाजार से उधार के माध्यम से वित्तीयन, वर्ष 2015-16 के 61.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में संशोधित अनुमानों (RE) के अनुसार 73.7 प्रतिशत हो गया है।
- राज्यों के ऋण-GDP अनुपात में वर्ष 2014-15 से निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके प्रमुख कारण अग्रलिखित हैं: वर्ष 2015-16 और 2016-17 में जारी उदय (UDAY) बॉण्ड, कृषि ऋणों की माफी और वेतन आयोग की अनुशंसानों को लागू करना आदि।

Figure 13: Major deficit and debt indicators of States

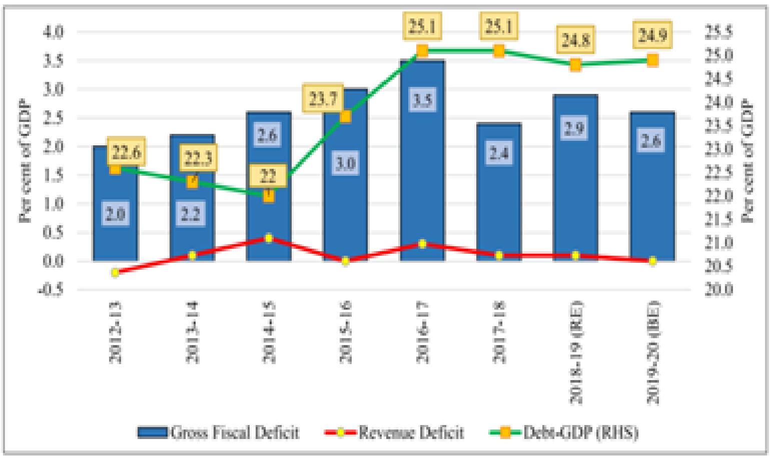

सरकार (केंद्र तथा राज्य) से राजकोषीय सुदृढ़ता की दिशा में अग्रसर रहने की अपेक्षा की गई है।

- केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों का राजकोषीय घाटा वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-20 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत पर रहने की संभावना है।
- हालांकि, केंद्र और राज्यों की सम्मिलित देयताएं मार्च 2016 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के 68.5 प्रतिशत की अपेक्षा मार्च 2019 में बढ़कर 69.8 प्रतिशत हो गई हैं।

भावी परिदृश्य (Outlook)

वर्ष 2020-21 में राजकोषीय स्तर पर कई चुनौतियां उत्पन्न होने की संभावना है, जैसे-

- विश्व स्तर पर कमजोर संवृद्धि दर (बढ़ते व्यापार तनाव के कारण जोखिम में वृद्धि) तथा साथ ही, संवृद्धि की पुनर्प्राप्ति की दर राजस्व संकलन को प्रभावित करेगी।
- शिथिल मांग और उपभोक्ता की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए, प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति को अपना कर राजकोषीय गुंजाइशें बढ़ानी पड़ सकती है।

VISION IAS

- वर्ष 2019-20 के पहले आठ महीनों में, अप्रत्यक्ष कर संग्रह प्रायः स्थिर रहा है। अतः केंद्र और राज्यों, दोनों के राजस्व में उछाल (buoyancy) के लिए GST से प्राप्ति में उछाल आवश्यक होगा।
- व्यय के पटल पर, विशेष रूप से खाद्य सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाना राजकोषीय क्रियाओं के लिए गुंजाइश पैदा करने में सहायक हो सकता है।
- पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी है और कर अंतरण पर इसकी सिफारिशों का केंद्रीय सरकार के वित्त के लिए गंभीर निहितार्थ हो सकते हैं।
- अंत में, पश्चिम एशिया में बन रहे भू-राजनीतिक परिस्थिति (अमेरिका-ईरान के मध्य तनाव) का तेल की कीमतों एवं परिणामतः पेट्रोलियम सब्सिडी पर गंभीर प्रभाव हो सकता है जिससे देश के चालू खाता घाटे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

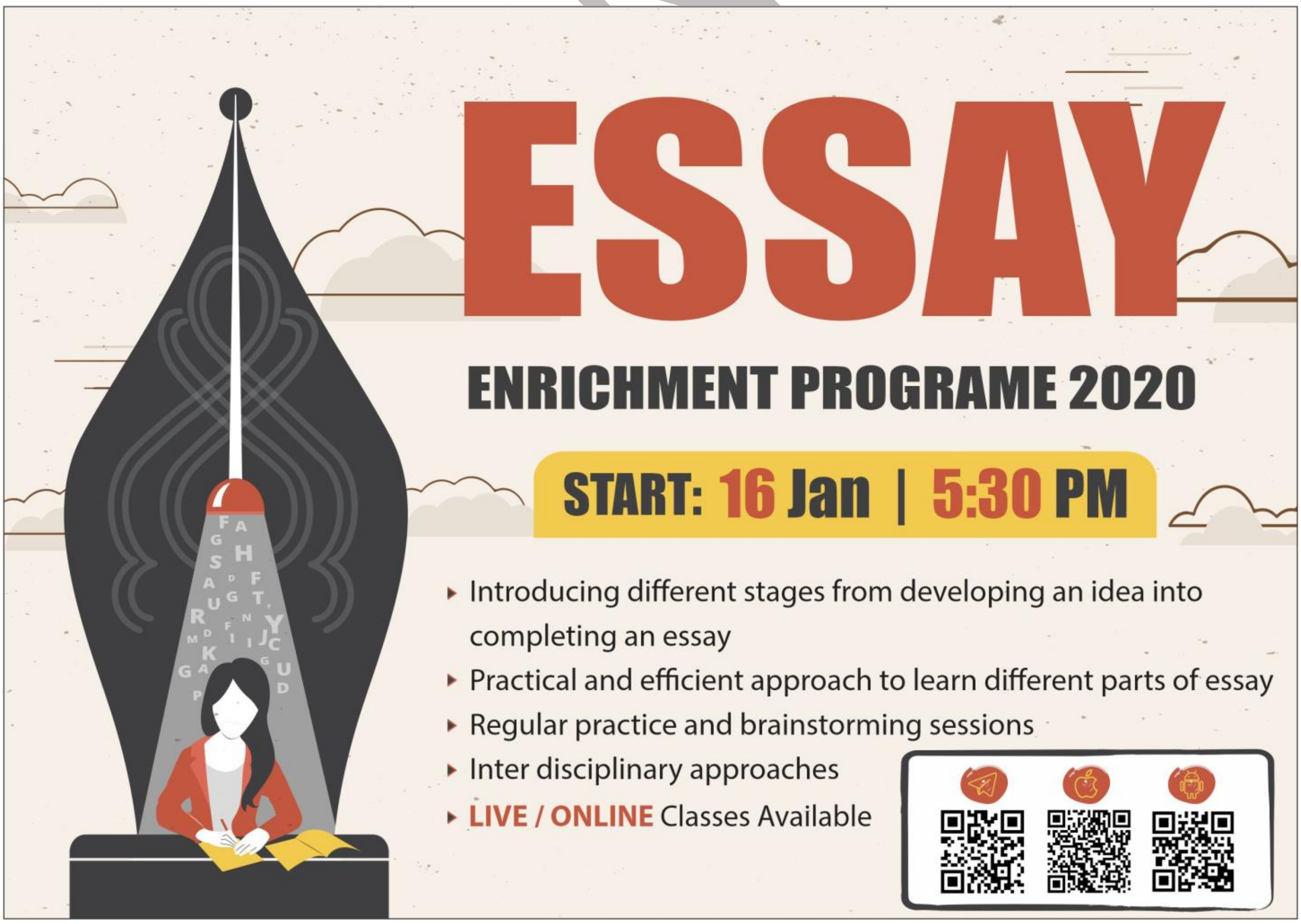

अध्याय 3: वैदेशिक क्षेत्र

(External Sector)

परिचय (Introduction)

- भारत के वैदेशिक क्षेत्र में वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में भुगतान संतुलन (Balance of Payments: BoP) की स्थिति में सुधार के कारण स्थिरता देखी गयी, जो कि चालू खाता घाटे (Current Account Deficit: CAD) के कम बने रहने से कच्चे तेल की कीमतों में सुधार के कारण हुआ है।
- सेवा क्षेत्र में लचीलेपन के बावजूद वैश्विक निवेश, उत्पादन में मंदी और अत्यधिक व्यापारिक तनावों के चलते बाह्य माँग में कमी होने आदि कारणों की वजह से निर्यात वृद्धि कमजोर बनी हुई है।
- भारत की GDP-NIIP {निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (Net International Investment Position: NIIP)} अनुपात में भी सुधार हुआ है।

Figure 4: Terms of Trade (Base Year 1999-2000)

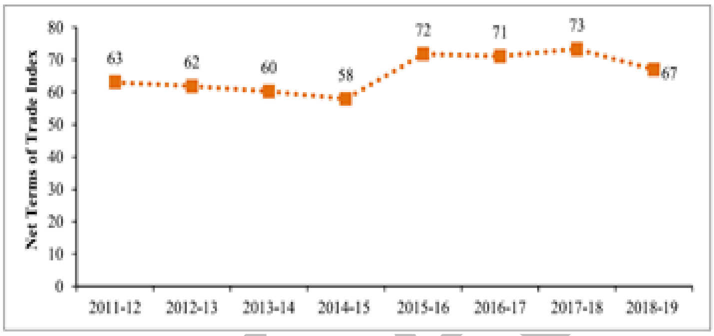

- जून 2019 के अंत में GDP के सन्दर्भ में भारत की वैदेशिक देयताओं (ऋण और इक्विटी) में वृद्धि हुई, जिसके लिए मुख्य कारकों के रूप से FDI में वृद्धि, पोर्टफोलियो प्रवाहों और बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (External Commercial Borrowings: ECBs) का उल्लेख किया गया है।

विहंगावलोकन: भारत का भुगतान संतुलन (Overview: India's Balance Of Payments)

- भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हुआ है। यह सुधार वित्त वर्ष 2018-19 की समाप्ति तक संचित विदेशी मुद्रा भंडार के 412.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के कारण हुआ है, जो कि वित्त वर्ष 2013-14 के अंत तक 304.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- वर्ष 2019-20 में GDP वृद्धि में गिरावट के बावजूद वैश्विक परिदृश्य सकारात्मक बना रहा।

Figure 1: Current Account Deficit (CAD) as per cent of GDP

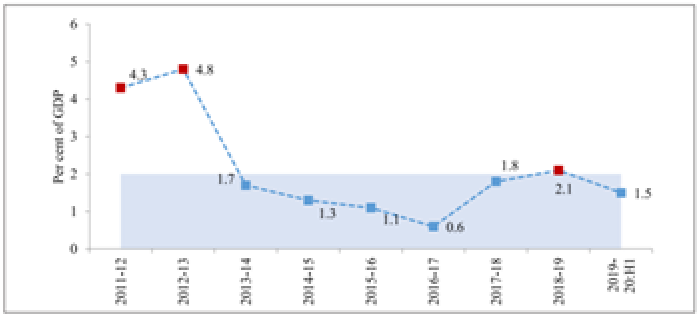

- किन्तु अभी भी इस सुधार में भेद्यता का अंतर्भाव बना हुआ है। आयात वृद्धि दर के कम होने के बाद GDP वृद्धि दर में तीव्र गिरावट देखी गई, यहां तक कच्चे तेल की कीमतों में कुछ कमी के बावजूद FDI अन्तर्वाह सतत रूप से उच्च स्तर पर बना रहा तथा भुगतान संतुलन में सुधार हुआ। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का कमजोर होना निवल FDI और निवल FPI प्रवाह दोनों के समक्ष चुनौती है।

चालू खाता घाटा (Current Account Deficit: CAD):

GDP के अनुपात के संदर्भ में CAD में वृद्धि होने से BoP बिगड़ जाएगा क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार घट जाएगा तथा ऐसी संभावनाएं बन जाएंगी जिससे विदेशी ऋण का भार बढ़ जाएगा।

- CAD-GDP अनुपात में वर्ष 2009-14 से 2014-19 तक की अवधि में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ तथा यह वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में कम रहा है (GDP का 1.5 प्रतिशत)।

Figure 5: Top 10 Trading Partners of India in 2019-20 (April-November)(in Per cent)

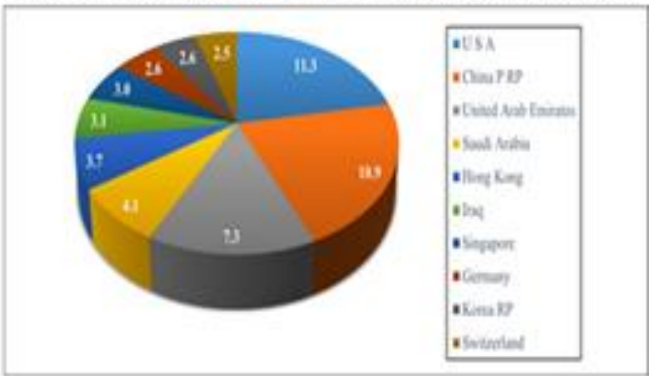

- CAD-फ़ॉरेक्स (विदेशी मुद्रा रिजर्व) अनुपात वर्ष 2013-14 के 10.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 13.9 प्रतिशत हो गया, जिसके कारण भारतीय रुपये का मूल्यह्रास (depreciate) हुआ।
- सांकेतिक विनिमय दर (Nominal Exchange Rate: NER) लगभग स्थिर रही है।

पण्य व्यापार घाटा (Merchandise Trade Deficit):

यह भारत के CAD का सबसे बड़ा घटक है।

- वर्ष 2016-17 में कच्चे माल की कीमतों में पचास प्रतिशत से अधिक गिरावट होने के कारण भारत के पण्य व्यापार शेष (merchandise trade balance) में वर्ष 2009-14 की तुलना में 2014-19 में सुधार हुआ है।
- वर्ष 2017-18 के बाद से निवल व्यापार शर्त (Net terms of Trade: NTT) के कारण मूल्यों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव आरंभ हो गया, जिसने व्यापार संतुलन में सुधार में योगदान दिया है।
- वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान, भारत के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों का संयुक्त रूप से भारत के कुल पण्य व्यापार में 50 प्रतिशत से अधिक योगदान था।

2019-20 (April-Nov.)

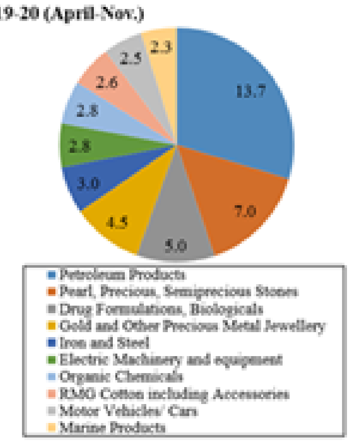

- वर्ष 2014-15 से लगातार, भारत का दो शीर्ष व्यापारिक देशों अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार अधिशेष रहा है।
- दूसरी ओर, भारत का अन्य प्रमुख व्यापारिक भागीदारों, जैसे- चीन PRP, सऊदी अरब, इराक, जर्मनी, कोरिया गणराज्य, इंडोनेशिया और स्विट्जरलैंड के साथ वर्ष 2014-15 से लगातार व्यापार घाटा रहा है।
- वर्ष 2018-19 में व्यापार घाटे में परिवर्तन से पूर्व वर्ष 2017-18 तक भारत का हांगकांग और सिंगापुर के साथ व्यापार अधिशेष था।

Figure 10: Top 10 Export Destinations in 2011-12 and 2019-20 (April-November)

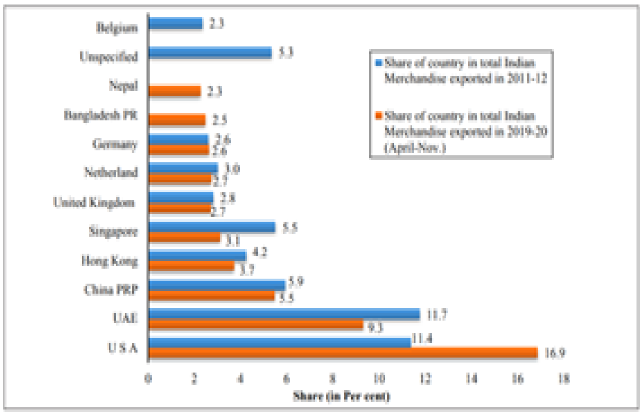

पण्य निर्यात (Merchandise Exports):

GDP की तुलना में पण्य निर्यातों के अनुपात में वृद्धि का BOP की स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- विगत कुछ वर्षों से, GDP अनुपात के साथ पण्य निर्यातों के अनुपात में गिरावट आई है।
- हाल के दिनों में वैश्विक स्तर पर उत्पादन में गिरावट (वैश्विक व्यापार तनाव में वृद्धि के कारण) और वास्तविक विनिमय दर में वृद्धि के कारण निर्यात-GDP अनुपात में गिरावट आई है।
- पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (Petroleum, Oil and Lubricants: POL) निर्यातों की भारत की निर्यात बास्केट में प्रमुख हिस्सेदारी है। वर्ष 2009-14 से 2014-19 तक गैर-POL निर्यातों में हुई वृद्धि में अत्यधिक गिरावट आई है।
- वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में, मूल्य के सन्दर्भ में पेट्रोलियम उत्पादों का अधिक निर्यात हुआ, जबकि सर्वाधिक वृद्धि औषधि-निर्माण, जैवपदार्थों के निर्यात में दर्ज हुई।

Figure 16: Top 10 Import Origins of India in 2011-12 and 2019-20 (April-November) (By Share in Per cent)

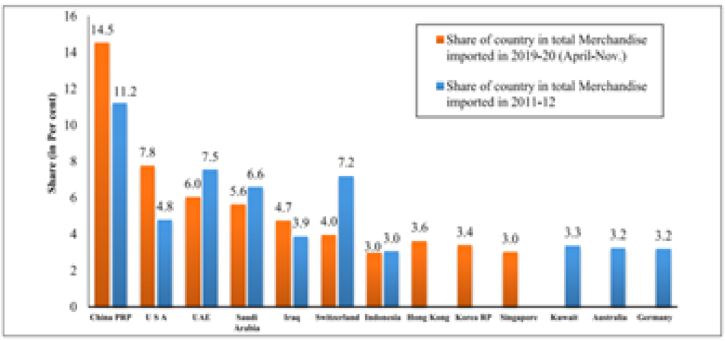

पण्य आयात (Merchandise Imports): GDP अनुपात में पण्य आयात वृद्धि का BoP स्थिति पर निवल ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है।

- कई वर्षों से भारत की GDP-पण्य आयात अनुपात में गिरावट दर्ज हुई है तथा यह GDP वृद्धि में गिरावट का प्रभाव हो सकता है।
- वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के आयात बास्केट में,

VISION IAS

सोना और पेट्रोलियम उत्पादों के बाद कच्चे पेट्रोलियम का सबसे बड़ा अंश था।

- वर्ष 2011-12 एवं 2019-20 के मध्य, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की आयात में हिस्सेदारी नगण्य से सर्वाधिक तेजी से बढ़कर 3.6 प्रतिशत हो गयी।
- स्वर्ण की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद वर्ष 2018-19 और 2019-20 की प्रथम छमाही के मध्य स्वर्ण के आयात की हिस्सेदारी स्थिर रही है, ऐसा संभवतः आयात शुल्क में वृद्धि के कारण हुआ है।
- वर्ष 2009-14 से 2014-19 तक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में गैर-POL, गैर-स्वर्ण आयात में गिरावट आई है, क्योंकि खपत वृद्धि दर और निवेश दर में गिरावट मौजूद थी।
    - निवेश दर में होने वाली सतत गिरावट से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में कमी आई है, उपभोग में ह्रास हुआ है और इसने निवेश आउटलुक को निरुत्साहित किया है, जिसके कारण आयात में गिरावट आई है।

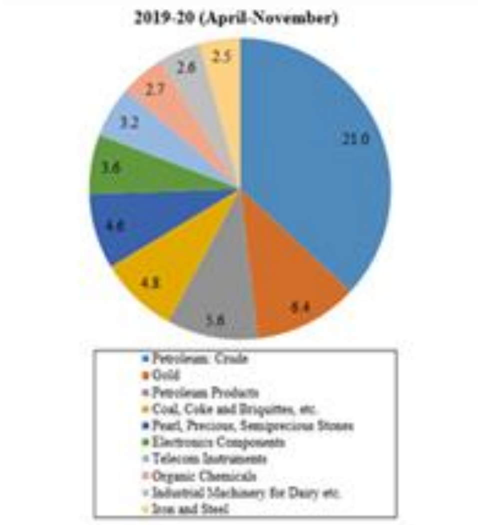

निवल सेवाएं (Net Services):

भारत की निवल सेवाओं का अधिशेष GDP के सन्दर्भ में निरंतर घट रहा है। उल्लेखनीय है कि यह अधिशेष वर्ष 2016-17 में व्यापार घाटे के लगभग दो-तिहाई तक (उच्चतम स्तर) पहुंच गया था।

सेवा निर्यात (Service Exports):

GDP-सेवा निर्यात अनुपात में वृद्धि का BoP की स्थिति पर निवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- भारतीय सेवा निर्यात सतत रूप से GDP के 7.4 से 7.7 प्रतिशत के मध्य रहा है।
- सॉफ्टवेयर सेवाओं का योगदान लगभग 40-45 प्रतिशत है, इसके बाद सेवा निर्यात में व्यापार सेवाओं की हिस्सेदारी 18-20 प्रतिशत, पर्यटन की हिस्सेदारी 11-14 प्रतिशत और परिवहन की हिस्सेदारी 9-11 प्रतिशत है।

सेवा आयात (Service Imports):

GDP-सेवा आयात अनुपात में वृद्धि का BoP की स्थिति पर निवल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- विगत कुछ वर्षों से, GDP के संबंध में सेवा आयात में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। पुनः FDI में वृद्धि एवं मेक इन इंडिया कार्यक्रम में उत्तरोत्तर प्रगति से GDP-सेवा आयात अनुपात में वृद्धि होना अवश्यंभावी है।
- व्यवसायिक सेवा (जो सेवा आयात का लगभग एक तिहाई है) तथा पर्यटन सेवा (जो देश में घरेलू पर्यटकों के लिए वैश्विक गंतव्यों के प्रति बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है) के घटक में लगातार वृद्धि हो रही है।

नीतिगत परिवेश (Policy Environment)

भारत और विश्व व्यापार संगठन (India and WTO)

- भारत ने मई 2019 में नई दिल्ली में WTO के सदस्यों के व्यापार मंत्रियों एक मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की।
- इस बैठक का समापन एक परिणाम दस्तावेज (outcome document) के साथ हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को निर्धारित किया गया और विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रणाली द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का समाधान करने की परिकल्पना की गई है।
- भारत द्वारा निम्नलिखित के सन्दर्भ में प्रस्तुतियाँ दी गई:
    - वैश्विक व्यापार प्रणाली में विकासशील देशों के बेहतर एकीकरण के लिए आवश्यक विशेष और विभेदक उपचार प्रावधानों पर बल दिए जाने के साथ विश्व व्यापार संगठन में सुधार करते समय **प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।**
    - **पारदर्शिता और अधिसूचना की आवश्यकताएं** रेखांकित करती हैं कि अल्प विकसित देशों सहित विकासशील देश, जो पहले से ही संसाधन/क्षमता से बाधित हैं, उन्हें पारदर्शिता में सुधार के नाम पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
- **विश्व व्यापार संगठन में भारत द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक भंडारधारण (public stockholding) में स्थायी समाधान की आवश्यकता है।

- मत्स्य सब्सिडी वार्ता।
- वार्ता में निर्धन, लघु एवं दस्तकार किसानों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देना।

भारत द्वारा संपन्न मुक्त व्यापार समझौते {Free Trade Agreements (FTAs) of India}

- भारत-श्रीलंका FTA
- SAFTA पर समझौता
- भारत नेपाल व्यापार समझौता
- भारत-आसियान CECA (कॉम्प्रेहेंसिव इकॉनमिक को-ऑपरेशन अग्रीमेंट): वस्तुओं, सेवाओं तथा निवेश के क्षेत्र में व्यापार समझौता
- भारत-जापान CEPA (कॉम्प्रेहेंसिव इकॉनमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट)

अधिमान्य व्यापार समझौते (Preferential Trade Agreements: PTA)

- एशिया प्रशांत व्यापार समझौता (Asia Pacific Trade Agreement: APTA)
- व्यापार अधिमान्यता की वैश्विक प्रणाली (Global System of Trade Preferences: GSTP)
- भारत-अफगानिस्तान
- सार्क अधिमान्य व्यापार समझौता (SAARC Preferential Trading Agreement: SAPTA)
- भारत-मर्कोसुर (MERCOSUR)

वर्तमान में जारी व्यापार वार्ताएं (On-going Trade Negotiations)

- भारत - यूरोपीय संघ BTIA
- भारत - श्रीलंका आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग समझौता (Economic and Technical Cooperation Agreements: ETCA)
- भारत - थाईलैंड CECA
- भारत - न्यूजीलैंड FTA / CECA
- भारत - खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) फ्रेमवर्क समझौता
- भारत-ईरान PTA

व्यापार सुगमता (Trade Facilitation)

- भारत ने अप्रैल 2016 में WTO के व्यापार सुगमता समझौता (Agreement on Trade Facilitation: TFA) की अभिपुष्टि की थी और तदनुसार इसका कार्यान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय व्यापार सुगमता समिति (National Committee on Trade Facilitation: NCTF) का गठन किया।
- व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय व्यापार सुगमता कार्य योजना (National Trade Facilitation Action Plan: NTFAP 2017-20) तैयार किया गया।
- व्यापार सुगमता के क्षेत्र में सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत ने विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में शामिल "सीमा पार व्यापार" (Trading across Borders) संकेतक के तहत अपनी रैंकिंग में सुधार किया है (वर्ष 2016 के 143वें स्थान से वर्ष 2019 में 68वां स्थान)।
- **डिजिटल और धारणीय व्यापार सुविधा सेवा 2019 पर हाल ही में जारी किए गए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण** में, भारत ने न केवल अपने समग्र व्यापार सुविधा के स्कोर को 69 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक कर लिया है, अपितु एशिया-प्रशांत, दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम एशिया क्षेत्र में अन्य देशों से भी बेहतर प्रदर्शन किया है।

VISION IAS

व्यापार सुगमता के लिए प्रमुख नीतिगत पहलें (Key initiatives for trade facilitation)

- विश्वसनीय निर्यातकों द्वारा RFID टैग के माध्यम से स्व ई-सीलिंग (Self e-sealing);
- सहायक दस्तावेजों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए 'ई-संचित' पोर्टल का प्रारम्भ;
- इंडियन कस्टम इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस डैशबोर्ड (ICEDASH) के माध्यम से आयातित कार्गो क्लियरेंस समय की निगरानी;
- अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए **अतिथि** मोबाइल ऐप का शुभारम्भ;
- कार्गो निकासी के समय संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने हेतु भारतीय समुद्र पत्तन, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICDs), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आदि स्थानों पर राष्ट्रीय स्तर पर **टाइम रिलीज़ स्टडी (TRS)** करना।

व्यापार से संबंधित लॉजिस्टिक्स (Trade related Logistics)

- विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर वर्ष 2014 के 54वें रैंक की तुलना में वर्ष 2018 में 44वें रैंक पर आ गया।
- अनुमानों के अनुसार, भारतीय लॉजिस्टिक्स सेक्टर की मध्यावधि में 8-10 प्रतिशत की वृद्धि होना अपेक्षित है, जिसके वर्ष 2020 तक 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना अपेक्षित है।
- जनवरी 2014 से जनवरी 2018 के दौरान वेयरहाउसिंग क्षेत्र में निवेश रियल एस्टेट में कुल निजी इक्विटी निवेश का लगभग 26 प्रतिशत था।
- कृषि-लॉजिस्टिक, सौर ऊर्जा संचालित माइक्रो कोल्ड स्टोर्स, ईंधन कुशल और पर्यावरण अनुकूल वाहन आदि जैसे लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में लगभग 350 स्टार्ट-अप्स पहले से ही पंजीकृत हैं।
- **व्यापार लॉजिस्टिक्स में सुधार हेतु सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं:**
  - भारतमाला, सागरमाला और समर्पित माल गलियारा (Dedicated Freight Corridors) जैसी परियोजनाओं के माध्यम से आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है।
  - दिसंबर 2019 में प्रस्तावित 102 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पाइपलाइन के एक भाग के रूप में, अगले पांच वर्षों में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क, अंतर्देशीय जलमार्ग आदि जैसी विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाएं तैयार की जाएंगी।
  - सरकार एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कार्य योजना पर कार्य कर रही है।
  - टोल प्लाजाओं पर विलम्ब में कमी लाने के लिए फास्ट-टैग्स को अनिवार्य बनाया गया है।
  - इस क्षेत्र में कौशल उन्नयन के लिए योग्यता पैक (Qualification packs) का सृजन किया गया है।
  - उद्योग की भागीदारी के माध्यम से अप्रेंटिस कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- लॉजिस्टिक्स सुविधा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाकर इसकी (लॉजिस्टिक्स) लागत को GDP के वर्तमान अनुमानित स्तर 13-14 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने से भारत के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता मिलेगी।

एंटी-डंपिंग और सुरक्षोपाय (Anti-dumping and Safeguard Measures)

- भारत सरकार देश में घरेलू उद्योगों की ओर से प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रथम दृष्टया डंपिंग किए गए वस्तुओं के संबंध में एंटी-डंपिंग अन्वेषण करती है।
- चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, यूरोपीय संघ, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, ब्राजील आदि से आयातित वस्तुओं के संबंध ऐसे अन्वेषण किए जाते हैं।
- व्यापार उपचार महानिदेशालय (Directorate General of Trade Remedies: DGTR) ने एंटी-डंपिंग शुल्क, सेफगार्ड ड्यूटी और प्रतिकारी शुल्क (countervailing duty) जैसे विभिन्न व्यापार उपायों हेतु ऑनलाइन ट्रेड याचिका प्रस्तुत करने के लिए ARTIS (भारतीय उद्योग और अन्य हितधारकों के लिए व्यापार में उपायों के लिए आवेदन) (Application for Remedies in Trade for Indian industry and other Stakeholders) नामक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारम्भ किया है।

VISION IAS

- DGTR समय-समय पर GCC और ज़िम्बाब्वे के प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यापार उपाय तंत्र पर संगोष्ठी और पारस्परिक अनुक्रिया सत्र का आयोजन करता है तथा इसने एक सहायता डेस्क और सुविधा केंद्र की स्थापना की है।

निवल विप्रेषण (Net Remittances)

निवल विप्रेषण में वृद्धि से BoP (भुगतान संतुलन) की स्थिति में सुधार होता है।

- विदेशों में कार्यरत भारतीयों से प्राप्त निवल विप्रेषण में वृद्धि हुई है।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2019 में जारी माइग्रेशन रिपोर्ट में भारत 17.5 मिलियन प्रवासी जनसंख्या के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की उत्पत्ति का प्रमुख देश रहा है।
- इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक की अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत वर्ष 2018 में शीर्ष विप्रेषण प्राप्तकर्ता देश बना रहा और इसके बाद चीन का स्थान था।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment: FDI)

निवल FDI में वृद्धि से BoP की स्थिति में सुधार होता है।

- निवल FDI प्रवाह में वर्ष 2019-20 में निरंतर वृद्धि जारी रहने से पहली छमाही में ही पिछले वर्ष के स्तर से 50 प्रतिशत से अधिक धनराशि आकर्षित हुई है, जिसके लिए FDI दिशा-निर्देशों के निरंतर उदारीकरण को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investment: FPI)

निवल FPI प्रवाह में वृद्धि से BoP की स्थिति में सुधार होता है।

- चालू खाता घाटे (CAD) की प्रतिपूर्ति हेतु FPI से प्राप्त राशि का उपयोग किया जाता है। हालांकि, FDI के संबंध में FPI के माध्यम से CAD की प्रतिपूर्ति में कमी आई है (वर्ष 2009-14 के 45.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-19 में 17.1 प्रतिशत)।
- वर्ष 2018-19 में निवल पोर्टफोलियो बहिर्प्रवाह के पश्चात्, वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में पोर्टफोलियो बहिर्प्रवाह में कमी आई है। इसके लिए अमेरिका की मौद्रिक नीति, वैश्विक बाजारों में तरलता में वृद्धि, बजट घोषणाओं और सुधार उपायों के पश्चात् भारत की वृद्धि दर की प्रबल संभावनाओं को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
- RBI द्वारा प्रकाशित वर्ष 2018-19 में भारत के BoP के मूल्यांकन संबंधी एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि ऋण खंड में सर्वाधिक FPI का बहिर्प्रवाह सरकारी क्षेत्र {अर्थात्, सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec)} से हुआ।
- वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही तक, गैर-ऋण इक्विटी और निवेश फंड के क्षेत्र में FPI अधिक रहा है।
    - ऋण घटक के कम होने से ऋण सर्विसिंग के बोझ में कमी आती है और इससे BoP स्थिति में सुधार आता है। हालांकि, देश में ऋण बाजार को गहन बनाने हेतु डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश में वृद्धि महत्वपूर्ण है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार (External Commercial Borrowings: ECBs)

निवल ECBs में वृद्धि से BoP की स्थिति में सुधार होता है।

- वर्ष 2009-14 में स्वस्थ सकारात्मक स्तर से 2014-19 के दौरान ECBs ऋणात्मक हो गया।
- निम्न वैश्विक ब्याज दरों और विदेशों में बेहतर तरलता के कारण वर्ष 2018-19 में निवल ECBs प्रवाह में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, हाल ही में सरकार द्वारा ECBs के उदारीकरण की दिशा में विभिन्न उपायों को प्रारंभ किया गया है।

विदेशी ऋण (External Debt):

GDP-विदेशी ऋण अनुपात में वृद्धि ऋण की अदायगी तथा विदेशी मुद्रा भंडार पर आहरण को बढ़ाती है, जिससे BoP की स्थिति बिगड़ जाती है।

- वैदेशिक ऋण GDP के 20 प्रतिशत के स्तर के साथ निम्न स्थिति में है।

VISION IAS

- बाह्य वाणिज्यिक उधारियों, गैर-निवासियों द्वारा की गई जमाओं तथा लघु आवधिक व्यापार ऋण में वृद्धि के कारण भारत की GDP-विदेशी ऋण अनुपात में मार्च 2019 के स्तर से वर्ष 2020 की प्रथम छमाही के अंत तक 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार की उधारियों पर ब्याज दर के अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण यह BoP की स्थिति को और अधिक कमजोर बना देता है।
- वर्ष 2012-13 से कुल वैदेशिक ऋण में अल्पावधिक ऋण (एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता के साथ) के हिस्से में गिरावट आई है।
- विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी, 2020 के अनुसार भारत का विदेशी ऋण सभी विकासशील देशों के GDP अनुपात (25.6 प्रतिशत) की तुलना में निम्न बना हुआ है।

वैदेशिक देयताएँ (ऋण + इक्विटी) {External liabilities (Debt + Equity)}:

- GDP की तुलना में वैदेशिक देयाताओं (ऋण + इक्विटी) में वृद्धि के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है और इससे BoP की स्थिति कमजोर होती है। GDP के अनुपात में भारत की वैदेशिक देयताओं में वर्ष 2009-14 की तुलना में वर्ष 2014-19 के दौरान प्रमुख गिरावट देखी गई है।

निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (Net International Investment Position: NIIP):

यह किसी विनिर्दिष्ट समय पर एक राष्ट्र के पास विदेशी परिसंपत्तियों के भंडार तथा उस राष्ट्र की परिसंपत्तियों में विदेशियों के स्टॉक (स्वामित्व) के मध्य अंतराल को मापता है।

- NIIP-GDP अनुपात में परिवर्तन, किसी देश द्वारा वहन की जाने वाली वैदेशिक देयताओं और विदेशी राष्ट्र द्वारा किए गए निवेश को प्रभावित करता है। इस प्रकार यह ऋण में निवल बदलाव को मापता है और GDP के संबंध में इक्विटी सर्विसिंग भार का भी मापन करता है।
- निवल FDI प्रवाह में वृद्धि से वर्ष 2009-14 से 2014-19 तक निवल NIIP कमजोर हुआ है।
- हालांकि, GDP के संबंध में भार कम हुआ है तथा ऋण और इक्विटी सर्विसिंग दायित्व भी कम हुए हैं।

संभावी परिदृश्य (Outlook)

- विगत कुछ वर्षों में, भारतीय प्रशुल्क व्यवस्था को इसके व्यापारिक भागीदारों के कारण दबाव का सामना करना पड़ा है। ये भागीदार देश के मूल सीमा शुल्क में कटौती का प्रयास करते हैं।
- भारत ने अपनी प्रशुल्क व्यवस्था का यह कहते हुए बचाव किया है कि देश के संवेदनशील कारोबार को संरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है। वर्तमान समय की विपरीत प्रशुल्क व्यवस्था को ठीक करने हेतु मध्यवर्ती आदानों और कच्चे माल के संबंध में प्रशुल्क दरों में कुछ कमी करनी पड़ सकती है।
- एक समन्वित प्रशुल्क व्यवस्था से विनिर्माण गतिविधियों (मुख्यतः निर्यात हेतु) के लिए आयातित मध्यवर्ती आदानों की लागत कम होगी, जिसके परिणामस्वरूप देश के निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा।
- इसके लिए भारत हेतु तैयार माल के निर्यात और कच्चे माल व मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात के मध्य संबंधों का विश्लेषण किया जा रहा है।
    - यह दर्शाता है कि भारत के मध्यवर्ती आदानों के आयात में वृद्धि के कारण हर बार 1 से अधिक की लोच के साथ संबद्ध उपभोग के सामानों के निर्यात में वृद्धि हुई है।
    - तदनुसार, मध्यवर्ती आदानों के मूल सीमा शुल्क की कटौती से न केवल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उचित प्रोत्साहन सृजित कर विपरीत शुल्क ढांचे को सही करने में सहायता मिलेगी, बल्कि उन उपभोग वस्तुओं के निर्यात में भी वृद्धि होगी जो आयातित मध्यवर्ती वस्तुओं का अधिक प्रयोग करती हैं।

VISION IAS

अध्याय 4: मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

(Monetary Management and Financial Intermediation)

वर्ष 2019-20 की मौद्रिक नीति के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम (Monetary Developments during 2019-20 Monetary Policy)

- प्रारंभ में, मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee: MPC) ने मौद्रिक नीति की स्थिति को तटस्थता (neutral) से परिवर्तनशील (accommodative) की ओर ले जाने हेतु नीतिगत रेपो दर में लगातार चार बार कटौती {110 आधार अंकों (basis points: bps)} करने का निर्णय लिया।
    - MPC का यह निर्णय अल्प मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था में निजी निवेश को प्रोत्साहित कर घरेलू संवृद्धि को सुदृढ़ करने की आवश्यकता से प्रेरित था।

- **रिज़र्व मनी (M0)** = प्रचालन में मुद्रा + भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकरों का जमा + भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा
- **ब्रॉड मनी (M3)** = जनता के पास नकदी + बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमा + RBI के पास अन्य जमा + बैंकिंग प्रणाली के पास सावधि जमा

- बाद में, MPC ने रेपो दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय किया, जिसके कारण निम्नलिखित है:
    - उपभोक्ता मुद्रास्फीति में वृद्धि।
    - MPC का यह प्रयोजन कि प्रभावी मौद्रिक नीति संचरण तक प्रतीक्षा करना उचित है।
- वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक GDP अनुमानों को संशोधित कर 5 प्रतिशत करने का कारण:
    - रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के साथ-साथ विभिन्न आवृत्ति संकेतकों ने घरेलू और बाह्य दोनों ही मांग स्थितियों में कमजोरी का संकेत दिया है।

मौद्रिक समुच्चय (Monetary aggregates):

- वर्ष 2018-19 के दौरान मौद्रिक समुच्चय की वृद्धि दरों में वर्ष 2016-17 में विमुद्रीकरण के कारण और पुनः वर्ष 2017-18 में पुनर्मुद्रीकरण की प्रक्रिया के कारण असामान्य व्यवहार का अनुभव करने के बाद प्रत्यावर्तन की दीर्घकालिक प्रवृत्ति देखी गई।
- रिज़र्व मनी (आरक्षित धन) का प्रसार हुआ, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इसका परिमाण निम्नतर रहा है।
- ब्रॉड मनी (व्यापक मुद्रा) (M3) की वृद्धि में वर्ष 2009 के पश्चात् से गिरावट आई है। हालांकि, 2018-19 के पश्चात् से इसमें अल्प वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2019-20 में, सावधि जमा (टाइम डिपॉजिट) और मांग जमा दोनों में वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2017-18 से मौद्रिक गुणक (M3 / M0) में गिरावट रही है और वर्ष 2019-20 में भी इसमें गिरावट जारी रही।

तरलता की स्थिति और इसका प्रबंधन (Liquidity Conditions and its Management)

- **वर्तमान स्थिति:** वर्ष 2019-20 में प्रणालीगत तरलता जून 2019 से ही काफी हद तक अधिशेष की स्थिति में है। इसके कारण निम्नलिखित हैं:
    - सरकार द्वारा व्यय में वृद्धि, RBI द्वारा विदेशी मुद्रा का निवल क्रय, सांविधिक नकदी अनुपात (SLR) में कमी, बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा की वापसी, खुले बाजार की क्रियाएं (Open Market Operations: OMO) आदि।
    - विमुद्रीकरण के दो वर्ष पश्चात् मुद्रा की मांग में नरमी आई है।

सरकारी प्रतिभूति बाजार के घटनाक्रम (Developments in the G-Sec Market)

- कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण आरंभ में G-SEC पर लाभप्राप्ति में अल्प वृद्धि हुई।
- इसके पश्चात्, इसमें अधिकतर गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी, जिसके लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है:
    - अमेरिकी फेडरल रिज़र्व के मौद्रिक नीति रुख में बदलाव।
    - बैंकिंग क्षेत्र की तरलता में सुधार।
    - RBI द्वारा निरंतर नीतिगत दरों में कटौती के साथ-साथ तटस्थता से परिवर्तनशील नीति की ओर संक्रमण।
    - कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने भी इस धारणा को बल दिया।
    - सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष का स्थानांतरण।

VISION IAS

- महत्वपूर्ण और निरंतर अधिशेष चल निधि।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "स्पेशल मार्केट ऑपरेशन", जिससे दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की खरीद और साथ ही लघु अवधि की प्रतिभूतियों की बिक्री से 10 वर्ष के G-SEC पर लाभप्राप्ति (यील्ड) को नीचे लाने में सहायता मिली।

बैंकिंग क्षेत्र (Banking Sector)

- **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (Scheduled Commercial Banks: SCBs)**
  - सकल गैर-निष्पादित अग्रिम (Gross Non Performing Advances: GNPA) अनुपात (अर्थात् सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में GNPAs) 9.3 प्रतिशत पर स्थिर बना रहा।
  - पुनर्गठित मानक अग्रिम (Restructured Standard Advances: RSA) अनुपात और स्ट्रेस्ड अग्रिम (SA) अनुपात दोनों इस अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहे।
  - SCBs के जोखिम भारित परिसंपत्ति से पूँजी अनुपात (Capital to Risk-weighted Asset Ratio: CRAR) में सुधार के कारण PSBs के CRAR में वृद्धि हुई है।
  - SCBs की रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) और रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) में वृद्धि हुई है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (Public Sector Banks: PSBs)**
  - PSBs का GNPA अनुपात 12.3 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा, जबकि स्ट्रेस्ड अग्रिम अनुपात में थोड़ी वृद्धि हुई है।
  - मुख्य रूप से प्रोविजनिंग आवश्यकताओं के कारण कई PSBs मार्च 2016 से निरंतर ऋणात्मक लाभप्रदता अनुपात दिखा रहे हैं।

मौद्रिक संचरण (Monetary Transmission): वर्ष 2019 में निम्नलिखित तीनों स्तरों पर मौद्रिक संचरण कमजोर रहा है: दर संरचना, ऋण की मात्रा और मियादी संरचना।

- **दर संरचना (Rate Structure):**
  - जनवरी 2019 से रेपो दर में 135 BPS की कमी होने के बावजूद वर्ष 2019 में SCBs की भारित औसत उधार दर (Weighted Average Lending Rate: WALR) में कोई कमी नहीं आई।
  - यद्यपि SCBs के बकाया ऋणों पर रेपो दर में हुई कटौती का कोई संचरण नहीं दिखा है, तथापि नए ऋणों पर इसका (मौद्रिक संचरण) प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ है।
  - इस दशक में क्रेडिट स्प्रेड (रेपो रेट और WALR के मध्य अंतर) सबसे ऊंचें स्तर पर है।
  - बचत जमा दर में केवल अल्प कमी आई है।
  - पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) जैसी लघु बचत योजना पर तुलनात्मक रूप से उच्च दरों के कारण मियादी जमा दर में कमी देखी गई है।
- **मियादी संरचना (Term structure):**
  - RBI की मौद्रिक सुगमता और LAF (तरलता समायोजन सुविधा) के प्रभाव के कारण दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूतियों (10 वर्ष वाले सरकारी प्रतिभूति) की तुलना में अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों (364 दिन के ट्रेजरी बिल) पर प्रतिफल में तेजी से गिरावट आई है।
- **साख वृद्धि (Credit Growth)**
  - व्यक्तिगत ऋण (इसमें निरंतर वृद्धि हुई है) को छोड़कर गैर-खाद्य ऋण के सभी प्रमुख क्षेत्रों में क्रेडिट ग्रोथ में नरमी दर्ज की गयी है।
  - ऐसी नरमी सेवा क्षेत्र की क्रेडिट ग्रोथ में तीव्र गिरावट के परिणामस्वरूप हुई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) तथा वस्त्र उद्योगों की क्रेडिट ग्रोथ में ऋणात्मक वृद्धि हुई है।

बैंकिंग विनियमों से संबंधित प्रमुख नीतिगत परिवर्तन (Major Policy Changes related to Banking Regulations)

- परिसंपत्ति वर्गीकरण में दर्जा घटाए बिना 'मानक' के रूप में वर्गीकृत **MSMEs के ऋणों को एकबार पुनः संरचित करने** की अनुमति प्रदान की गयी है।
- अवसंरचना निवेश न्यासों (InvITs) को बैंक ऋण देने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।
- बैंकों को सभी नए अस्थायी दर (floating rate) वाले व्यक्तिगत अथवा खुदरा ऋणों को और MSMEs को प्रदत्त अस्थायी

VISION IAS

दर वाले ऋणों को विदेशी बेंचमार्क पर आधारित बाह्य बेंचमार्क से जोड़ने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए:
- **बेंचमार्क:** बैंक अब रेपो रेट, 3 और 6 महीने के ट्रेजरी बिल पर प्रतिफ़ल तथा कोई अन्य बेंचमार्क जो फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड (FBIL) द्वारा प्रकाशित हो, का चयन करने हेतु स्वतंत्र हैं।
- **प्रसार:** बैंक, विदेशी बेंचमार्क को प्रसारित करने का निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र हैं।
- **ब्याज दरों को फिर तय करना:** विदेशी बेंचमार्क के तहत ब्याज दर को कम से कम तीन माह में एक बार पुनः तय किया जा सकता है।

- रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान हेतु मितव्ययी ढांचा (Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets) जारी किया है। इसके लिए निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं:
  - बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बड़े उधारकर्ताओं द्वारा डिफ़ॉल्ट की शीघ्र पहचान और रिपोर्टिंग।
  - समाधान योजनाओं (resolution plans) के डिजाईन और कार्यान्वयन के संबंध में उधारदाताओं को पूर्ण विवेकाधिकार प्रदान किए गए हैं।
  - दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए सामंजस्यपूर्ण रूपरेखा।
  - समाधान योजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब होने पर इन संस्थाओं पर कार्रवाई की जा रही है।
  - पुनः संरचित किए जाने पर परिसंपत्ति वर्गीकरण व्यवस्थाओं को वापस लेना।
  - पुनः संरचित करने के प्रयोजनार्थ, 'बैंकिंग कठिनाई' को बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बेसल समिति द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से तालमेल स्थापित किया जाना।
  - सभी उधारदाताओं के लिए इंटर-क्रेडिटर एग्रीमेंट (ICA) पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
- सभी निजी क्षेत्र के बैंकों के पूर्ण कालिक निदेशकों / मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, महत्वपूर्ण जोखिम उठाने वालों और नियंत्रण प्रकार्य कर्मचारियों के लिए **क्षतिपूर्ण संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश।**

गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र (Non-Banking Financial Sector: NBFC)

वर्तमान स्थिति:

- NBFC द्वारा प्रदत्त ऋण की वृद्धि में गिरावट आई है, लेकिन NBFC क्षेत्र के तुलन-पत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हिया।
- इस क्षेत्र में तरलता दबाव भी देखा गया है।
- **NBFC के वित्त पोषण के स्रोत:** बैंक ऋण और बाजार ऋण में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि NBFC को म्युचुअल फण्ड द्वारा क्रेडिट /धन का हस्तांतरण कम / संकुचित हुआ है। बाजार उधार के साधनों में, वाणिज्यिक प्रपत्र की हिस्सेदारी कम हुई है, जबकि अपरिवर्तनीय डिबेंचर (Non Convertible Debentures: NCD) के हिस्से में वृद्धि हुई है।
- 15 प्रतिशत की विनियामक आवश्यकता के स्थान पर NBFC क्षेत्र का CRAR 19.5 प्रतिशत तक बना हुआ है।
- NBFC क्षेत्र की सकल NPAs अनुपात और निवल NPAs अनुपात दोनों में वृद्धि हुई है।
- पिछले वर्ष इनके ROA और ROE में गिरावट आई थी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय विनियमन / पर्यवेक्षण से संबंधित प्रमुख नीतिगत परिवर्तन (Major Policy Changes related to Non-banking Financial Regulation /Supervision)

- NBFC सेक्टर के विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए RBI अधिनियम, 1934 में संशोधन किया गया है, ताकि रिजर्व बैंक में अतिरिक्त शक्तियां निहित की जा सके।
- रिज़र्व बैंक ने जनता को अपने दैनिक गैर-व्यापार चालू खाता लेनदेन के लिए प्रदान की गई सेवाओं तक पहुंच और दक्षता बढ़ाने के लिए गैर-डिपोजिट लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण NBFC-ICC को प्राधिकृत डीलर श्रेणी-II लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति दी है।
- रिजर्व बैंक द्वारा NBFCs के लिए एक नया तरलता जोखिम ढांचा प्रदान किया गया है।
- NBFC-MFIs (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं) के उधारकर्ताओं के लिए घरेलू आय की सीमा को बढ़ाया गया है।
- हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs) के विनियमन को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से RBI को हस्तांतरित कर दिया गया है।

पूंजी बाजार में घटनाक्रम (Developments in Capital Markets)

प्राथमिक बाजार (Primary Market)

- **सार्वजनिक निर्गमन (Public Issue):** पब्लिक इश्यु और राइट्स इश्यु के माध्यम से जुटाए गए कुल धन में वृद्धि हुई हिया।
  - **इक्विटी:** सार्वजनिक निर्गम (इक्विटी) के माध्यम से संसाधन संग्रह में कमी आई है, जबकि पिछले वर्ष राइट्स इश्यु (इक्विटी) के माध्यम से संसाधन संग्रह में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई।
  - **ऋण:** जनता को ऋण प्रतिभूति जारी करके संसाधन जुटाने में उल्लेखनीय कमी आई है।
- **प्राइवेट प्लेसमेंट (Private Placement):** वर्ष 2019-20 के दौरान भारतीय कॉर्पोरेट्स ने पूंजी को बढ़ाने के लिए निजी तौर पर शेयर आवंटन को प्राथमिकता दी।
- **विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) द्वारा म्युचुअल फंड गतिविधियां और निवेश:** अप्रैल-दिसंबर 2019 के दौरान दोनों में निवल अंतर्वाह रहा।
- **भारतीय बेंचमार्क सूचकांक की गतिविधि:** निफ्टी 50 और S&P BSE सूचकांक, वर्ष 2019-20 के दौरान रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था।

बीमा क्षेत्र (Insurance Sector) : बीमा क्षेत्र की संभावना और निष्पादन सामान्यत: दो पैरामीटर के आधार पर मूल्यांकित की जाती है अर्थात् बीमा संबंधी पैठ (insurance penetration) और बीमा संबंधी सघनता (insurance density)।

- भारत में **बीमा संबंधी सघनता** वर्ष 2001 में 11.5 अमेरिकी डॉलर थी, जो वर्ष 2018 में 74 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई (जीवन बीमा- 55 अमेरिकी डॉलर और गैर-जीवन बीमा-19 अमेरिकी डॉलर)।
- वर्ष 2011 से **जीवन बीमा पैठ** में कमी आई है, जबकि गैर-जीवन बीमा में निरंतर रूप से वृद्धि हुई है तथा यह वर्ष 2018 में जीवन बीमा के लिए 2.74 प्रतिशत और गैर-जीवन बीमा के लिए 0.97 प्रतिशत था।
- **वैश्विक स्तर पर बीमा पैठ और सघनता** 3.31 प्रतिशत तथा जीवन बीमा खंड के लिए 370 अमेरिकी डॉलर थी, गैर-जीवन बीमा खंड के लिए 2.78 प्रतिशत और 312 अमेरिकी डॉलर थी।

बीमा संबंधी पैठ और सघनता का मापन देश में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर को प्रदर्शित करता है।

- GDP की तुलना में बीमा प्रीमियम की प्रतिशतता के रूप में बीमा पैठ का मापन किया जाता है।
- जनसंख्या की तुलना में प्रीमियम के अनुपात के रूप में बीमा संबंधी सघनता को परिकल्पित किया जाता है।

वित्तीय संविदाओं के लिए द्विपक्षीय नेटिंग (Bilateral Netting for Financial Contracts)

- द्विपक्षीय नेटिंग समझौते के अंतर्गत किसी वित्तीय अनुबंध में शामिल दो प्रतिपक्षकार (counterparties), एक-दूसरे के दावे को ऑफसेट (निपटाने अथवा समायोजित) करने हेतु, एक-दूसरे को देय एकल निवल भुगतान राशि का निर्धारण करते हैं।
- इसी प्रकार, बहुपक्षीय नेटिंग समझौते के अंतर्गत पक्षकार समाशोधन गृह में एक मध्यवर्ती प्रतिपक्षकार (Central Counterparty: CCP) में माध्यम से एक दूसरे के दावों को समायोजित कर सकते हैं।
- वर्तमान में, भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) अधिनियम, 2015 {Payment and Settlement Systems (Amendment) Act (2015)} के अंतर्गत CCP {जैसे कि क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL)} के माध्यम से वित्तीय लेनदेन के लिए बहुपक्षीय क्लोज-आउट नेटिंग (अर्थात् दावों के निपटान) के लिए विधिक प्रावधान उपलब्ध हैं।
- हालांकि, भारत में वित्तीय समझौतों के लिए द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं है।
- **वित्तीय स्थिरता बोर्ड** (FSB) और **बेसल समिति** जैसी वैश्विक नियामक निकायों ने वित्तीय स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव के कारण क्लोज-आउट नोटिंग के उपयोग का समर्थन किया है।
- भारत में द्विपक्षीय क्लोज-आउट नेटिंग के लिए एक विधिक ढांचा स्थापित करने से निम्नलिखित सहायता प्राप्त होंगी:
  - बैंकों के क्रेडिट जोखिम और नियामक पूंजी भार को कम किया जा सकेगा, अन्य उत्पादक उपयोगों के लिए पूंजी को मुक्त किया जा सकेगा।
  - हेजिंग लागत को कम किया जा सकेगा और बैंकों के चलनिधि की आवश्यकता को कम किया जा सकेगा, जिसके फलस्वरूप जोखिम से बचाव के लिए ओवर-द-काउंटर (OTC) डेरिवेटिव बाजार में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा

VISION IAS

सकेगा। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (CDS) बाजार में बाजार की भागीदारी बढ़ने से भी कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार के विकास के लिए एक प्रोत्साहन प्राप्त होगा;

- किसी प्रतिपक्षकार (counterparty) द्वारा चूक की स्थिति में वित्तीय संविदाओं के लिए एक कुशल वसूली तंत्र स्थापित किया जा सकेगा;
- OTC डेरिवेटिव बाजार में वैश्विक विनियामक सुधारों को लागू करने के लिए भारत की G-20 और FSB प्रतिबद्धता का पालन किया जा सकेगा।

दिवाला व शोधन अक्षमता संहिता: महत्वपूर्ण विकास {Insolvency and Bankruptcy Code (IBC): Important Developments}

- कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) आरंभ करने वाले 2,542 कॉर्पोरेट्स में से लगभग 743 कॉर्पोरेट्स ने तीन वर्ष में प्रक्रिया पूर्ण कर ली है।
- CIRP के लिए NCLT के द्वारा स्वीकृत मामलों में 41.2 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र के तथा उसके पश्चात् स्थावर संपदा (रियल एस्टेट), किराया और व्यवसाय गतिविधियां सेक्टर के 19 प्रतिशत मामले हैं।
- IBC के तहत समाधान प्रक्रिया अन्य प्रक्रियाओं की तुलना में सर्वाधिक है।

VISION IAS

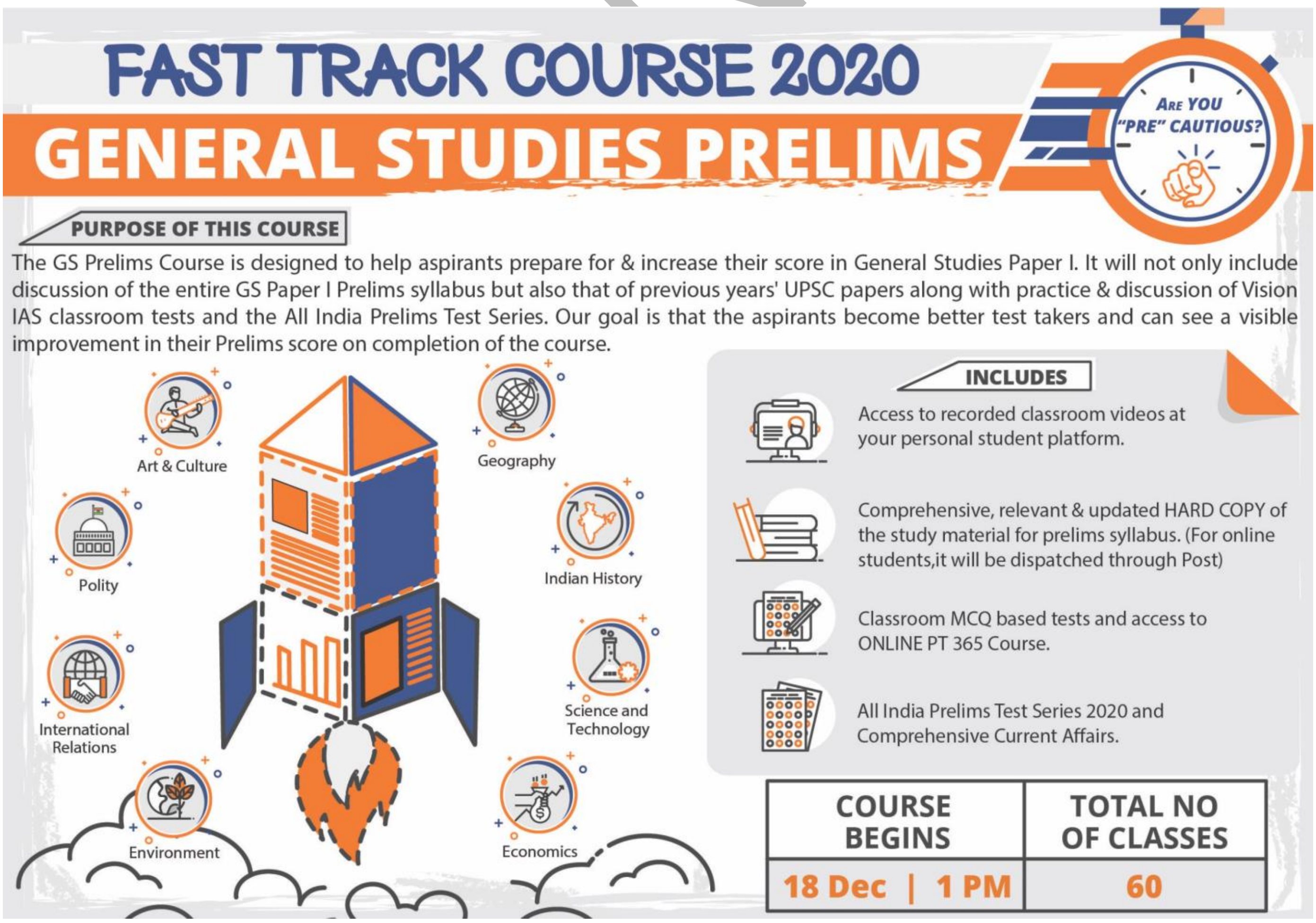

अध्याय 5: कीमतें और मुद्रास्फीति

(Prices and Inflation)

परिचय (Introduction)

- विगत पांच दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति में अत्यधिक गिरावट देखी गई है।
- उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भी इस अवधि में मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी का अनुभव किया गया है।
- उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में तीव्र कमी हेतु कई कारण सहायक हो सकते हैं, जैसे:
    - समायोजनशील मौद्रिक और राजकोषीय नीति ढांचे की स्वीकार्यता।
    - श्रम और उत्पाद बाजार में संरचनात्मक सुधार, जो प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करते हैं।
    - मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए मौद्रिक नीति ढांचे का अंगीकरण।
- भारत में, मुद्रास्फीति में वर्ष 2014 से गिरावट देखी जा रही है। हालांकि, हाल ही में मुद्रास्फीति में वृद्धि देखी गई है, हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (CPI-C) मुद्रास्फीति 2019-20 (अप्रैल से दिसंबर, 2019) में 4.1 प्रतिशत थी जो कि 2018-19 में 3.7 प्रतिशत थी।

मुद्रास्फीति में वर्तमान प्रवृत्तियां (Current trends in Inflation)

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (CPI-C) पर आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति में 2014 से अधोमुखी गिरावट हो रही है।
    - खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट इसका कारण रहा है, जो वर्ष 2014-15 के 6.4 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2018-19 में 0.1 प्रतिशत तक पहुँच गया।
- वर्ष 2019-20 में, हेडलाइन और खाद्य मुद्रास्फीति में अल्प वृद्धि हुई।
    - CPI-खाद्य मुद्रास्फीति में 14.1 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है जो कि मुख्यतः सब्जी की कीमतों में वृद्धि से प्रेरित थी।
- वर्ष 2019-20 के दौरान, WPI पर आधारित मुद्रास्फीति में अप्रैल 2019 में 3.2 प्रतिशत से नवंबर 2019 में 0.6 प्रतिशत तक की सतत गिरावट रही है, किन्तु दिसंबर 2019 में 2.6 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।
- जुलाई 2018 से, CPI-शहरी मुद्रास्फीति, CPI-ग्रामीण मुद्रास्फीति से निरंतर उच्च रही है।
    - यह प्रारंभिक अनुभव के विपरीत है जहां ग्रामीण मुद्रास्फीति मुख्यतः शहरी मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक रही है।
    - यह विचलन मुख्यतः इस अवधि के दौरान देखे गए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मध्य खाद्य मुद्रास्फीति की विभेदक दरों (differential rates) के कारण हुआ है।
- वर्ष 2019-20 की अवधि में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति में अकस्मात परिवर्तन हुआ।
    - ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति अधिक दर्ज की गई।
    - ग्रामीण मुद्रास्फीति में मामूली गिरावट का कारण वास्तविक ग्रामीण मजदूरी (real rural wages) की वृद्धि में गिरावट है।

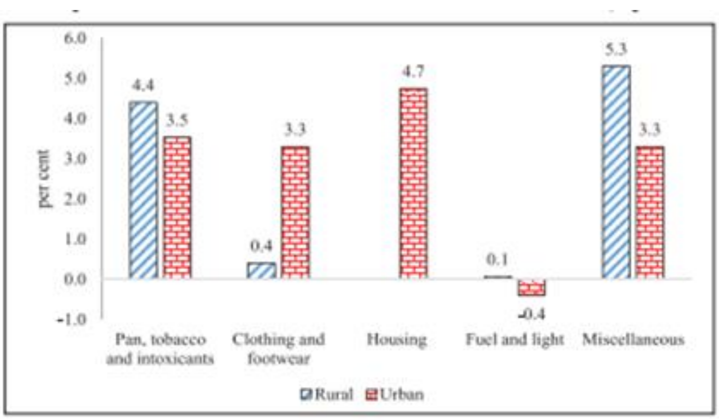

- ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति में विचलन केवल खाद्य घटकों में ही नहीं, अपितु यह विचलन अन्य घटकों में भी देखा गया है:
    - कपड़ों और जूतों में, मुद्रास्फीति ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक थी।
    - पान, तंबाकू और मादक पदार्थों, ईंधन और विद्युत तथा अन्य विविध समूहों के संबंधों में, ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक थी।

राज्यों में मुद्रास्फीति (Inflation in States)

- CPI-C मुद्रास्फीति में राज्यों के स्तर पर अत्यधिक भिन्नता रही है।
- हालांकि, लगभग सभी राज्यों में समग्र मुद्रास्फीति की दर काफी कम रही है।

VISION IAS

- यद्यपि अधिकांश राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों की समग्र मुद्रास्फीति दर शहरी क्षेत्रों की समग्र मुद्रास्फीति दर से कम है।

मुद्रास्फीति के कारक (Drivers of Inflation)

- वर्ष 2019-20 के दौरान, खाद्य और पेय पदार्थ CPI-C मुद्रास्फीति में मुख्य योगदानकर्ता के रूप में उभरे हैं।
- इस अवधि के दौरान विविध समूह मुद्रास्फीति में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता था।

कच्चे तेल तथा ईंधन की कीमतों में वृद्धि (Crude Oil and Fuel Inflation)

- वैश्विक स्तर पर कमजोर वैश्विक मांग के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई थी।
- देश के आयात बास्केट में तेल का प्रमुख भाग होने के कारण इसका पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- WPI में खनिज तेल समूह में वर्ष 2019 के मध्य में 5.8 प्रतिशत की मुद्रास्फीति देखी गई, तत्पश्चात निरंतर गिरावट दर्ज की गई।

खाद्य मुद्रास्फीति (Food Inflation)

- कुछ जिंस, यथा- प्याज, टमाटर और दालों ने अगस्त 2019 से उच्च मुद्रास्फीति को दर्शाया है।
- बेमौसम वर्षा के कारण कम उत्पादन हुआ और साथ ही साथ प्याज और टमाटर की बाजारों में कम आपूर्ति हुई है।
- दालों के मामले में, पिछले वर्ष की तुलना में बुवाई में प्रगति अत्यंत कम स्तर पर रही है। कुछ दलहन फसलों के मामले में मकड़ जाल (Cobweb Phenomena) का भी अनुभव किया गया है। यह सिद्धांत एक विचार है कि मूल्य में उतार-चढ़ाव से आपूर्ति में उतार-चढ़ाव हो सकता है जिसके कारण मूल्यों में वृद्धि और गिरावट का एक चक्र बनता है। किसान उस समय मकड़ जाल के घटनाक्रम में फंस जाते हैं जब वे अपनी फसल की बुवाई विगत वर्ष की विपणन अवधि के आधार पर करने का निर्णय लेते हैं।
    - मकड़ जाल की घटना को रोकने के लिए, यह आवश्यक है कि मौजूदा उपायों के अतिरिक्त किसानों द्वारा दलहन को ख़राब/ कीमत आघात होने से बचाने तथा सुरक्षित रखने हेतु निम्नलिखित उपाय करने होंगे जो इस प्रकार हैं: मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilization Fund: PSF) के तहत दखल, प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के तहत कवरेज, PM-AASHA, गोदाम उपलब्ध कराना, परिवहन में सुधार, e-NAM आदि के माध्यम से कीमतों की जांच करना, भारत को दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए दालों के नि:शुल्क निर्यात को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

औषधि मूल्य निर्धारण (Drug Pricing)

- लोगों की स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में से, प्रमुख हिस्सा दवाओं पर व्यय होता है। अतः यह स्थिति सस्ती औषधियों के प्रावधान को अनिवार्य बनाती है।
- भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र न केवल कल्याणकारी निहितार्थों के कारण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अपितु इसकी तकनीकी क्षमता और वैश्विक स्थिति के सिद्ध रिकॉर्ड के साथ एक क्षेत्र के रूप में इसका आर्थिक महत्व भी है।
- इस क्षेत्र में हाल के वर्षों में काफी वृद्धि दर्ज की गई है तथा आगामी वर्षों में इसके और अधिक विकास की संभावना है।
- उच्चतम मूल्य/ अधिकतम खुदरा मूल्य (Maximum Retail Price: MRP) के निर्धारण से ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO), 2013 के कार्यान्वयन के उपरांत जनता के 12,447 करोड़ की बचत हुई है।
- यह देखा गया है कि भारतीय बाजार में पोस्ट प्राइस कैपिंग अवधि (वर्ष 2017) में कार्डियक स्टेंट की बिक्री में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- यह भी देखा गया है कि स्वदेशी विनिर्माताओं को मूल्य कैपिंग से लाभ प्राप्त हुआ है क्योंकि उत्पादन में इनकी भागीदारी से पोस्ट कैपिंग अवधि में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2012 (National Pharmaceutical Pricing Policy, 2012)

उद्देश्य:

- औषधियों के मूल्य निर्धारण हेतु एक नियामक ढांचा तैयार करना ताकि “आवश्यक दवाओं” (essential medicines) की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- उद्योग के विकास का समर्थन करने हेतु नवाचार और प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना।

VISION IAS

अतिआवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता (Volatility in Essential Commodity Prices)

- यह देखा जा सकता है कि समग्र मूल्य में अस्थिरता सब्जियों के लिए उच्चतम थी तथा चावल, गेहूं और पाम ऑयल के लिए निम्नतम थी।
- चावल और गेहूं की कीमतें वर्ष 2014 में निम्नलिखित के कारण स्थिर रहीं:
  - पर्याप्त घरेलू उत्पादन से उत्पन्न पर्याप्त आपूर्ति।
  - खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु चावल और गेहूं के पर्याप्त बफर स्टॉक के रखरखाव के कारण।
- वर्ष 2014-2019 के दौरान दाल, चीनी और टमाटर के लिए अस्थिरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।

कीमत अस्थिरता को प्रभावित करने वाले कारण (Causes affecting Price Volatility)

- वह परिणाम जिस पर उत्पादन और उपभोग अत्यधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है कीमत अस्थिरता का कारण बनती है, जो कि आपूर्ति और मांग की लोच पर निर्भर करता है।
- स्टॉकहोल्डिंग और सट्टेबाजी (speculation) का कीमत परिवर्तनशीलता पर स्थायीकारी अथवा अस्थायीकारी (stabilising or destabilizing) जैसे प्रमुख प्रभाव हो सकते हैं।
- वस्तुओं की नश्वरता (Perishability) भी कीमत अस्थिरता में वृद्धि करती है।
- विपणन चैनलों की विद्यमानता, भंडारण सुविधाएं और प्रभावी MSP प्रणाली भी कीमत अस्थिरता को सीमित करने में सहायक होती है।

कृषि संबंधी आवश्यक वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों में परिवर्तन (Divergence in retail and wholesale prices for essential agricultural commodities)

- विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्य में वर्ष 2014 से 2019 तक की अवधि के दौरान देश के चार महानगरों में अंतर देखा गया।
- कीमतों में ऊर्ध्वाधर वृद्धि उन सब्जियों के लिए अधिकतम है, जो नष्ट होने योग्य हैं और इसके बाद दालों व खाद्य तेलों के लिए सबसे कम हैं।
- थोक एवं खुदरा मूल्यों के मध्य इस प्रकार के उच्च विस्तार के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हो सकते हैं, जैसे:
  - उच्च लेनदेन लागतों, कमजोर अवसंरचना एवं सूचना प्रणालियों, त्रुटिपूर्ण विपणन व्यवस्था, बिचौलियों की बड़ी संख्या आदि।
  - विभिन्न राज्यों में बाजार संरचना भी भिन्न-भिन्न रूपों में है जिससे इन राज्यों में लेनदेन संबंधी लागतें भिन्न-भिन्न हैं।
  - बिचौलियों की कार्रवाई के कारण थोक से खुदरा और खुदरा से थोक कीमतों के कीमत संबंधी संकेतों के प्रसारण में असंगति।
- इस प्राइस-वेज को कम करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बाजार की बाधाओं तथा प्रणाली में लेनदेन लागतों को बढ़ाने वाली संरचनात्मक सख्तियों को हटाया जाए।

क्या मुद्रास्फीति के आयामों में कोई परिवर्तन आया है? (Has there been a shift in Inflation Dynamics)

- हेडलाइन मुद्रास्फीति के मूल मुद्रास्फीति में दृढ़ प्रत्यावर्तन के प्रमाण मौजूद हैं।
- इससे खाद्य और ईंधन की कीमतों में किसी आघात के पश्चात् मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया के लिए निहितार्थ हो सकते हैं।
  - मौद्रिक नीति को गैर-प्रमुख घटकों में अल्पकालिक, क्षणिक मूल्य आघात के कारण सख्त बनाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
- भारत में मुद्रास्फीति के परिवर्तनशील आयामों में दो प्रमुख कारकों का योगदान हो सकता है।

VISION IAS

- प्रथम, यह देखा गया कि खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है।
- दूसरा, मुद्रास्फीति अपेक्षाओं में गिरावट हुई है, ऐसा अंशतः मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं को बनाए रखने में RBI द्वारा अंगीकृत मौद्रिक नीति के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण दृष्टिकोण की सफलता के कारण हो सकता है।

वैश्विक वस्तु की कीमतों में वैश्विक रुझान (Trends in Global Commodity Prices)

- विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कीमतों के अनुसार, ऊर्जा पण्यवस्तु कीमतों में वर्ष 2019-20 में गिरावट की प्रवृत्ति दर्ज की गई है।
- खाद्य कीमतों के संदर्भ में, अपस्फीति की प्रवृत्ति जारी रही है।
- धातु और खनिज सूचकांक में भी अवस्फीति की प्रवृत्ति देखी गई।

आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय (Measures taken by government to contain price rise of Essential Commodities)

- व्यापार और राजकोषीय नीतिगत साधनों का उपयोग करना, जैसे- आयात शुल्क, न्यूनतम निर्यात मूल्य, निर्यात प्रतिबंध, स्टॉक सीमाओं को लागू करना तथा जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के संबंध में राज्यों को परामर्श प्रदान करना।
- सरकार उत्पादन वृद्धि हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करके किसानों को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।
- सरकार ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उचित उपायों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। इन योजनाओं में **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFS)** आदि शामिल हैं।
- सरकार कृषि-बागवानी समूह की वस्तुओं की कीमतों में कमी और अस्थिरता में सहायता हेतु **मूल्य स्थिरीकरण निधि (Price Stabilization Fund: PSF)** का भी कार्यान्वियन कर रही है।
- **भारत से वस्तु निर्यात योजना (Merchandise Exports from India Scheme: MEIS)** के अंतर्गत प्याज निर्यातकों के लाभ की व्यवस्था को वापस ले लिया गया है।
- सितंबर 2019 में प्याज पर **न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP)** को आरोपित किया गया और तदनुसार सरकार द्वारा इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- इसने देश भर के व्यापारियों पर स्टॉक सीमा अधिरोपित की।
- इसने **धूमन मानदंडों (fumigation norms)** को उदार बनाकर और भण्डारण सीमाओं से आयतकर्ताओं को छूट प्रदान कर प्याज के निजी आयात को सुविधाजनक बनाया।
- सरकार ने **मिस्र** और **तुर्की** जैसे देशों से प्याज को आयात किया।
- इसने **नाफेड (NAFED)** को राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे उत्पादक राज्यों से अतिरिक्त खरीफ प्याज को क्रय करने और घाटे वाले राज्यों में वितरण करने का निर्देश दिया।

VISION IAS

अध्याय 6: संधारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन

(Sustainable Development and Climate Change)

परिचय (Introduction)

- वर्ष 2019 में संधारणीय विकास हेतु एजेंडा-2030 और पेरिस समझौते को अपनाने के चार वर्ष पूरे हो गए तथा भारत सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के कार्यान्वयन पथ पर आगे बढ़ रहा है।
- यह अध्याय संधारणीय विकास की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास की ओर भारत के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। साथ ही, यह सुधार की अपेक्षा के साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने में विद्यमान बाधाओं को भी स्पष्ट करता है।

भारत और सतत विकास लक्ष्य (India and SDG)

- समग्र **SDG इंडिया इंडेक्स** में भारत की उपलब्धि प्रशंसनीय है, जिसमें भारत का प्राप्तांक वर्ष 2018 के 57 से बढ़कर वर्ष 2019 में 60 हो गया, जो पांच **SDG** लक्ष्यों, यथा - SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), 7 (वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा), 9 (उद्योग, नवीकरणीय और अवसंरचना), SDG 15 (भूमि पर जीवन) और SDG 16 (शांति, न्याय और सामाजिक संस्थाएं) में प्रशंसनीय देशव्यापी कार्यनिष्पादन द्वारा व्यापक रूप से प्रेरित हैं- जहां भारत ने 65 और 99 के मध्य स्कोर प्राप्त किए हैं।
- जिन लक्ष्यों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता हैं, उनमें- SDG 2 (भूखमरी को शून्य करना) और SDG 5 (लैंगिक समानता) शामिल हैं- जहां देश का समग्र स्कोर 50 से कम है।
- सूचकांक के अनुसार, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, सिक्किम, चंडीगढ़ और पुडुचेरी फ्रंट रनर के रूप में हैं, जबकि **कोई भी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र आकांक्षी श्रेणी में शामिल नहीं हैं।**

SDG इंडिया इंडेक्स 2019

- SDG इंडिया इंडेक्स 2018 की तुलना में यह अधिक व्यापक है और 16 लक्ष्यों से संबंधित 100 संकेतकों के व्यापक समूह के आधार पर राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जा रही प्रगति को रेखांकित करता है।
- **SDG प्राप्तांक 0 से 100 तक की सीमा में होते है।** 100 अंको के प्राप्तांक का अभिप्राय है कि ये वे राज्य / संघ राज्य क्षेत्र हैं जिन्होंने वर्ष 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है; 0 के स्कोर का अभिप्राय है कि ये ऐसे विशेष राज्य / संघ राज्य क्षेत्र हैं जो तालिका में सबसे नीचे है।
- 65 या उससे अधिक प्राप्तांक वाले राज्यों को **अग्रणी (Front-Runners)** के रूप में माना जाता है; 50-64 प्राप्तांक वाले श्रेणी को **निष्पादनशील (Performers)** और यदि प्राप्तांक 50 से कम है तो उसे **आकांक्षी (Aspirants)** के रूप में माना जाता हैं।

SDG नेक्सस: एक नया प्रतिमान दृष्टिकोण (SDG Nexus: A New Paradigm Approach)

- 'नेक्सस' दृष्टिकोण क्षेत्रों में प्रबंधन और प्रशासन को एकीकृत करने की अवधारणा पर बल देता है।
- इस दृष्टिकोण के तहत, SDG लक्ष्यों को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है जो विभिन्न क्षेत्रों और विषयगत क्षेत्रों के परस्पर जुड़ाव की अनुमति प्रदान करता है। चूंकि, कुछ SDG लक्ष्य एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं, अतः लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकसित और संरेखित की गई नीतियों के माध्यम से इन अंतर्संबंधों पर विचार तथा इनकी पहचान करनी चाहिए और उन संभावित लेन-देन (ट्रेड-ऑफ) की पहचान करनी चाहिए जो लक्ष्य के तहत प्रयोजन की भौतिक उपलब्धि को सीमित कर सकते हैं।
- उदाहरण के लिए: **शिक्षा एवं विद्युत के संबंध (नेक्सस) के अंतर्गत,** ऐसा माना गया है कि विद्युत की सहायता से, स्कूलों के आधुनिक तरीकों और शिक्षण की तकनीकों तक पहुँच से छात्रों के समग्र विकास में सहायता प्राप्त होती है तथा अधिगम के प्रति उनका आकर्षण बढ़ाता है और इस प्रकार शुद्ध नामांकन अनुपात में भी वृद्धि होती है। यह देखा गया है कि कम साक्षरता दर वाले राज्यों के स्कूलों में विद्युत की दर कम है और इसके विपरीत उच्च साक्षरता दर वाले राज्यों के स्कूलों में विद्युत की दर अधिक रही है।

VISION IAS

- स्वास्थ्य और विद्युत संबंध (नेक्सस) के तहत, देश में विद्युत की खपत और शिशु मृत्यु दर (IMR) में गिरावट के मध्य एक सकारात्मक संबंध देखा गया है क्योंकि कई स्वास्थ्य सुधार योजनाएं, यथा- बाल चिकित्सा देखभाल, नए जन्मे शिशुओं से संबंधी आपातकालीन सेवाएं और स्वास्थ्य केंद्रों पर सफल टीकाकरण प्रदान करने जैसी कई सुविधाएँ विद्युत की उपलब्धता पर अत्यधिक निर्भर करती हैं।

जलवायु परिवर्तन (Climate Change)

भारत द्वारा अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions: NDC) के तहत निम्नलिखित वादे किए गए हैं:

- भारत अपनी GDP उत्सर्जनों की तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2030 तक 33-35 प्रतिशत तक कम करेगा;
- वर्ष 2030 तक कुल विद्युत क्षमता में भारत के गैर-जीवाश्म ईंधन का हिस्सा 40 प्रतिशत हो जाएगा।
- वर्ष 2030 तक अपने वनावरण एवं वृक्षावरण में वृद्धि करना और 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना।

- पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के साथ संरेखित विभिन्न समझौतों और योजनाओं के माध्यम से भारत ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि वह ऐसे विकास पथ का अनुसरण करता है जो संधारणीय विकास तथा पर्यावरण संरक्षण पर आधारित हैं। ये निम्नलिखित हैं:
  - **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी):** पांच वर्षों की अवधि में, 35 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के सभी शहरी क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त (ODF) हो गए हैं और अपशिष्ट प्रसंस्करण का प्रतिशत वर्ष 2014 के लगभग 18 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 60 प्रतिशत हो गया है।
  - **नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य:** भारत ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 175 गीगावाट (GW) विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों की घोषणा की है और इस दिशा में पहले ही 83 गीगावॉट के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। इसके साथ ही भारत इस लक्ष्य को 450 गीगावाट (GW) तक बढ़ाने हेतु प्रयासरत है।
  - **उत्सर्जन की तीव्रता:** जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) के एक पक्षकार के रूप में प्रस्तुत की गई द्वितीय द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (Biennial Update Report: BUR) के अनुसार, भारत की GDP के संदर्भ में उत्सर्जन तीव्रता में वर्ष 2005-2014 की अवधि के दौरान 21 प्रतिशत की कमी हुई है।
  - **ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (Energy Conservation Building Code: ECBC):** इसके तहत निर्धारित न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन मानकों के परिणामस्वरूप 84.34 मिलियन kWh की ऊर्जा की बचत हुई है, जिससे ग्रीन हउस गैस (GHG) उत्सर्जन में प्रति वर्ष 69,154 टन CO2 की कमी हुई है।
  - **LED बल्ब वितरण हेतु उजाला (UJALA) योजना** के तहत यह वितरण 360 मिलियन को पार कर चुका है, जबकि राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम के तहत,10 मिलियन पारंपरिक स्ट्रीटलाइटों को बदलकर **LED** स्ट्रीट लाइट को लगाया गया है, जिससे CO2 उत्सर्जन में समग्र रूप से 43 मिलियन टन की कमी आई है।
  - **राष्ट्रीय विद्युत् गतिशीलता मिशन प्लान (National Electric Mobility Mission Plan: NEMMP) 2020:** इसके तहत भारत में विद्युत और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के निर्माण और संधारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में भारत में हाइब्रिड और विद्युत् वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण {Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India: FAME India} स्कीम की शुरुआत की गई थी। इसके तहत वर्ष 2019 तक 280,994 वाहनों की बिक्री हुई है।
  - **राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति, 2018:** इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक 20 प्रतिशत ईथेनॉल को पेट्रोल में मिश्रित करने और 5 प्रतिशत बायोडीजल को डीजल में मिश्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

VISION IAS

- **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (2015):** यह उन राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ठोस अनुकूलन गतिविधियों में सहायता प्रदान करती है जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करते हैं और जारी योजनाओं के तहत शामिल नहीं हैं।
- **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC, 2008):** भारत ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संदर्भ में इसे अधिक व्यापक बनाने के लिए NDC के अनुरूप NAPCC को संशोधित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत आठ मिशनों के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में नीचे बॉक्स में विस्तार से वर्णित किया गया है।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना {National Action Plan on Climate Change: (NAPCC), 2008}

- **नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी (NMEEE):** इसके तहत, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT) योजना को विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी की अवधारणा के संदर्भ में डिजाइन किया गया था। PAT चक्र–V (अप्रैल 2019) में, 110 नामित ग्राहकों (DCs) की कुल ऊर्जा खपत 15.244 मिलियन टन ऑयल इक्विवैलेंट (Mtoe) है और इससे 0.5130 Mtoe की कुल ऊर्जा बचत होने की उम्मीद है।
- **राष्ट्रीय सौर मिशन** का उद्देश्य कुल ऊर्जा मिश्रण में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। 100 गीगावॉट के कुल लक्ष्य के अंतर्गत, 32.5 गीगावॉट सौर विद्युत उत्पादन की क्षमता स्थापित की गई है।
- **राष्ट्रीय जल मिशन** के अंतर्गत भू-जल के अनुवीक्षण, जलभृत (aquifer) की मैपिंग, क्षमता निर्माण, जल गुणवत्ता का अनुवीक्षण और अन्य बेसलाइन अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भूजल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र' देते समय, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य वर्षा जल संचयन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
- **हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन** वन, गैर-वन, सार्वजनिक और निजी भूमि के वृहत संस्पर्शी (contiguous) क्षेत्रों के उपचार हेतु नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी में स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ-साथ भू-दृश्य उपागम पर भी बल देता है। 13 राज्यों में 126916.32 हेक्टेयर क्षेत्र में वन रोपण गतिविधियों हेतु मिशन के तहत अब तक 343.08 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
- **राष्ट्रीय संधारणीय आवास मिशन** को तीन कार्यक्रमों अर्थात् कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटीज मिशन के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन नियमावली, 2018 को अनिवार्य कर दिया गया है। मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत, 585 कि.मी. मार्ग पर मेट्रो रेल का परिचालन किया गया है; 620 कि.मी. मार्ग निर्माणाधीन है। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (BRT) के तहत, 8 शहरों में 223 किलोमीटर का BRT कॉरिडोर प्रचालन में है और 14 शहरों में 505 किलोमीटर का BRT कॉरिडोर निर्माणाधीन है।
- **संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन** का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा संवर्धन और संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। महत्वपूर्ण लक्ष्यों में जैविक कृषि के तहत 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करना, 3.70 प्रतिशत अतिसूक्ष्म सिंचाई, 4.0 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को चावल सघनीकरण प्रणाली के अंतर्गत, 3.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कम जल की खपत वाली फसलों हेतु विविधीकरण के तहत, 3.09 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र कृषि योग्य भूमि में वृक्षारोपण के तहत और 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बायपास प्रोटीन संभरक बनाना सम्मिलित हैं। इस मिशन के परिणामस्वरूप 'नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर' नामक एक नेटवर्क परियोजना का निर्माण किया गया है।
- **हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को संपोषित करने के लिए राष्ट्रीय मिशन** का उद्देश्य हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और उसकी सुरक्षा के लिए उपयुक्त प्रबंधन और नीतिगत उपायों को विकसित करना है। प्रमुख उपलब्धियों में- वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान में हिमानिकी (ग्लेशियोलॉजी) केंद्र, 6 अग्रणी संस्थानों में विषय संबंधी कार्य बल, 12 हिमालयी राज्यों में से 11 राज्यों में राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र, 5500 प्रशिक्षित व्यक्तियों के साथ संगठित राज्य जलवायु केंद्रों के तहत 40 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना, हिमालयी क्रायोस्फीयर और जलवायु परिवर्तन पर 4 विश्वविद्यालयों के साथ अंतर-विश्वविद्यालय कंसोर्टियम का गठन करना शामिल है।
- **जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन** के अंतर्गत एक ऐसे ज्ञान तंत्र के निर्माण करने का प्रयास

VISION IAS

किया जा रहा है जो पारिस्थितिक रूप से संधारणीय विकास के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई प्रक्रिया में सतत सूचनाएं और सहायता प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियों में 11 उत्कृष्टता केंद्र और 10 राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित करना शामिल है। 116 प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और 14,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है तथा देश भर में कुल 23 प्रमुख अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को विस्तारित किया गया है।

संधारणीय विकास के साथ वित्तीय प्रणाली को संरेखित करना (Aligning Financial System with Sustainable development)

- वर्ष 2007 में, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) द्वारा भारत में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पहलों के लिए बैंकों को संवेदनशील बनाया गया है और उन्हें निर्देशित किया गया है कि उन्हें स्वयं को संधारणीयता के क्षेत्र में विकास को बनाए रखने में तत्परता दिखानी चाहिए और इस प्रकार के विकास के आलोक में अपनी ऋण देने वाली कार्यनीतियों / योजनाओं को संशोधित करना चाहिए।
- वर्ष 2011 में, **भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान** ने कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक उत्तरदायित्वों पर **राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों (NVGs)** की अवधारणा विकसित की है।
- **SEBI द्वारा बैंकों सहित सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को NVGs अपनाने हेतु अधिदेशित किया गया है।** वर्ष 2014-15 में, NVGs अंतर्निहित उत्तरदायी वित्तपोषण की अवधारणा को सृजित करने हेतु भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा एक कार्यकारी समूह की स्थापना की गई थी, जो वित्तीय संस्थानों को अपने व्यावसायिक निर्णय निर्माण, संरचना और प्रक्रियाओं में पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन (ESG) सिद्धांतों को एकीकृत करने में सक्षम बनाता है।
- **चीन के पश्चात् भारत दूसरा सबसे बड़ा उभरता हुआ हरित बॉण्ड (ग्रीन बॉण्ड)** बाजार है। ग्रीन बॉण्ड वित्तीय, गैर-वित्तीय या सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा जारी की जाने वाली ऋण प्रतिभूतियां हैं, जहां आय का 100 प्रतिशत उपयोग हरित परियोजनाओं और परिसंपत्तियों के वित्त पोषण करने हेतु किया जाता है।
- भारत वर्ष 2019 में **इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस (IPSF)** में शामिल हो गया, जो वित्तीय बाजारों की वैश्विक प्रकृति को अभिस्वीकृत प्रदान करता है तथा जो निधियन के वैश्विक स्रोत वित्तपोषण की आवश्यकताओं को संबद्ध कर एक हरित, निम्न कार्बन एवं जलवायु सुनम्य (resilient) अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने हेतु वित्तीय सहायता संबंधी संभावनाओं का सृजन करता है।

हरित जलवायु निधि (Green Climate Fund: GCF)

- वर्ष 2009 में, विकसित देशों ने विकासशील देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2020 तक संयुक्त रूप से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की थी तथा यह निर्णय लिया गया था कि इस प्रकार के वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण भाग GCF के माध्यम से जुटाई जानी चाहिए। इसके विपरीत, GCF की कुल राशि अत्यल्प रूप में 10.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही है। GCF की प्रथम पुनःपूर्ति (वर्ष 2020- 2023) प्रक्रिया में अब तक 28 देशों के प्रतिभूति साधनों में 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का पुनःपूर्ति/पुनर्भरण किया गया है, जो कि आरंभिक संसाधन जुटाव अवधि (Initial Resource Mobilization period) की तुलना में मात्रात्मक रूप से भी काफी कम है।
- मैड्रिड (स्पेन) में आयोजित UNFCCC को पक्षकारों के सम्मेलन के 25वें सत्र (COP 25) में, भारत ने पेरिस समझौते को अक्षरशः लागू करने और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने तथा सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए सामान्य किन्तु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं (common but differentiated responsibilities and respective capabilities) वाले सिद्धांतों सहित अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहल (India's initiatives at the International stage)

- **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance: ISA):** वर्ष 2030 तक ISA का लक्ष्य 1,000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि संगृहित कर, सदस्य देशों की आवश्यकताओं हेतु भविष्य के सौर ऊर्जा उत्पादन, भंडारण और प्रौद्योगिकियों के लिए मार्ग प्रशस्त करना है।

VISION IAS

- वर्ष 2019 में, ISA ने निम्नलिखित भूमिका को अपनाया:
    - **समन्वयक (enabler):** भारत (मेजबान देश) की एक अग्रणी संस्थान IIT दिल्ली के साथ मिलकर सदस्य देशों के लिए 30 फैलोशिप को संस्थागत रूप प्रदान करना तथा ISA सदस्य देशों के 200 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु समन्वयक की भूमिका निभाना;
    - **सुविधाप्रदाता (facilitator):** EXIM बैंक ऑफ इंडिया से 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर और फ्रांस से 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन प्राप्त करके सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाना;
    - **इन्क्यूबेटर (incubator):** सौर ऊर्जा जोखिम न्यूनीकरण जैसी पहल के द्वारा इन्क्यूबेटर की भूमिका निभाना; और
    - **एक्सीलेटर (accelerator):** 1,000 मेगावाट से अधिक के सोलर रूफटॉप, 10,000 मेगावाट के सोलर मिनी-ग्रिड और 2,70,000 सोलर वाटर पंपिंग सिस्टमों की कुल माँग के लिए उपकरण विकसित कर एक्सीलेटर भूमिका का निर्वहन करना।

- **आपदा रोधी अवसंरचना के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure: CDRI):** वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जलवायु कार्रवाई सम्मेलन (Climate Action Summit) की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देश, जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए नए और विद्यमान अवसंरचना प्रणालियों की सुनम्यता (resilience) को बढ़ावा देता है, जिससे संधारणीय विकास सुनिश्चित होता है।
    - CDRI के तहत अत्यधिक चरम जलवायविक घटनाओं सहित, आपदाओं से होने वाले अवसंरचनाओं की क्षति में औसत कमी की परिकल्पना की गई है। CDRI का लक्ष्य मूलभूत सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच का विस्तार और SDGs में निहित समृद्धि को सक्षम करने के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, जबकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण और पेरिस जलवायु समझौते के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के समन्वयन (intersection) पर भी कार्य करना है।

भारत और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन (India and the UNCCD)

- UNCCD के एक पक्षकार के रूप में, भारत ने स्वैच्छिक रूप से ऐसी कुल भूमि के लिए अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है जिसे अभी से लेकर वर्ष 2030 के बीच 21 मिलियन से 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि का पुनरुद्धार किया जाएगा।
- भारत ने अध्यक्ष के रूप में UNCCD के पक्षकारों के सम्मेलन के 14वें सत्र (COP-14) की मेजबानी भी की है तथा भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद में भारत में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है; साथ ही सदस्य देशों के लिए अंतरिक्ष और सुदूर संवेदन तकनीक से संबंधित अपने संसाधन साझा करने का प्रस्ताव भी रखा गया है जो अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से अपने भूमि निम्नीकरण कार्यक्रमों का प्रबंधन करना चाहते हैं।
- **COP-14 के दौरान नई दिल्ली घोषणा-पत्र की अभिपुष्टि की गई है:** यह घोषणा-पत्र भूमि में निवेश और अवसरों के सृजन पर केन्द्रित है। इस घोषणा-पत्र के माध्यम से, मंत्रियों ने नई पहल या संगठन के लिए मानव स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार, पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और शांति एवं सुरक्षा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है।

भारत और इसके वन (India and its forests)

- FAO (खाद्य एवं कृषि संगठन) के अनुसार, वर्ष 2015 में कुल वैश्विक वन क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत थी। भारत विश्व के उन देशों में सम्मिलित है, जहां हो रहे विकास प्रयासों के बावजूद, वन और वृक्षावरण में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- वन और वृक्षावरण 80.73 मिलियन हेक्टेयर तक पहुँच गया है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56 प्रतिशत है।
    - वर्ष 2017 के पिछले मूल्यांकन की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर वनावरण में 3,976 वर्ग कि.मी. (0.56 प्रतिशत), वृक्षावरण में 1,212 वर्ग कि.मी. (1.29 प्रतिशत) और वन एवं वृक्षावरण में संयुक्त रूप से 5,188 वर्ग कि.मी. (0.65 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2017 के विगत मूल्यांकन की तुलना में वन रिपोर्ट, 2019 के अनुसार देश के कार्बन भंडार में 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।

VISIONIAS

  - कार्बन भंडार में निवल परिवर्तन, मृदा जैव कार्बन (soil organic carbon) में सर्वाधिक रही है, इसके बाद सतही बायोमास (Above Ground Biomass: AGB) और शुष्क काष्ठ का स्थान है। वर्ष 2017 के मूल्यांकन की तुलना में अपशिष्ट कार्बन में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है।
- भारत वन स्थिति रिपोर्ट (India State of the Forest Report), 2019 में उपयोग किए गए शैनन-वीनर इंडेक्स (Shannon-Weiner Index) के अनुसार भारत विश्व के 17 अति विविध देशों में से एक है। विभिन्न प्रजातियों के मध्य प्रजातियों की समृद्धि और प्रचुरता को मापने के लिए इस सूचकांक का उपयोग किया जाता है। सूचकांक यह प्रदर्शित करता है कि:
  - उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कर्नाटक में अधिक हैं, इसके पश्चात् केरल का स्थान है।
  - कर्नाटक में अर्ध-सदाबहार वन अधिक हैं।
  - अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनावरण अधिक है।
  - अरुणाचल प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन अधिक हैं।
  - उत्तरप्रदेश में ऊष्णकटिबंधीय वेलांचली व अनूप वन अधिक हैं।
  - आंध्र प्रदेश में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन अधिक हैं।

फसल/कृषि अवशिष्टों का दहन - एक प्रमुख चिंता (Agriculture Residue Burning – A major concern)

- कृषि आधारित दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण, भारत में फसल अवशिष्टों सहित कृषि अवशिष्टों की एक बड़ी मात्रा का सृजन होता है और देश में लगभग 178 मिलियन टन अधिशेष फसल अवशिष्ट सृजित होते हैं।
- कृषि-जलवायु क्षेत्र पर निर्भरता वाले विशेष रूप से उत्तरी राज्यों, यथा- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अतिरिक्त फसल अवशिष्टों को जलाया जाता है। हालाँकि, देश में जलाए गए सभी फसल अवशिष्टों में लगभग 50 प्रतिशत चावल के फसल अवशिष्ट सम्मिलित हैं।
- चूँकि बहुत बड़ी मात्रा में अवशेषों को बहुत ही लघु अवधि (कुछ हफ्तों के) में जलाया जाता है, जिससे PM (पर्टिकुलेट मैटर) 2.5 और PM 10 जैसे प्रदूषक स्तरों में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि होती है और जिससे वायु की गुणवत्ता निम्न हो जाती है।
- **सरकार द्वारा की गई पहलों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:**
  - **फसल अवशिष्टों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति**, के तहत राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसी भी हिस्से में फसल अवशिष्टों के दहन को प्रतिबंधित किया है। फसल अवशिष्ट दहन, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत एक अपराध है।
  - **फसल अवशिष्टों के स्व-स्थाने (इन-सीटू) प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना:** इस योजना के तहत स्व-स्थाने फसल अवशिष्ट प्रबंधन के लिए कृषि से संबंधित मशीनों और उपकरणों, जैसे- सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कॉम्बाईन हार्वेस्टर्स, हैप्पी सीडर्स, हाइड्रॉलिक रिवर्सेबल एमबी प्लॉ, पैडी स्ट्रा चॉपर, मल्चर, रोटरी स्लेशर, ज़ीरो टिल सीड ड्रिल और रोटावेटर के लिए प्रत्येक किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी और कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

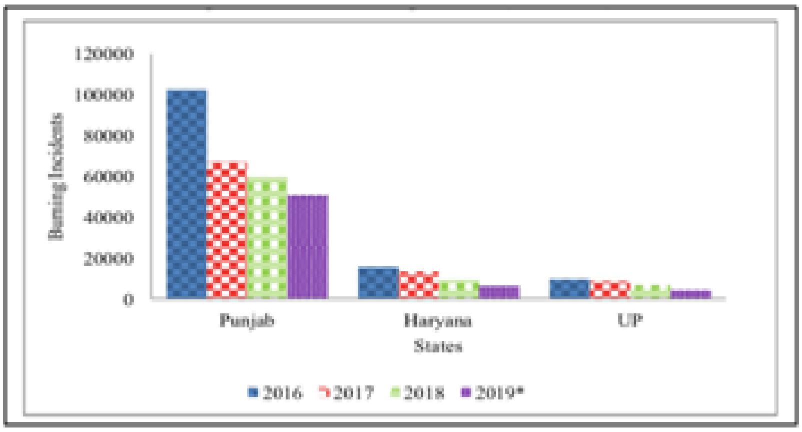

- विभिन्न प्रयासों की वजह से विगत वर्षों में पराली जलाने की कुल घटनाओं में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, किसानों द्वारा पराली जलाने का यह कार्य प्रत्येक वर्ष शरद ऋतु की शुरुआत में निरंतर देखा जाता है और वायु की गुणवत्ता पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं।
- विभिन्न अध्ययनों में इस मुद्दे के समाधान हेतु उपाय सुझाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

VISION IAS

- चावल, गेहूं, मक्का आदि जैसे निम्न लिग्नोसेल्यूलोसिक फसल अवशेषों के साथ कृषि संरक्षण की पद्धति को बढ़ावा देना। इसके साथ ही, अगली फसल के बीजों को पिछली फसलों के अवशेषों के साथ अर्थात् इन्हें बिना जलाए और फसल की उत्पादकता को प्रभावित किए बिना भी बोया जा सकता है।
- फसल अवशेष आधरित ब्रिकेट (residue-based briquettes) के लिए बाजारों का सृजन किया जाए और ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ फसल अवशेषों को जलाना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- कृषि उपकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए कार्यशील पूंजी के वित्तपोषण हेतु विशेष क्रेडिट लाइन का सृजन।
- एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में स्थानीय उद्योगों, ईंट भट्ठा और होटल/ढाबा में फसल अवशेष आधारित बायोचार ब्रिकेट के उपयोग को बढ़ावा देना।

निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट {Construction and Demolition (C&D) Waste}

- भारत में निर्माण सामग्री (बालू, मृदा और पत्थर) की वार्षिक खपत लगभग 3,100 मिलियन टन है। C&D अपशिष्ट का अवैज्ञानिक निपटान वायु और जल प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक है।
- **C&D अपशिष्ट प्रबंधन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए दिल्ली मे सर्कुलर इकॉनोमी दृष्टिकोण:** वर्ष 2009 में, दिल्ली नगर निगम और IL&FS इन्वायरमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (IEISL) ने बुराड़ी (नई दिल्ली) में (देश में यह अपनी तरह की पहली सुविधा) राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट के निस्तारण हेतु C&D अपशिष्ट के 500 टन प्रति दिन (TPD) के पुनः चक्रण हेतु एक परियोजना को स्थापित किया था।
- बुराड़ी स्थित यह सुविधा केंद्र दो अन्य C&D रीसाइक्लिंग सुविधा केंद्रों (पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के तहत) के साथ मिलकर अपनी स्थापना के समय से अब तक 2,650 TPD C&D अपशिष्ट का पुनः चक्रण कर चुका है। दिल्ली के तीनों संयंत्रों ने मिलकर 5 मिलियन टन से अधिक C&D अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया है।
- बुराड़ी की यह अग्रणी सुविधा केंद्र ने C&D अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के सृजन में सहयोग प्रदान किया था।
- पुनः चक्रित C&D उत्पादों के अनुप्रयोग के उदाहरण हैं: अन्य सिविल कार्यों और सड़क निर्माण में पुनः चक्रित C&D उत्पादों का उपयोग करना।

आगे की राह (Way forward)

- SDGs को, सभी स्तरों पर शासन, निगरानी और कार्यान्वयन के उच्च मानकों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सहकारी संघवाद की भावना के तहत, राज्यों और केंद्र सरकार को भारत के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने हेतु एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।
- हितधारकों के निरंतर और संगत प्रयासों के बावजूद, वित्तीय संसाधनों की कमी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है।
- विकसित देशों को बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों के तहत अपने वित्तीय दायित्वों और वादों का सम्मान करना चाहिए। अतः जलवायु परिवर्तन पर SDGs और पेरिस समझौते के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए विकासशील देशों को वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्य करना अति महत्वपूर्ण है।
- भारत ने विकसित देशों को अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने के साथ अपने दायित्वों का उचित निर्वहन किया है।

VISION IAS

अध्याय 7: कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

(Agriculture and Food Management)

परिचय (Introduction)

यह क्षेत्र ग्रामीण आजीविका, रोजगार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण परिवार अभी भी मुख्य रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। इस आलोक में, सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि क्षेत्र का सिहांवलोकन (Overview of Agricultural Sector)

- **सकल मूल्य वर्धित (Goss Value Added: GVA) में कृषि का हिस्सा:** GVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 के 18.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में 16.5 प्रतिशत हो गई।
- **संवृद्धि में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति:** कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र में वर्ष 2018-19 में हुई 2.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2019-20 में 2.8 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है।
- **सकल पूंजी निर्माण (Gross Capital Formation: GCF) में भी में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति:** GCF (GVA के प्रतिशत के रूप में) वर्ष 2012-13 के 16.5 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 में 15.2 प्रतिशत तक उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है।

कृषि उत्पादकता में सुधार और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना (Improving farm productivity and ensuring economic security)

- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP):** उच्च निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार द्वारा 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP तथा गन्ने के लिए **उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price: FRP)** की घोषणा की जाती है।
  - सरकार ने उत्पादन की लागत से 1.5 गुना रिटर्न देने सहित सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए MSP में वृद्धि की है।
  - **प्रत्यक्ष समर्थन:** इसके अतिरिक्त, कई प्रत्यक्ष आय/निवेश सहायता योजनाओं की घोषणा की गई है।

आय/निवेश सहायता योजनाएं (Income/Investment Support Schemes)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत देश भर के सभी किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाती है।

इसी तरह की योजनाएं कई राज्य सरकारों द्वारा आरंभ की गई हैं। उदाहरण के लिए -

- उड़ीसा सरकार की "आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता" (Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation: KALIA) योजना।
- झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना।
- तेलंगाना सरकार की रायथु बंधु योजना।

- **कृषि का मशीनीकरण:** जल एवं भूमि संसाधनों तथा श्रमिक संसाधनों की कमी होने से उत्पादकता में वृद्धि की ज़िम्मेदारी उत्पादन के मशीनीकरण और कटाई के बाद के प्रचलनों पर निर्भर हो गई है।
  - **कृषि हेतु विद्युत की उपलब्धता:** सरकार ने वर्ष 2030 के अंत तक कृषि हेतु विद्युत उपलब्धता को 2.02 किलोवाट प्रति हेक्टेयर (2016-17) से बढ़ाकर 4.0 किलोवाट प्रति हेक्टेयर करने का निर्णय किया है।
  - **कृषि मशीनीकरण बाजार में वृद्धि:** भारत में कृषि मशीनीकरण बाजार वर्ष 2016-2018 के दौरान 7.53 प्रतिशत की CAGR से बढ़ा। यह भारत के विश्व में सबसे बड़ा ट्रैक्टर उद्योग होने से संयोजित है।
  - **कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन:** इस योजना के तहत, राज्य सरकारों को कृषि मशीनरी का प्रशिक्षण देने और प्रदर्शन करने, किसानों को विभिन्न कृषि मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद एवं कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

VISION IAS

- ○ **फसल अवशेष का स्व-स्थाने (इन-सीटू) प्रबंधन:** पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेष के स्व-स्थाने प्रबंधन हेतु विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। स्व स्थाने (in-situ) फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनों और उपकरणों हेतु व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत और कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- ○ **समग्र मशीनीकरण की कमी:** संयुक्त राज्य अमेरिका (95 प्रतिशत), ब्राजील (75 प्रतिशत) और चीन (57 प्रतिशत) जैसे अन्य देशों की तुलना में भारत में कृषि मशीनीकरण 40-45 प्रतिशत है। इसके प्रमुख कारणों में छोटी जोत, विद्युत तक पहुंच, ऋण लागत एवं प्रक्रिया, अबीमित बाजार तथा निम्न जागरूकता के कारण वहनीय प्रचालन का अभाव शामिल हैं।
- ○ **क्षेत्रीय विषमताएं:** उत्तर भारत में अन्य क्षेत्रों की तुलना में मशीनीकरण का स्तर अधिक है। (चावल और गेहूं की फसलों में मशीनीकरण का विस्तार सर्वाधिक है।)

- **सूक्ष्म सिंचाई:** सूक्ष्म सिंचाई में ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई शामिल हैं जो किसानों के मध्य काफी लोकप्रिय है।
  - ○ **PMKSY:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) को इसके प्रति बूँद अधिक-फसल (Per Drop More Crop: PDMC) घटक के माध्यम से सूक्ष्म-सिंचाई को सक्षम करने के लिए प्रारंभ किया गया था।
  - ○ इस तकनीक से किसानों को निम्नलिखित लाभ हुए हैं:
    - सिंचाई के जल की 20 से 48 प्रतिशत बचत।
    - 10 से 17 प्रतिशत तक ऊर्जा की बचत।
    - श्रम लागत में 30 से 40 प्रतिशत तक बचत।
    - उर्वरकों की 11 से 19 प्रतिशत बचत।
    - फसल उत्पादन में 20 से 38 प्रतिशत तक की वृद्धि।
  - ○ **'सूक्ष्म सिंचाई कोष' (Micro Irrigation Fund: MIF):** सूक्ष्म-सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों की सुविधा के लिए नाबार्ड के साथ एक समर्पित MIF निर्मित किया गया है।
- **कृषि ऋण:** वर्ष 2019-20 के लिए कृषि ऋण प्रवाह का लक्ष्य 13.5 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है।
  - ○ **असमान क्षेत्रीय वितरण:** यह देखा गया है कि पूर्वोत्तर, पहाड़ी और पूर्वी राज्यों में ऋण वितरण व्यवस्था कम है। जबकि दक्षिणी राज्यों, यथा- केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यह सर्वाधिक है।
- **फसल बीमा:** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) प्राकृतिक गैर-परिहार्य जोखिमों के विरुद्ध बुवाई पूर्व से लेकर फसल कटाई के पश्चात् के जोखिमों के प्रति व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है।
  - ○ **बढ़ता कवरेज:** PMFBY द्वारा देश में मौजूदा 23 प्रतिशत से 50 प्रतिशत सकल फसली क्षेत्र (GCA) के कवरेज में वृद्धि की परिकल्पना की गयी है।
  - ○ **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP):** NCIP एक वेब-आधारित एकीकृत IT प्लेटफॉर्म है, जो PMFBY और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme: RWBCIS) के तहत बीमित किसानों से संबंधित डेटा तक पहुंच प्राप्त करने/डेटा दर्ज करने के लिए सभी हितधारकों के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है।
    - इस पोर्टल का उद्देश्य किसानों के खाते में (बीमित) दावा राशि के जमा होने में विलंब को समाप्त करना और PMFBY की उचित निगरानी करना है।
  - ○ **परिचालन दिशा-निर्देशों में संशोधन:** PMFBY के कार्यान्वयन के अनुभव के आधार पर, सरकार ने योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है।
    - इस योजना में अब विलंब के लिए ब्याज जुर्माना, विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रियाओं तथा बारहमासी फसलों तथा पायलट आधार पर जंगली पशुओं द्वारा किए जाने वाले नुकसान को शामिल किया गया है।

कृषि सेवाएँ और संबद्ध क्षेत्र (Agricultural Services and allied sectors)

- **कृषि व्यापार:** भारत कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में एक अग्रणी स्थान रखता है। हालांकि, इसका कुल कृषि निर्यात बास्केट, विश्व कृषि व्यापार के 2.15 प्रतिशत से अधिक है।

VISION IAS

- **प्रमुख निर्यात गंतव्य:** USA, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश।
- **प्रमुख उत्पाद:** चावल (बासमती और गैर-बासमती दोनों), मसाले और कपास।
- सरकार ने व्यापार नीति से संबद्ध निम्नलिखित उपायों को अपनाया है:
  - कुछ उत्पादों, जैसे- मटर पर आयात शुल्क बढ़ाने, आयात पर प्रतिबंध लगाने और काली मिर्च जैसे उत्पादों के लिए न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) प्रदान करने जैसे सुरक्षोपाय।
  - दालों और खाद्य तेलों के निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया है।
  - कृषि निर्यात नीति के निर्माण का उद्देश्य, कृषि निर्यात को दोगुना करना और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ भारतीय किसानों तथा कृषि उत्पादों को एकीकृत करना है।
  - कृषि व्यापार से संबंधित मुद्दों का ध्यान रखने के लिए विदेशों में कई भारतीय दूतावासों में 'एग्री सेल' का निर्माण।

साइबर-एग्रो फिजिकल सिस्टम्स (Cyber-Agro Physical Systems: CAPS)

यह कंप्यूटर, उपग्रह इमेजरी और सुपर कंप्यूटिंग की सुविधा के साथ सेंसर के उपयोग को एकीकृत करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से कृषि कार्यों में अनिश्चितता और जोखिमों को कम करने में सहायता करेगा और किसानों को परामर्श प्रदान करेगा।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (Department of Agricultural Research and Education: DARE) की पहल

- एकीकृत ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए कृषि शिक्षा पोर्टल **EKTA (एकीकृत कृषि शिक्षा तकनीकी आयाम)।**
- इसमें 9 मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं, जैसे- **ई-कल्प** आदि।
- इसने कृषक समुदाय के लिए 2 मोबाइल ऐप **(किसान सुविधा और पूसा कृषि)** विकसित किए हैं।

- **कृषि अनुसंधान और शिक्षा:** कृषि, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान तथा शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन एवं प्रबंधन के लिए ICAR प्रमुख अनुसंधान संगठन है।
  - **उच्च उपज वाली किस्में और ब्रीडर सीड्स:** वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 220 नई किस्मों/संकर फसलों की फसलें, 93 बाग़वानी फ़सलों और 18 जैव फ़सलों वाली फ़सलों को अधिसूचित/जारी किया गया।
  - **स्वदेशी नस्लों का संरक्षण:** वर्ष 2019 में लगभग 184 स्वदेशी नस्लों को पंजीकृत किया गया था। यह पंजीकृत नस्ल/नई किस्मों की IPRs के लिए कानूनी सहायता प्रदान करेगा और संकटग्रस्त नस्ल तथा स्वदेशी नस्लों को संरक्षण प्रदान करेगा।
  - **पशुधन को रोग से सुरक्षा:** पशुधन को रोग मुक्त करने के लिए, जापानी एन्सेफलाइटिस (JE) और ब्लूसेटॉन्ग (BT) रोगों से बचाव हेतु नैदानिक किट और संक्रामक बरसल रोग आधारित सबवायरल पार्टिकल से संबंधित वैक्सीन विकसित किए गए हैं।
  - **प्रयोगशाला से प्रौद्योगिकी को किसानों के खेत में स्थानांतरित करना:** देश के 716 किसान विकास केंद्रों (KVKs) को 3.37 लाख सामान्य सेवा केंद्रों के साथ जोड़ा गया है ताकि किसानों के बीच KVKs की पहुंच बढ़ाई जा सके और मांग संचालित सेवाएं एवं सूचना उपलब्ध कराई जा सके। KVKs ने 42361 ऑन-फार्म ट्रायल और 2.71 लाख प्रायोगिक प्रदर्शन किए हैं।

संबद्ध क्षेत्रक (Allied Sectors):

- **पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन:** पशुधन क्षेत्र विगत पाँच वर्षों के दौरान 7.9 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा है। पशुधन से आय ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है और इसने किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - **मुंहपका-खुरपका रोग (Foot-and-Mouth Disease: FMD) के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Animal Disease Control Programme: NADCP):** यह योजना वर्ष 2025 तक टीकाकरण एवं इस रोग के उन्मूलन के साथ वर्ष 2030 तक FMD के पूर्ण नियंत्रण की परिकल्पना करती है।

VISIONIAS

- सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक: भारत विश्व में दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्ष 2018-19 में देश में दुग्ध उत्पादन 6.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 188 मिलियन टन था, जिसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता बढ़कर प्रति दिन 394 ग्राम हो गई।
- **रोजगार:** रोजगार और बेरोजगारी पर NSSO के 68वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार, 16.44 मिलियन श्रमिक पशुपालन, मिश्रित कृषि, मत्स्य पालन और जलीय कृषि की गतिविधियों में संलग्न हैं।

- **मत्स्यपालन क्षेत्र (Fisheries Sector):** यह क्षेत्र आरंभिक स्तर पर लगभग 16 मिलियन मछुआरों और मत्स्यपालकों तथा मूल्य श्रृंखला में इसके लगभग दोगुने लोगों को आजीविका प्रदान करना है।
  - **स्वतंत्र विभाग:** इस क्षेत्र के महत्व की पहचान करते हुए, वर्ष 2019 में एक **मत्स्यपालन विभाग** नामक एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की गयी।
  - **कृषि GDP और निर्यात में हिस्सेदारी:** कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन का सकल घरेलू उत्पाद में 6.58 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्र विदेशी मुद्रा आय अर्जन के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। ज्ञातव्य है कि भारत विश्व के प्रमुख समुद्री खाद्य निर्यातक देशों में से एक है।
  - **मत्स्य उत्पादन (Fish Production):** वर्ष 2018-19 के दौरान देश में कुल मत्स्य उत्पादन 13.42 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) था। (समुद्री मत्स्य उत्पादन - 3.71 MMT और अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन - 9.71 MMT)
  - **मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund: FIDF):** FIDF चिन्हित मत्स्यपालन अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य इकाइयों सहित पात्र संस्थाओं (EE) को रियायती वित्त / ऋण प्रदान करती है।
    - रियायती वित्त को नोडल ऋण प्रदाता इकाइयों (Nodal Loaning Entities: NLEs) नामतः (i) नाबार्ड, (ii) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और (iii) सभी अनुसूचित बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।
- **खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र (Food Processing Sector):** वर्ष 2017-18 के अंत में विगत 6 वर्षों के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में लगभग 5.06 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है।
  - **रोजगार:** वर्ष 2016-17 के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संलग्न कुल व्यक्तियों की संख्या 18.54 लाख थी। (जबकि गैर-पंजीकृत FPOs में 51.11 लाख कामगारों को रोजगार उपलब्ध है।)
  - **प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (PMKSY):** PMKSY समग्र मूल्य/आपूर्ति श्रृंखला के साथ सुदृढ़ आधुनिक अवसंरचना तैयार करने हेतु कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के लिए अनुदान-आधारित सहायता प्रदान करता है।
    - इस योजना में विभिन्न घटक शामिल हैं, जैसे- मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि।
    - इस योजना से लगभग 46.37 लाख किसानों को लाभ पहुंचने और लगभग 5.6 लाख प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है।
- **उर्वरक (Fertilizers):** नई यूरिया नीति -2015 (NUP- 2015) के उद्देश्यों में स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करने; यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना; और सरकार पर सब्सिडी के बोझ को तर्कसंगत बनाना शामिल है।
  - **उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली:** उर्वरकों में DBT प्रणाली के अधीन विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100 प्रतिशत सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर जारी की जाती है।
    - किसानों/क्रेताओं के लिए सभी सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की बिक्री प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) युक्तियों के माध्यम से की जा रही है और लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड, KCC आदि के माध्यम से की जाती है।

खाद्य प्रबंधन (Food Management)

खाद्य प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य किसानों से पारिश्रमिक मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद, खाद्य सुरक्षा के लिए उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न वितरण तथा खाद्य सुरक्षा एवं मूल्य स्थिरता के लिए खाद्यान्न बफर रखना है।

VISION IAS

- FCI खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण का कार्य करती है। जबकि खाद्यान्नों का वितरण मुख्यतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act: NFSA), 2013 के अनुसार किया जाता है।
    - **कवरेज (Coverage):** NFSA लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System: TPDS) के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75 प्रतिशत तक ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत तक शहरी जनसंख्या को शामिल करने की व्यवस्था करता है। (लगभग 80 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है।)
    - केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं और चावल की विकेन्द्रीकृत खरीद को प्रोत्साहित करने, स्ट्रेटेजिक रिजर्व सृजित करने, मुक्त बाजार बिक्री योजना (OMSS) और PDS सुधारों को बढ़ावा देने जैसे कई कदम उठाए हैं।
    - PDS सुधारों में "एक राष्ट्र - एक राशन कार्ड", e-POS मशीनों आदि के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकृत वितरण शामिल हैं।
- **खाद्यान्न भंडारण मानक (Foodgrain Stocking Norms):** भारत सरकार ने बफर संबंधी मानकों को जनवरी 2015 में संशोधित किया था और बफर संबंधी मानकों का नाम परिवर्तित कर खाद्यान्न स्टॉकिंग कर दिया गया है, जिससे खाद्य सुरक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम स्टॉकिंग मानदंडों को पूरा किया जा सके। TPDS/अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति के लिए खाद्यान्न को मासिक आधार पर जारी किया जा रहा है, अप्रत्याशित रूप से फसल नष्ट होने से आपात स्थितियों से निपटने और आपूर्ति संवर्धन के लिए बाजारी हस्तक्षेप हेतु केंद्रीय पूल में खाद्यान्न स्टॉक का प्रयोग किया जा रहा है और इस प्रकार से मुक्त बाजार कीमतों को संतुलित करने में सहायता की जा रही है।

एक राष्ट्र - एक राशन कार्ड योजना (One Nation- One Ration Card)

- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (Integrated Management of Public Distribution System: IM-PDS) नामक एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक नया राशन कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से उनके खाद्यान्नों की पात्रता हेतु 'एक राष्ट्र - एक राशन कार्ड' प्रणाली के माध्यम से NFSA के तहत राशन कार्ड धारकों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ करना है।
- यह प्रणाली मोटे तौर पर उन कई प्रवासी लाभार्थियों को लाभान्वित करेगी, जो देश भर में काम/रोजगार की तलाश में या अन्य कारणों से देश में अपना निवास स्थान परिवर्तित करते रहते हैं और जो अंततः अपने मूल निवास स्थान से प्रवास के कारण NFSA के तहत सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्नों के अपने कोटे से वंचित रह जाते हैं।

- **NFSA/TDPS के अंतर्गत खाद्यान्नों का आवंटन (Allocation of foodgrains under NFSA/TDPS):** सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में NFSA का कार्यान्वयन किया गया है।
    - **आवंटन:** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामूहिक रूप से, लगभग 604 लाख टन खाद्यान्नों का आवंटन किया गया।
    - **अधिप्राप्ति प्रतिशत (Procurement Percentage):** विगत पाँच वर्षों में उत्पादन के प्रतिशत के रूप में अधिप्राप्ति लगभग 45 प्रतिशत के साथ अधिकतम थी।
- **FCI की खाद्यान्नों की आर्थिक लागत:** खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में तीन घटक शामिल हैं- खाद्यान्नों की सामूहिक लागत, प्राप्त संबंधी अनुषांगिक व्यय और वितरण संबंधी लागत।
    - **खाद्यान्नों की सामूहिक लागत (Pooled Cost):** खाद्यान्नों की सामूहिक लागत वह लागत है जो आर्थिक लागत के परिकलन के समय FCI के पास उपलब्ध खाद्यान्न स्टॉक के भारित MSP के रूप में होती है। यह वृद्धि चावल और गेहूं दोनों के MSP में वृद्धि के कारण हुई।
    - **वास्तविक आर्थिक लागत (Real economic cost):** वास्तविक MSP में एक यूनिट की वृद्धि से वास्तविक आर्थिक लागत में 0.48 यूनिट की वृद्धि होती है और इसका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है।

VISION IAS

- **खाद्य सब्सिडी (Food Subsidy):** प्रति क्विंटल आर्थिक लागत और प्रति क्विंटल केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) के मध्य के अंतर से खाद्य सब्सिडी की मात्रा ज्ञात की जाती है।
    - **सब्सिडी की संरचना (Composition of Subsidy):** खाद्य सब्सिडी में गेहूं और चावल की खरीद एवं वितरण तथा रणनीतिक भंडार को बनाए रखने हेतु FCI को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी एवं विकेंद्रीकृत खरीद के लिए राज्यों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी शामिल होती है।
    - **सब्सिडी में वृद्धि (Increasing Subsidy):** विगत कुछ वर्षों में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली खाद्य सब्सिडी में अत्यधिक वृद्धि हुई है। (यह वर्ष 2009-10 के लगभग 0.6 लाख करोड़ से बढ़कर 2018-19 में लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए हो गई।)
    - **सब्सिडी में वृद्धि के कारण: अनेक कारण रहे हैं, जैसे-**
        - NFSA पूर्ववर्ती TPDS की तुलना में अधिक व्यापक कवरेज प्रदान करता है।
        - NFSA ने अंत्योदय CIP (केंद्रीय निर्गम मूल्य) को सभी NFSA लाभार्थियों पर समान रूप से लागू किया है।
        - निर्धारित मानकों की तुलना में अत्यधिक मात्रा में खाद्यान्न भंडारित करना।
        - APL परिवारों के लिए औसत CIP में गिरावट।
- **भंडारण क्षमता (Storage Capacity):** केंद्रीय पूल से लिए गए खाद्यान्नों के भंडारण हेतु FCI के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता, केंद्रीय भंडारण निगम (Central Warehousing Corporation: CWC) और राज्य भंडारण निगम (State Warehousing Corporations: SWCs) के पास उपलब्ध क्षमता के भाग और निजी क्षेत्र से लिए गए स्थान का उपयोग किया जाता है (यह लगभग 750.00 लाख मीट्रिक टन है जिसमें 617.60 लाख मीट्रिक टन के कवर किए गए गोदाम और 132.40 लाख मीट्रिक टन की कवर और प्लिंथ सुविधाएं शामिल हैं)।
    - **उठाए गए कदम:** क्षमता बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं जैसे कि-
        - **निजी उद्यमी गारंटी (Private Entrepreneurs Guarantee: PEG) योजना:** 22 राज्यों में गोदामों के निर्माण का कार्य PPP मोड के आधार पर आरंभ किया गया है।
        - **केंद्रीय क्षेत्रक योजना (पूर्ववर्ती योजनागत स्कीम):** यह योजना कुछ अन्य राज्यों सहित पूर्ववर्ती राज्यों में भी लागू की गई है।
        - **स्टील साइलो का निर्माण:** भंडारण अवसंरचना के आधुनिकीकरण तथा संग्रहित खाद्यान्नों की शेल्फ लाइफ में वृद्धि करने के लिए PPP मोड के आधार पर 100 LMT क्षमता का निर्माण करना।
        - **ऑनलाइन डिपो मैनेजमेंट सिस्टम (ODMS):** इसका उद्देश्य डिपो ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करना है।

आगे की राह (Way Forward)

- किसानों की आय को दोगुनी करने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की कुछ मूलभूत चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता है। मशीनीकरण और सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कृषि उत्पादकता में सुधार को MSP, कृषि ऋण और फसल बीमा द्वारा किसानों की वित्तीय सुरक्षा के साथ संतुलित किए जाने की आवश्यकता है।
- दीर्घावधि में, कृषि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को केवल कृषि व्यापार सहित कृषि अनुसंधान और शिक्षा के माध्यम से कार्यान्वित किया जा सकता है। कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सुधार हेतु, खाद्य प्रसंस्करण और उर्वरक क्षेत्र के रूप में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज में एक साथ सुधार की आवश्यकता है।
- चूंकि, खरीद नीति जैसे नीतिगत चैनलों के माध्यम से कृषि विकास खाद्य सुरक्षा से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित भी करता है। इस प्रकार, सब्सिडी के युक्तिकरण के साथ नीतिगत सुधार और अवसंरचनात्मक विकास, संधारणीय कृषि विकास के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं।

VISION IAS

अध्याय 8: उद्योग और अवसंरचना

(Industry and Infrastructure)

परिचय (Introduction)

भारत को पांच-ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में परिवर्तित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र का कार्यनिष्पादन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष रूप से, यह क्षेत्र कुल सकल मूल्य वर्धित (GVA) के लगभग 30 प्रतिशत का योगदान करता है और अप्रत्यक्ष रूप से यह अग्रवर्ती एवं पश्चवर्ती संबंधों (forward and backward linkages) के माध्यम से अन्य दो क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है।

औद्योगिक क्षेत्र का सिंहावलोकन (Overview of Industrial Sector)

- **औद्योगिक वृद्धि की दर में गिरावट (Decreased Growth):** वर्ष 2019-20 के पूर्वार्द्ध में अनुमानित वृद्धि 2.5 प्रतिशत रही, जो विगत वर्ष 2018-19 में 6.9 प्रतिशत थी। (औद्योगिक क्षेत्रक में निम्न वृद्धि का प्राथमिक कारण विनिर्माण क्षेत्र में आई सुस्ती है, जिसमें वर्ष 2019-20 के पूर्वार्द्ध में 0.2 प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी।)
- **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production: IIP):** IIP, औद्योगिक कार्यनिष्पादन की एक माप है। इसके तहत विनिर्माण क्षेत्र को 77.6 प्रतिशत, तत्पश्चात खनन क्षेत्र को 14.4 प्रतिशत और विद्युत क्षेत्र को 8.0 प्रतिशत भारांश प्रदान किया गया है।
    - **सीमित IIP वृद्धि:** समग्रतः IIP वृद्धि वर्ष 2017-18 की 4.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 में कम होकर 3.8 प्रतिशत हो गई थी। सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) में धीमे ऋण प्रवाह का कारण NBFCs द्वारा प्रदत्त ऋणों में कमी, प्रमुख क्षेत्रों के लिए घरेलू मांग में कमी आदि रहा है।
- **आठ कोर उद्योगों का सूचकांक:** IIP आठ कोर (प्रमुख) उद्योगों अर्थात् कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत के कार्यनिष्पादन का मापन करता है। इन आठ कोर उद्योगों का IIP में 40.27 प्रतिशत भारांश होता है।
    - समग्रतः सूचकांक में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि विगत वर्ष के 5.1 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 (अप्रैल- नवंबर) के दौरान शून्य बनी रही।
- **सह-संबंध (Correlation):** इस समीक्षा में यह माना गया है कि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के दौरान IIP, आठ कोर उद्योगों और विनिर्माण क्षेत्रों के संदर्भ में तीनों संकेतक कुछ सामयिक विचलन के साथ-साथ वृद्धिशील बने हुए हैं।
- **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निष्पादन (Performance of Central Public Sector Enterprises: CPSEs):**
    - **लाभ:** 249 प्रचालित CPSEs के समग्र निवल लाभ में 15.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
    - **निवेश:** वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में सभी CPSEs में निवेश में 14.65 प्रतिशत वृद्धि हुई और इसी अवधि में नियोजित पूंजी में 11.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- **कॉर्पोरेट क्षेत्र का कार्यनिष्पादन** (Corporate Sector Performance):
    - **क्षेत्रवार मंदी (Sectoral slowdown):** पेट्रोलियम उत्पादों, लौह एवं इस्पात, मोटर वाहनों और अन्य परिवहन उपकरण कंपनियों का मंदी में प्रमुख योगदान रहा है।
    - **स्थिर क्षमता उपयोग (Stable Capacity Utilization):** भारत के विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता का उपयोग 73.6 प्रतिशत पर स्थिर बना हुआ है।
- **वर्धित सकल पूंजी निर्माण (Gross Capital Formation: GCF):** उद्योगों में GCF की वृद्धि दर वर्ष 2016-17 के 0.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017-18 में 7.6 प्रतिशत (तीव्र वृद्धि) थी।
- **वर्धित ऋण प्रवाह (Increased Credit Flow):** औद्योगिक क्षेत्र में सकल बैंक ऋण प्रवाह, सितंबर 2018 के 2.3 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर सितंबर 2019 में 2.7 प्रतिशत हो गया।

VISION IAS

- **व्यवसाय करने की सुगमता (Ease of doing business: EODB):** विश्व बैंक की **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 2020 रिपोर्ट** में 190 देशों में से भारत ने अपने स्थान में सुधार करते हुए 63वां (विगत वर्ष भारत 77वें स्थान पर था) स्थान प्राप्त किया है। भारत ने 10 संकेतकों में से 7 में अपनी रैंक में सुधार किया है, जो व्यवसाय करने के संपूर्ण परिचालन-चक्र से संबंधित हैं।
- **स्टार्ट-अप इंडिया:** विगत अनुमान के अनुसार, 551 जिलों में 27,084 स्टार्ट-अप को मान्यता प्रदान की जा चुकी है, जिनमें से 55 प्रतिशत स्तर-I के शहरों से, 45 प्रतिशत स्तर-II और स्तर-III के शहरों से संबंधित हैं।
  - स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं:
    - स्टार्ट-अप द्वारा प्राप्त निवेश पर **आयकर से छूट।**
    - स्टार्ट-अप के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए **32 विनियामक सुधारों** को लागू करना।
    - 6 श्रम कानूनों और 3 पर्यावरण कानूनों के लिए **स्व-प्रमाणन व्यवस्था।**
    - स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के लिए 'वन स्टॉप शॉप' के रूप में **स्टार्ट-अप इंडिया हब** को स्थापित करना।
  - **शीर्ष 3 राज्य प्रदर्शक:** महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली।
  - **प्रमुख क्षेत्र:** सूचना प्रौद्यिगिकी (IT) सेवाएँ (13.9 प्रतिशत), स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान (8.3 प्रतिशत) तथा शिक्षा (7.0 प्रतिशत)।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** वर्ष 2018-19 (सितम्बर, 2018 तक) के 22.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2019-20 (सितम्बर, 2019 तक) में कुल FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह 26.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
  - **प्रमुख गंतव्य:** समग्र FDI अंतर्प्रवाह का लगभग 80 प्रतिशत सिंगापुर, मॉरीशस, नीदरलैंड, अमेरिका और जापान से प्राप्त हुआ।

क्षेत्र-वार मुद्दे और पहल (Sector-wise issues and initiatives)

- **इस्पात:** कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत **दूसरे स्थान** (वैश्विक उत्पादन में **6 प्रतिशत** की हिस्सेदारी के साथ) पर है।
  - **तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता:** भारत चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है।
  - **वृद्धि और उपयोग:** कच्चे इस्पात के उत्पादन में 77.4 प्रतिशत की उपयोग क्षमता के साथ 1.5 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित हुई है।
- **कोयला:** वर्ष 2018-19 के दौरान भारत में कच्चे कोयले का कुल उत्पादन 730.4 मिलियन टन (MT) था जो 8.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
  - **अत्यधिक आयात:** अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 के दौरान 126.20 मीट्रिक टन कोयले का आयात किया गया था।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs):** प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के लिए 12 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं:
  - ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट के भीतर 1 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन (In-principle approval) की व्यवस्था की गयी है।
  - GST पंजीकृत सभी MSMEs के लिए 1 करोड़ रूपये के ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
  - 500 करोड़ रुपये से अधिक की कुल बिक्री वाली समस्त कंपनियों को अनिवार्यतः TReDS प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है।
  - समस्त CPSUs को MSEs से अपनी कुल खरीद के 20 प्रतिशत के स्थान पर कम से कम 25 प्रतिशत की अनिवार्य खरीद करनी होगी।
  - MSEs से अधिदेशित 25 प्रतिशत खरीद में से 3 प्रतिशत खरीद महिला उद्यमियों के नेतृत्व वाले MSEs लिए आरक्षित की गई है।
  - समस्त CPSUs को GeM पोर्टल से अनिवार्यतः खरीद करना होगा।
  - 20 प्रौद्योगिकी केंद्र (Technology Centres) और 100 विस्तार केंद्र (Extension Centres) 6,000 करोड़ रूपये की लागत से स्थापित किए जाएंगे।

VISION IAS

- फार्मा समूह की स्थापना करने के लिए भारत सरकार लागत का 70 प्रतिशत वहन करेगी।
- 8 श्रम नियमों और 10 संघ विनियमनों के अंतर्गत विवरणियों (Returns) को वर्ष में एक बार दाखिल किया जाएगा।
- स्थापनाओं पर दौरा करने वाले एक निरीक्षक का निर्णय, एक कम्प्यूटरीकृत यादृच्छिक आवंटन के माध्यम से किया जाएगा।
- वायु एवं जल प्रदूषण नियमों के तहत एकल सहमति।
- कंपनी अधिनियम के तहत मामूली उल्लंघन के लिए, उद्यमियों को अब न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि वे साधारण प्रक्रियाओं के माध्यम से उनका समाधान कर सकते हैं।

- **वस्त्र एवं परिधान (Textile and Apparels):** इस क्षेत्रक का वर्ष 2017-18 में विनिर्माण में 18 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 2.0 प्रतिशत का योगदान रहा।
  - **निर्यात:** वर्ष 2018-19 में भारत के निर्यात में वस्त्र एवं परिधान की भागीदारी 12 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के निर्यात में 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
  - **रोजगार:** यह कृषि क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता है और यह 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से तथा संबद्ध क्षेत्रों में 6 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
  - **उत्पादन:** एक अनुमान के तहत मानव निर्मित फाइबर और फिलामेंट यार्न उत्पादन में वृद्धि हुई है किंतु अप्रैल-अगस्त 2019 के दौरान वस्त्र उत्पादन में कमी हुई है।

अवसंरचना (Infrastructure)

चूँकि विकास हेतु और विकास को समावेशी बनाने के लिए पर्याप्त अवसंरचना की आवश्यकता होती है। इसलिए सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline: NIP) जारी की है।

- **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन:** इसका उद्देश्य सुव्यवस्थित परियोजनाओं के समूह का निर्माण करना है जो केंद्र और राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकायों, बैंक एवं वित्तीय संस्थान, PE फंड और निजी निवेशकों (स्थानीय और विदेशी दोनों) को निवेश हेतु आकर्षित करेगा।
  - NIP के अनुसार भारत में वित्त वर्ष 2020 से 2025 की अवधि के दौरान 102 लाख करोड़ रुपये के कुल अवसंरचना निवेश होने का अनुमान है।
  - NIP के माध्यम से ऐसी सुविचारित समर्थ अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण होने की अपेक्षा है, जो नौकरियों का सृजन, जीवन सुविधाओं का संवर्धन करेगा और सबके लिए अवसंरचना की समान उपलब्धता प्रदान करेंगे।
- **अन्य कदम:** जैसे- कई अवसंरचना कंपनियों के लिए एक संतुलित बॉण्ड बाजार विकसित करना, अवसंरचना से संबंधित विवादों का शीघ्र समाधान, बेहतर और संतुलित PPP संविदाओं के माध्यम से इष्टतम जोखिम हिस्सेदारी और स्वच्छता एवं संविदाएं इत्यादि।

क्षेत्रीय विकास (Sectoral Developments)

- **सड़क क्षेत्र:** वर्ष 2017-18 के लिए सकल मूल्य वर्द्धित (GVA) में परिवहन क्षेत्र की भागीदारी लगभग 4.77 प्रतिशत थी, जिसमें सड़क परिवहन की हिस्सेदारी 3.06 प्रतिशत है, उसके बाद रेलवे (0.75 प्रतिशत), हवाई यातायात (0.15 प्रतिशत) और जल परिवहन (0.06 प्रतिशत) की हिस्सेदारी है।
  - **यातायात:** राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति की रिपोर्ट के अनुसार, सड़क परिवहन देश भर में भाड़ा और यात्री यातायात का क्रमशः 69 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत होने की संभावना है।
  - **सड़क नेटवर्क:** भारत में लगभग 59.64 लाख कि.मी. का सड़क नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1.32 लाख कि.मी. थी।
  - **सड़क निर्माण की गति:** इसमें वर्ष 2015-16 के 17 किलोमीटर प्रतिदिन से वर्ष 2018-19 में प्रतिदिन 29.7 किलोमीटर प्रतिदिन की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
  - **निवेश:** सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में कुल निवेश वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक पांच वर्ष की अवधि में तीन गुना से अधिक हुआ है।

VISION IAS

- **रेलवे:** भारतीय रेलवे (IR) एकल प्रबंधन व्यवस्था के तहत 68,000 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग के साथ विश्व में **तीसरा सबसे बड़ा** रेल नेटवर्क है।
    - **ट्रैफिक:** भारतीय रेलवे, 120 करोड़ टन माल ढुलाई और 840 करोड़ यात्रियों की संख्या के साथ विश्व में सर्वाधिक यात्रियों का परिवहन करने वाली रेलवे है तथा माल ढुलाई का चौथा सबसे बड़ा साधन है। (राजस्व अर्जक माल ढुलाई और यात्री यातायात में क्रमशः 5.34 प्रतिशत और 1.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है।)
    - **दुर्घटनाओं में कमी:** वर्ष 2018-19 में रेल दुर्घटनाएं विगत वर्ष की संबंधित अवधि की तुलना में 73 से घटकर 59 हो गईं हैं।
    - **स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत:** जैव-शौचालयों (bio-toilets) की संख्या वर्ष 2015 के लगभग 20,000 से बढ़कर वर्ष 2019 में 2.25 लाख हो गई है। इसके अतिरिक्त, यांत्रिक सफाई संविदा और प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
    - **स्टेशनों का आधुनिकीकरण: आदर्श स्टेशन योजना** के तहत विकसित किए गए 1,253 स्टेशनों की पहचान की गई है और इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित SPV, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (IRSDC) लिमिटेड का गठन किया गया है।
- **नागर विमानन:** भारत, विश्व में नागर विमानन के लिए **तीसरा सबसे** बड़ा घरेलू बाजार है।
    - **एयरक्राफ्ट सीट क्षमता में वृद्धि:** भारत में एयरलाइंस ओपरेटरों ने अपनी एयरक्राफ्ट सीट क्षमता को वर्ष 2013 में 0.07 वार्षिक प्रति व्यक्ति सीट से बढ़ाकर वर्ष 2018 में 0.12 वार्षिक प्रति व्यक्ति सीट कर लिया है।
    - **ट्रैफिक:** वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक विमानपत्तनों पर कुल यात्री संख्या (घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय) और एयर कार्गो क्रमशः 3447 लाख और 3,562,000 टन तक का प्रबंधन किया गया है।
    - **उड़ान योजना:** उड़ान योजना के प्रारंभ होने के बाद से कुल 43 विमानपत्तनों का संचालन किया गया है।
    - **क्षमता विस्तार:** वर्तमान वायु पत्तन पर भार कम करने के लिए 100 और विमानपत्तनों पर वित्तीय वर्ष 2023-24 तक परिचालन शुरू किया जाना है।
    - **सुधार:** इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने सुधारों की परिकल्पना की है जैसे-
- एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट से संबंधित **केपटाउन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल** के उपबंधों का अनुपालन करके वायुयानों के वित्तपोषण और लीजिंग दरों में कमी करना।
- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री और वस्तु अंतरण को प्रोत्साहित करना।
- हवाई यातायात अधिकारों का कुशल उपयोग और टैक्स नियमों को युक्तिसंगत बनाना।
- **नौपरिवहन (शिपिंग):** भारतीय व्यापार का मात्रा की दृष्टि से लगभग 95 प्रतिशत तथा मूल्य की दृष्टि से लगभग 68 प्रतिशत भाग नौपरिवहन द्वारा किया जाया जाता है।
    - **निम्न नौपरिवहन लदान भार**: कुल वैश्विक लदान क्षमता (dead weight tonnage: DWT) में भारत की भागीदारी केवल 0.9 प्रतिशत है। (जहाजों की संख्या 1,419 होने के बावजूद)
    - **पुराने जहाज**: भारतीय जहाजों की औसत परिचालन अवधि वर्ष 1999 के 15 वर्ष से बढ़कर वर्ष 2019 में 19.71 वर्ष हो गई है।
    - देश के प्रमुख नौ पत्तनों की अधिकतम क्षमता मार्च, 2019 तक 1,514.09 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) रही है और वर्ष 2018-19 के दौरान 699.09 मिलियन टन (MT) कार्गो (ट्रैफिक) का संचालन किया गया है। प्रमुख पत्तनों की क्षमता बढाएं जाने के क्रम में, नौपरिवहन मंत्रालय द्वारा यंत्रीकरण, डिजिटलीकरण और प्रक्रिया सरलीकरण के माध्यम से परिचालन क्षमता में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है।
- **दूरसंचार क्षेत्र:** भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन वर्ष 2014-2015 में 9,961 लाख से 18.8 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2018-19 में 11,834 लाख हो गए।
    - **कनेक्शन संघटक:** बेतार टेलीफोन व्यवस्था अब कुल टेलीफोन कनेक्शनों (सब्स्क्रिप्शनों) का 98.27 प्रतिशत है जबकि लैंडलाइन टेलीफोन का शेयर अब 1.73 प्रतिशत ही रह गया है।
    - **टेली-घनत्व:** भारत में कुल टेली-घनत्व 90.45 प्रतिशत है, ग्रामीण टेली-घनत्व 57.35 प्रतिशत और शहरी टेली-घनत्व 160.71 प्रतिशत है।

VISION IAS

- **इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में वृद्धि:** इंटरनेट ग्राहकों की संख्या वर्ष 2014 के 2,516 लाख की तुलना में 2019 में 6,653 लाख थी। उनमें से, मोबाइल इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 6,436 लाख थी।
- **डेटा उपयोग में अग्रणी:** भारत का मासिक डेटा उपयोग सर्वाधिक है, प्रति उपभोक्ता प्रति माह औसत खपत में वर्ष 2014 (62 mb) से वर्ष 2019 (9.8 gb) तक 157 गुना की वृद्धि हुई है।
- **टैरिफ वॉर:** वर्ष 2016 से ही इस क्षेत्र में टेलीफोन सेवा प्रदाताओं (TSP) द्वारा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा और मूल्य में कटौती देखी गई है जो इस क्षेत्र में वित्तीय तनाव को उत्पन्न करते हैं।

- **दूरसंचार अवसंरचना और कनेक्टिविटी**
  - **भारत नेट:** इसका उद्देश्य देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों (GPs) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
  - **सरकारी वाई-फाई पहुँच**: सरकारी वाई-फाई हॉटस्पॉट के माध्यम से प्रयोक्ताओं को ब्रॉडबैंड की अंतिम-छोर तक पहुँच सुनिश्चित होती है।
  - **टावर और BTS**: मोबाइल बेस ट्रांसीवर स्टेशन (BTS) की संख्या वर्ष 2014 के 7.9 लाख से बढ़कर वर्ष 2019 में 21.8 लाख हो गई, जबकि इसी अवधि में ऑप्टिकल फाइबर केबल का विस्तार 7 लाख किमी से बढ़कर लगभग 14 लाख किमी हो गया है।
  - **वामपंथी अतिवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परियोजना: इसका उद्देश्य वामपंथी अतिवाद (LWE) से प्रभावित 2,335 स्थानों पर** मोबाइल सेवाएं प्रदान करना है।
- **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस:** भारत, विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। (विश्व की प्राथमिक ऊर्जा उपयोग का 5.8 प्रतिशत भाग का उपभोग भारत द्वारा किया जाता है।)
  - **तेल उत्पादन:** भारत का तेल उत्पादन विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में निम्नतम में से एक है और इसमें लम्बे समय से लगातार गिरावट हो रही है।
    - कच्चे तेल के उत्पादन में इस कमी के लिए पुराने और वर्तमान तेल क्षेत्रों में प्राकृतिक ह्रास और कोई अन्य तेल क्षेत्र की खोज न हो पाने को जिम्मेदार माना जा सकता है।
  - **वृहत शोधन क्षमता:** 249.4 मात्रा मिलियन टन प्रति वर्ष (MMTPA) की शोधन क्षमता के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद विश्व में **चौथा** सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
  - **शोधन क्षमता में गिरावट:** शोधन क्षमता का उपयोग वर्ष 2017-18 के 107.7 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2018-19 में 103.9 प्रतिशत हो गई है।
  - **प्राकृतिक गैस:** प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन में वर्ष 2017-18 से वृद्धि हो रही है और वर्ष 2019-20 में इसके 31.8 बिलियन घन मीटर (BCM) रहने का अनुमान है।
  - **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) का प्रभुत्व:** चूंकि इस क्षेत्र में **PSUs** का प्रभुत्व है, इसलिए सरकार ने निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक सुधारात्मक उपाय किए हैं जैसे:
    - राजकोषीय एवं संविदा संबंधी शर्तों को सरलीकृत करना।
    - सरकार को बिना कोई उत्पादन या राजस्व दिए बिना श्रेणी II और III के अवसादी बेसिनों के अधीन आने वाले अन्वेषण ब्लॉकों की बोली प्रक्रिया को सरल बनाना।
    - राजकोषीय प्रोत्साहनों को बढ़ाकर अन्वेषणों का पूर्व विमुद्रीकरण।
    - विपणन एवं कीमत निर्धारण की स्वतंत्रता सहित गैस उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
- **विद्युत:** वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम (WEF) द्वारा प्रकाशित **एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स** में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए 76वां स्थान प्राप्त किया है, जो इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तनों को दर्शाता है।
  - **क्षमता:** तापीय विद्युत का हिस्सा कुल स्थापित क्षमता का लगभग 63% (अक्षय ऊर्जा- 23 प्रतिशत और जलविद्युत- 12.4 प्रतिशत) है और मोटे तौर पर उत्पादन क्षमता का आधा उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है।
  - **प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य):** 18 राज्यों में 20 घंटे से भी अधिक समय तक विद्युत की आपूर्ति की जा रही है जबकि शेष राज्यों में यह समयावधि लगभग 15 घंटे या उससे अधिक की है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

VISION IAS

- **खनन क्षेत्र:** भारत 95 खनिजों का उत्पादन करता है जिनमें 4 हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज, 5 परमाणु खनिज (इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकान, यूरेनियम और मोनाजाइट) शामिल हैं।
  - **योगदान:** वर्ष 2018-19 के दौरान GVA में खनन और उत्खनन क्षेत्र का योगदान लगभग 2.38 प्रतिशत था।
  - **उत्पादन में वृद्धि:** मूल्य के संबंध में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान प्रमुख खनिजों के उत्पादन में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
  - **खनिज उत्पादन का सूचकांक:** वर्ष 2018-19 के लिए खनिज उत्पादन सूचकांक (आधार 2011-12 = 100) विगत वर्ष के 104.9 की तुलना में 107.9 अनुमानित है।
- **आवास एवं शहरी आधारिक संरचना :** लगभग 37.7 करोड़ लोग भारत के शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं (जनगणना 2011), जो कि कुछ जनसंख्या का 31 प्रतिशत है और जिसके वर्ष 2030 तक 60.6 करोड़ होने का अनुमान किया गया है (2015: संयुक्त राष्ट्र)।
  - **विनिर्माण क्षेत्र:** विनिर्माण क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में 8.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, जिसमें आवास शामिल हैं तथा इस क्षेत्र में लगभग 12 प्रतिशत लोगों को रोजगार प्राप्त है।
  - **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) {PMAY (U)}:** इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
    - **निष्पादन:** अनुमोदित 1.03 करोड़ घरों में से, 60 लाख घरों का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, जिनमें से 32 लाख घरों का निर्माण किया जा चुका है और उन्हें पात्र लोगों को प्रदान किया जा चुका है।
    - **अत्यधिक भागीदारी:** पात्रता मानदंड के आधार पर लाभार्थियों की पहचान के कार्यकलाप भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपे गए हैं। इस प्रकार के लचीलेपन प्रावधान के कारण ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सामान्य जन की अत्यधिक भागीदारी हुई है।
    - **निधियन:** राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) वित्तपोषण तंत्र और आवास वित्त कंपनियों (HFC) के पुनर्वित्तपोषण के साथ-साथ राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (NUHF) नाम से एक पृथक निधि का गठन किया गया है।
    - **घटक (Verticals):** प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को चार घटकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।
    - **स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM):** स्मार्ट सिटी मिशन के अधीन आने वाले सभी 100 शहरों में विशेष प्रयोजन वाहन (SPVs), शहरी स्तरीय परामर्श मंच (CLAFs) और परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं (PMCs) की नियुक्ति की गई हैं।

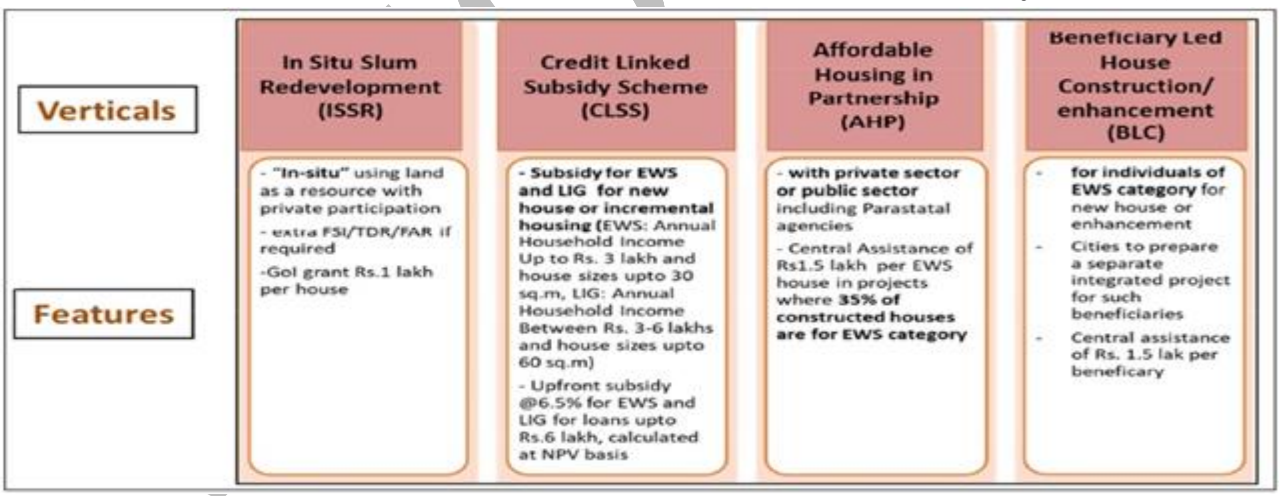

आगे की राह

वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने के लिए, भारत को अवसंरचना पर लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर का व्यय करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) द्वारा अवसंरचना के विज़न पर ध्यान केंद्रित करने के साथ संधारणीय औद्योगिक विकास के लिए एक आधार का सृजन किया गया है। अत: इसके लिए तीव्र, सुगम और अधिक समावेशी विकास को बढ़ावा देनें के क्रम में उद्योग 4.0 को अपनाने की आवश्यकता है।

अध्याय 9: सेवा क्षेत्र

(Services Sector)

सेवा क्षेत्र का सिंहावलोकन (Overview of the Services Sector)

- **भारत के सकल मूल्य वर्धित (Gross Value Added: GVA) में हिस्सा:** कुल GVA और GVA वृद्धि में इसका अंश लगभग 55 प्रतिशत है।
    - **संवृद्धि में नरमी (Moderation in growth):** वर्ष दर वर्ष सेवा क्षेत्र की संवृद्धि दर नरमी (गिरावट) की ओर संकेत करते हैं तथा यह वृद्धि दर वर्ष 2018-19 की 7.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019- 20 में 6.9 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
    - **क्षेत्रवार संवृद्धि (Sector-wise growth):** वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाओं, व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार तथा प्रसारण सेवाओं की वृद्धि में गिरावट दर्ज की गयी है जबकि लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में वृद्धि दर्ज की गई।
    - **बैंक ऋण में गिरावट (Decelerating Bank Credit):** सेवा क्षेत्र को प्रदत्त बैंक ऋण वृद्धि में निरंतर कमी दर्ज की गयी है तथा यह नवंबर 2018 के 28.1 प्रतिशत से घटकर नवंबर 2019 में 4.8 प्रतिशत हो गई है।

विश्व के वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत का हिस्सा (India in World Commercial Services Export)

सेवाओं के वैश्विक हिस्सेदारी में वृद्धि: जहाँ 2005-11 के दौरान वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात की तुलना में वस्तु निर्यात तेजी से बढ़ा, वहीं 2012-18 के दौरान वस्तु निर्यात की तुलना में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात ने बेहतर प्रदर्शन किया है।

भारत द्वारा पूंजीकरण (Capitalization by India)

परिणामस्वरूप, विश्व के वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी विगत एक दशक में तेजी से बढ़कर वर्ष 2018 में 3.5 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो विश्व में इसके व्यापारिक निर्यात (1.7%) का दोगुना है।

भारत का विश्व के सबसे बड़े वाणिज्यिक सेवा निर्यातकों में 8वां स्थान है।

- **सकल राज्य मूल्य वर्धित (Gross State Value Added: GSVA) में योगदान:** कुल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 15 के GSVA में सेवा क्षेत्र का अंश 50 प्रतिशत से अधिक है। चंडीगढ़ और दिल्ली के GSVA में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है, जबकि 26.5 प्रतिशत अंश के साथ सिक्किम का हिस्सा सबसे कम है।
- **सकल FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) अंतर्वाह में वृद्धि:** सकल FDI इक्विटी अंतर्वाह में अप्रैल-सितंबर 2019 के दौरान लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप यह 17.58 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। यह इस अवधि के दौरान भारत में सकल FDI इक्विटी अंतर्वाह का लगभग दो-तिहाई है।
- **सेवा-व्यापार (Trade in Services): निर्यात**
    - **सेवा निर्यात में वृद्धि जारी है:** सेवा निर्यात की वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत थी। {विगत वर्ष (2018-19) के 6.6 प्रतिशत के लगभग बराबर}।
    - **संवृद्धि संरचना:** यात्रा, सॉफ्टवेयर, व्यवसाय और वित्तीय सेवाओं के निर्यात में वृद्धि ने बीमा एवं अन्य सेवाओं के निर्यात (की वृद्धि) में हुई कमी की प्रतिपूर्ति की है।
    - **सॉफ्टवेयर निर्यात का प्रभुत्व:** भारत के सेवाओं के कुल निर्यात में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा सॉफ्टवेयर सेवाओं का रहा है।
    - **सॉफ्टवेयर क्षेत्र के समक्ष विद्यमान मुद्दे:** विनिमय दर में परिवर्तन, वैश्विक IT व्यय, संयुक्त राज्य अमेरिका के कठोर वीजा मानदंड और निर्यात गंतव्यों में स्थानीय रोजगार में हुई वृद्धि के कारण बढ़ते लागत दबाव जैसी समस्यायों का सॉफ्टवेयर क्षेत्र को सामना करना पड़ रहा है।
- **सेवा-व्यापार: आयात**
    - **सेवा आयात संवृद्धि में वृद्धि:** विगत वर्ष (2018-19) के 7.3% की तुलना में इस वर्ष सेवा आयात की वृद्धि दर 7.9 प्रतिशत थी।

VISION IAS

- **संवृद्धि संरचना:** परिवहन, सॉफ्टवेयर, संचार और व्यावसायिक सेवाओं के आयात में वृद्धि ने वित्तीय एवं बीमा सेवाओं के आयात में कमी और यात्रा सेवाओं के आयात में गिरावट (स्लोडाउन) की प्रतिपूर्ति की है।
- **उच्च शैक्षिक आयात:** भारत में शिक्षा सेवा क्षेत्र के तहत किए जाने वाले शिक्षा आयात में निरंतर व्यापार घाटा विद्यमान रहा है। ज्ञातव्य है कि यह वर्ष 2018-19 में लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था।

- **निवल निर्यात और भावी परिदृश्य**
  - **निवल निर्यात में वृद्धि:** सेवाओं का निवल निर्यात अप्रैल-सितंबर 2018 के 38.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-सितंबर 2019 के दौरान 40.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (4.1 प्रतिशत की वृद्धि) पहुँच गया था।
  - **वर्ष 2020 में संभावित वृद्धि:** वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में कमी के पश्चात् वर्ष 2020 में पुन: इसके बेहतर होने का अनुमान है।
  - **संभावित चुनौतियां:** वैश्विक अनिश्चितता, संरक्षणवाद और कठोर प्रवासन नियम, आने वाले समय में भारत के सेवा व्यापार को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण कारक होंगे।

वित्तीय सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपतटीय निधि प्रबंधन उद्योग का विकास करना (Developing the Offshore Fund Management Industry to Boost Financial Services Exports)

वर्तमान स्थिति: भारत के वित्तीय सेवाओं को प्राप्त होने वाले अधिकांश विदेशी पूंजी अंतर्वाह वैश्विक वित्तीय केंद्रों से आती हैं। परिणामस्वरुप, कुल सेवा निर्यात में वित्तीय सेवाओं के निर्यात की हिस्सेदारी वर्ष 2018-19 में घटकर 2.3 प्रतिशत पर पहुँच गयी थी।

अपतटीय (ऑफ-शोर) निधियों की परिसंपत्ति प्रबंधन गतिविधि: परिसंपत्ति प्रबंधन को संभवतः ऑन-शोर पर लाया जा सकता है। ये ऑफ-शोर निधियां, कर और विनियामक अनुकूल क्षेत्राधिकारों, यथा- सिंगापुर, लक्ज़मबर्ग आदि में अवस्थित हैं। ये ऑफ-शोर निवेशकों से निवेश एकत्रित करती हैं और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट (FPI), प्राइवेट इक्विटी (PE) या फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (FVCI) मार्ग से भारत में निवेश करती हैं।

इसे ऑन-शोर पर लाने के लाभ:

- एसेट मैनेजर्स राउंडटेबल ऑफ इंडिया (AMRI) के अनुमानों के अनुसार, कुल परिसंपत्ति में लगभग 217 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वर्ष 2020 तक भारत में ऑन-शोर होने की संभावना है।
- यह उच्च-कुशल वित्त पेशेवरों के लिए रोजगार उत्पन्न कर सकता है।
- ऑफ-शोर सेवाओं के प्रबंधन के लिए निधि प्रबंधकों द्वारा प्राप्त प्रबंधन शुल्क वित्तीय सेवाओं के निर्यात के रूप में होगा।

विद्यमान चुनौती: वर्तमान में, इन ऑफ-शोर निधियों की निधि प्रबंधन गतिविधियां अपतटीय क्षेत्राधिकार में अवस्थित हैं, क्योंकि भारत में उनकी उपस्थिति ऑफ-शोर निधि से प्राप्त लाभ के लिए कर निहितार्थ उत्पन्न करेगी।

सेफ हार्बर (आयकर अधिनियम की धारा 9A): उपर्युक्त चुनौती का समाधान करने हेतु, सरकार ने **"सुरक्षित बंदरगाह" (safe harbour)** प्रावधान लागू किया था, जिसके तहत कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करने पर, अपतटीय निधि को कर उद्देश्यों के लिए 'निवासी' नहीं माना जाएगा। लेकिन अधिकांश अपतटीय निधियां कठोर पात्रता शर्तों के कारण इसका उपयोग करने में असमर्थ थीं।

आगे की राह: वाणिज्य मंत्रालय के उच्च-स्तरीय सलाहकार समूह की एक रिपोर्ट में, अपनी निधि प्रबंधन गतिविधियों को ऑन-शोर करने के इच्छुक निवेशकों हेतु कर ढांचे को सरल बनाने और ऑफ-शोर निधि के लिए कर निवासन जोखिम (tax residency risk) को दूर करने की सिफारिश की गयी थी, क्योंकि ये प्रबंधक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के साथ पंजीकृत होते हैं और इसके विनियमों का अनुपालन करते हैं।

उप-क्षेत्रवार निष्पादन और अभिनव नीतियां (Sub-sector wise performance and recent polices)

वर्ष 2019-20 के दौरान पर्यटन, बंदरगाह आदि जैसे क्षेत्रों सहित सेवा क्षेत्र के अधिकांश उप-क्षेत्रों की संवृद्धि में गिरावट देखी गई है।

- **पर्यटन क्षेत्र:** भारत में वर्ष 2015 से 2017 तक विदेशी पर्यटकों के आगमन में उच्च वृद्धि के कारण पर्यटन क्षेत्र में बेहतर निष्पादन देखा गया है। हालांकि, इसके पश्चात् विदेशी पर्यटकों के आगमन की वृद्धि दर (वर्ष दर वर्ष) में कमी हुई है।

VISION IAS

- **मंद वैश्विक संवृद्धि:** वैश्विक स्तर पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दर वर्ष 2017 के 7.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018 में 5.4 प्रतिशत हो गई थी।
- **अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (International Tourist Arrivals: ITAs) में भारत की हिस्सेदारी:** भारत वर्ष 2018 में ITAs के मामले में विश्व में 22वें स्थान पर था, जो वर्ष 2017 के 26वें स्थान से सुधार को प्रदर्शित करता है। भारत विश्व स्तर पर कुल ITAs के 1.24 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है और एशिया एवं प्रशांत के ITAs में इसका योगदान 5 प्रतिशत है।
- **पर्यटकों की देशों के संदर्भ में संरचना:** भारत आने वाले शीर्ष 10 देशों - बांग्लादेश, अमरीका, ब्रिटेन, श्रीलंका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, चीन, जर्मनी और रूस से आने वाले विदेशी पर्यटकों का भारत में आने वाले कुल विदेशी पर्यटक आगमन में 65 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। इनमें से अधिकांश पर्यटक (62.4%) छुट्टियाँ व्यतीत करने, अवकाश और मनोरंजन के लिए भारत आए थे।
- **पसंदीदा गंतव्य:** विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष पांच राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान हैं, जिनका हिस्सा कुल विदेशी पर्यटन में लगभग 67 प्रतिशत रहा है।
- **विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने हेतु ई-वीज़ा योजना:** ई-वीजा योजना अब 28 निर्दिष्ट विमान पत्तनों और 5 निर्दिष्ट बंदरगाहों के माध्यम से वैध प्रवेश की सुविधा के साथ 169 देशों के लिए उपलब्ध है। इसके साथ, ई-वीजा से भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या वर्ष 2015 में 4.45 लाख से बढ़कर वर्ष 2018 में 23.69 लाख हो गई है।

- **सूचना प्रौधोगिकी और व्यवसायिक प्रक्रिया प्रबंधन सेवाएँ (IT-BPM Services):** यह क्षेत्र रोजगार वृद्धि और मूल्य वर्धन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह आईटी सेवा, व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन (BPM), हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उत्पाद और इंजीनियरिंग सेवा क्षेत्रों का गठन करता है।
    - **आईटी सेवा का प्रभुत्व:** 2018-19 में IT-BPM क्षेत्र में आईटी सेवाओं का अंश 51 प्रतिशत था। आईटी सेवाओं में से, डिजिटल राजस्व में वृद्धि (वर्ष पर वर्ष) 30 प्रतिशत से अधिक रही है।
    - **निर्यात संचालित:** IT-BPM उद्योग (हार्डवेयर को छोड़कर) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (लगभग 83 प्रतिशत) निर्यात संचालित है।
    - **राजस्व वृद्धि में कमी:** IT-BPM क्षेत्र (हार्डवेयर को छोड़कर) की राजस्व वृद्धि 2017-18 के 8.2 प्रतिशत से घट 2018-19 के दौरान 6.8 प्रतिशत हो गई।
    - **IT-BPM निर्यात संरचना:** 2018- 19 में यूएसए का अंश निर्यात में काफी अधिक था जो कि कुल IT-BPM निर्यात (हार्डवेयर को छोड़कर) का 62 प्रतिशत था। इसके बाद कुल निर्यात का 17 प्रतिशत अंश यूके का था।
    - **क्षेत्र में नीतिगत पहल:** IT-BPM क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए कई नीतिगत पहले की गई हैं, जिसमें स्टार्ट-अप इंडिया, नेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पॉलिसी और एंजेल टैक्स से संबंधित मुद्दों को समाप्त करना शामिल है।
- **बंदरगाह और नौपरिवहन सेवाएं:** भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह और लगभग 200 गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं। 2013-14 और 2016- 17 के बीच कुल बंदरगाह यातायात में वृद्धि देखी गई थी, लेकिन 2017-18 के बाद से गिरावट हो रही है।
    - **बंदरगाह क्षमता:** भारतीय बंदरगाहों की कुल कार्गो (मालवाहन) क्षमता वित्त वर्ष 2018 के अंत में 1,452 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) थी।
    - **वैश्विक नौवहन में हिस्सा:** जनवरी 2019 तक भारत का वैश्विक नौवहन में भागीदारी 0.9 प्रतिशत था।
    - **सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह:** पारादीप, चेन्नई, विशाखापट्टनम, दीनदयाल (कांडला) और जेएनपीटी जैसे बंदरगाहों पर सर्वाधिक कार्गो क्षमता विद्यमान थी।
    - **टर्नअराउंड टाइम को कम करना:** जहाजों का टर्नअराउंड टाइम, जो कि नौपरिवहन क्षेत्र की कुशलता का एक प्रमुख संकेतक है, जो 2010-11 और 2018-19 के बीच आधा होकर 2.48 दिन रह गया है। (लेकिन इसमें सुधार की संभावना है क्योंकि विश्व स्तर पर मीडियन टर्न अराउंड टाइम 0.97 दिन है।)
- **अंतरिक्ष क्षेत्र:** भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में धीमी शुरुआत के बाद से चरघातांकीय रूप वृद्धि हुई है। इसमें प्रक्षेपण यान विकास, उपग्रह प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, नेविगेशन आदि शामिल हैं।

VISION IAS

- **वैश्विक अभिकर्ताओं की तुलना में निम्न व्यय:** भारत द्वारा वर्ष 2018 में अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर व्यय किए गए हैं। तथापि, यह व्यय अभी भी यूएसए और चीन जैसे प्रमुख अभिकर्ताओं की तुलना में अत्यंत कम है, जो भारत की तुलना में क्रमशः 13 गुना और 7 गुना से अधिक व्यय करते हैं।
- **उच्च सफलता दर:** भारत ने हाल के वर्षों में (वर्ष 2017 में एक असफलता को छोड़कर) प्रति वर्ष लगभग 5-7 उपग्रहों को बिना किसी असफलता के साथ लॉन्च किया है।
- **फोकस के प्रमुख क्षेत्र:**
  - **उपग्रह संचार:** इनसैट/जीसैट सैटेलाइट सिस्टम विशेषकर दूरसंचार, प्रसारण और उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड अवसंरचना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बुनियादी आधार प्रदान करता है।
  - **भू-अवलोकन (अर्थ ऑब्जर्वेशन):** यह अंतरिक्ष-आधारित सूचना के माध्यम से (मौसम पुर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय संसाधनों की मैपिंग और अभिशासन/निगरानी हेतु) किया जाता है।
  - **उपग्रह की सहायता से पथप्रदर्शन (सैटेलाइट एडेड नेविगेशन):** इसमें GAGAN और NavIC दोनों शामिल हैं। GAGAN द्वारा नागर विमानन के संबंध में सटीकता और समग्रता में सुधार के लिए क्षेत्र के जीपीएस कवरेज को संवर्धित करने का प्रयास किया गया है। जबकि, NavIC एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है, जिसकी स्थापना पोजिशनिंग (स्थिति), नेविगेशन और समय (PNT) से संबंधित सेवाएं प्रदान करने हेतु की गई है।
  - **निजी निवेश को आकर्षित करना:** उपग्रहों और प्रक्षेपण यान मिशनों तथा अनुप्रयोग कार्यक्रमों की बढ़ती संख्या के आलोक में, निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए कई क्षेत्रों की पहचान की गई है, जैसे- PSLV का उत्पादन, सैटेलाइट इंटीग्रेशन एंड असेंबली, सम्मिश्र पदार्थों तथा प्रणोदकों का उत्पादन और वैमानिकी प्रणालियों के लिए परीक्षण और मूल्यांकन।

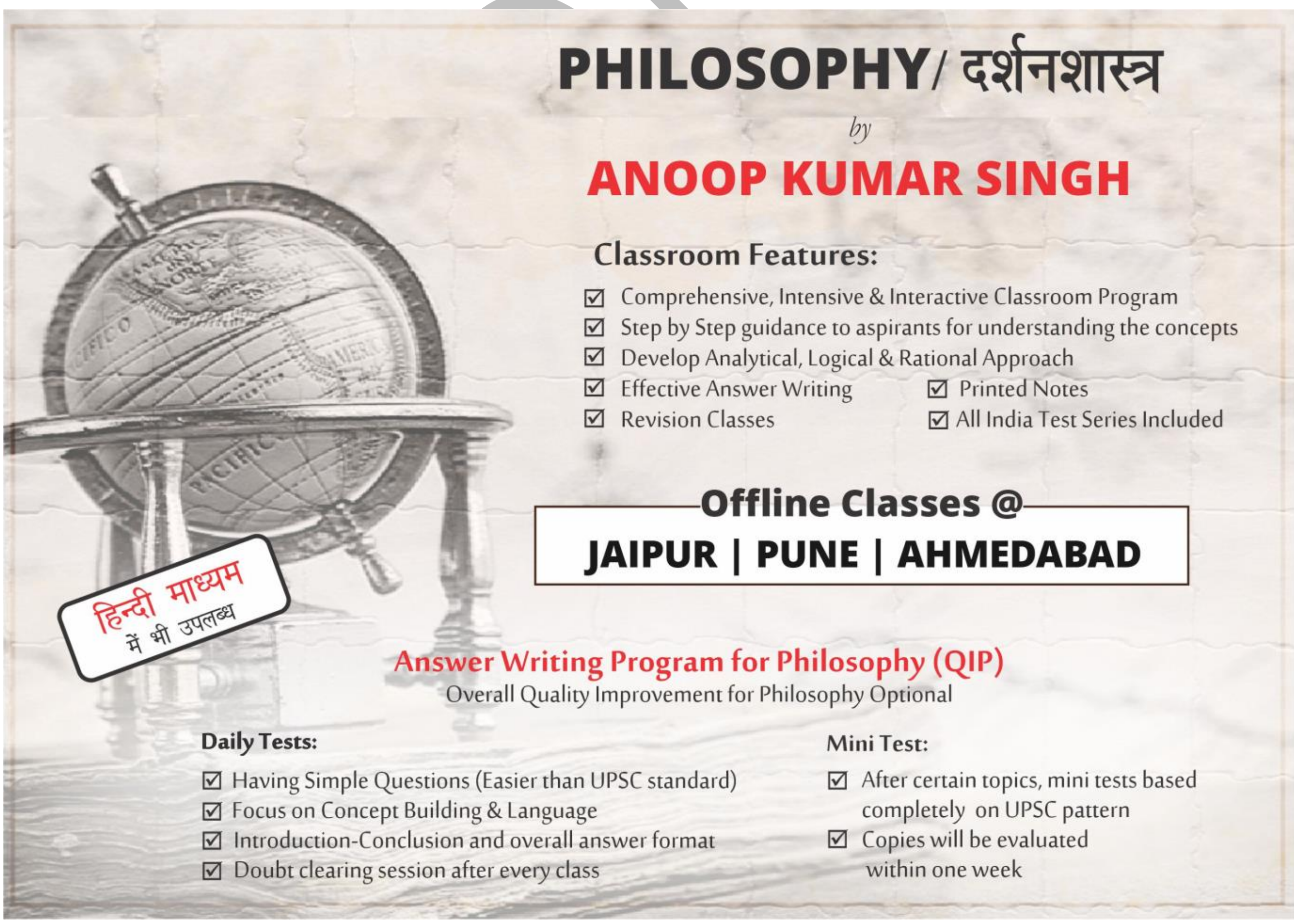

अध्याय 10: सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास

(Social Infrastructure, Employment And Human Development)

परिचय (Introduction)

- समावेशी विकास, रोजगार और सतत विकास के लिए, सामाजिक अवसंरचना में निवेश एक पूर्व-शर्त है।
- इस अध्याय में सामाजिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, इसकी समस्याओं और इस क्षेत्र से संबंधित आवश्यक नीतियों की महत्वपूर्ण प्रगतियों को रेखांकित किया गया है।

सामाजिक क्षेत्र के व्यय में रुझान (Trends in the social sector expenditure)

- केंद्र और राज्यों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य) पर व्यय वर्ष 2014-15 के 6.2% से बढ़कर वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान 7.7 प्रतिशत हो गया है।
- इस अवधि के दौरान यह वृद्धि सभी सामाजिक क्षेत्रों अर्थात् शिक्षा (2.8% से 3.1%) और स्वास्थ्य (1.2% से 1.6%) में देखी गई।

मानव विकास (Human Developments)

- मानव विकास सूचकांक (HDI) में भारत की रैंक में (वर्ष 2017-18 के 130 से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 129) सुधार हुआ है।
- भारत 1.34 प्रतिशत औसत वार्षिक HDI वृद्धि के साथ सबसे तेजी से सुधार करने वाले देशों में शामिल हुआ है तथा चीन (0.95), दक्षिण अफ्रीका (0.78), रूस (0.69) और ब्राजील (0.59) से आगे है।

सभी के लिए शिक्षा (Education for all)

- **शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (Unified District Information System for Education: U-DISE) 2017-18,** (जो स्कूली शिक्षा से संबंधित विभिन्न संकेतों के संबंध में आंकड़े एकत्रित करती है) के अनुसार 98.38% सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था तथा 96.23% सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लड़कों के लिए शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, 97.33% सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा विद्यमान है, जबकि 38.62% सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में रैंप की सुविधा है। इसी प्रकार 58.88% सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में चहारदीवारी (बाउंड्री वॉल) की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जबकि 56.72% सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध है। 79.23% सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में पुस्तकालय और 61.75% में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।
- **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) रिपोर्ट**, 2017-18 के अनुसार,
    - **विद्यालय छोड़कर जाने की दर (ड्रॉप-आउट)** प्राथमिक स्तर पर 10 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक / मिडिल स्तर पर 17.5 प्रतिशत और माध्यमिक स्तर पर 19.8 प्रतिशत थी।
    - **3 से 35 वर्ष की आयु वाले 13.6 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा कभी भी अपना नामांकन नहीं कराया गया है**। इसके पीछे का प्रमुख कारण 'शिक्षा में रूचि नहीं होना' तथा वित्तीय कठिनाई रही है।
- शिक्षा पर व्यय के विभिन्न घटकों के संघटन यह दर्शाते हैं कि **पाठ्यक्रम शुल्क पर व्यय सर्वाधिक** रहा है, जो अखिल भारतीय स्तर पर (ट्यूशन, परीक्षा, विकास शुल्क और अन्य अनिवार्य भुगतान सहित) 50.8 प्रतिशत है, इसके बाद किताबें, स्टेशनरी और यूनिफार्म; परिवहन; निजी कोचिंग और अन्य व्यय शामिल हैं।
- सरकारी विद्यालयों/ संस्थानों में **प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण**, सरकारी स्कूलों / संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक निम्न रही है। परिणामस्वरूप, अधिक से अधिक छात्र निजी संस्थानों में स्वयं को नामांकित करना पसंद करते हैं जहां उनके द्वारा, संपूर्ण भारत के ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में स्थित सरकारी संस्थानों की तुलना में काफी अधिक व्यय किया जाता है।

सरकारी विद्यालयों और संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की गईं पहलें (Initiatives taken to provide the quality education in government schools and institutions)

- वर्ष 2018-19 से **समग्र शिक्षा,** जिसमें तीन पूर्ववर्ती केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं, यथा- सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) को सम्मिलित किया गया है। इसमें विद्यालय शिक्षा की

VISIONIAS

परिकल्पना प्री स्कूल से उच्च माध्यमिक (सीनियर सेकेंडरी) स्तर तक सातत्य रूप में की गई है और इसका उद्देश्य समावेशी एवं समानता पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।

- **शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार** करने हेतु **केंद्रीय RTI नियमों** में संशोधन किया गया है ताकि कक्षावार और विषयवार शिक्षण परिणामों पर संदर्भ को शामिल किया जा सके। **RTI अधिनियम, 2009** को वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शिक्षक इस अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर सकें।
- **नवोदय विद्यालय स्कीम** में देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) खोलने का प्रावधान किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही, उन्हें सर्वश्रेष्ठ आवासीय विद्यालय प्रणाली के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके।
- **निष्ठा (विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों के लिए समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) (National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancemen: NISHTHA):** समग्र शिक्षा (एक केंद्र प्रायोजित योजना) के तहत निष्ठा पहल के माध्यम से एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 42 लाख शिक्षकों और प्रधानाचार्यों, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERTs) के संकाय सदस्यों, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIETs), ब्लॉक रिसोर्स कोर्डिनेटर और क्लस्टर रिसोर्स कोर्डिनेटरों की क्षमता का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्रों में तार्किक सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने हेतु शिक्षकों को प्रेरित एवं तैयार करना है ताकि वे विभिन्न स्थितियों को संभालने में समर्थ हो सकें और प्रथम स्तर के परामर्शदाताओं (काउंसलर) के रूप में कार्य कर सकें।
- **राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क:** कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच सहित सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से खेल के साथ-साथ अध्ययन को बढ़ावा देना, जो छात्र के जीवन और स्कूल की गतिविधियों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- प्रतिभाशाली छात्रों को चिन्हित करते हुए उनके कौशल और ज्ञान को समृद्ध करने हेतु **प्रधानमंत्री अभिनव शिक्षण कार्यक्रम (DHRUV)** शुरू किया गया है।
- **दीक्षा (DIKSHA) प्लेटफॉर्म,** प्रौद्योगिकी सुविधायुक्त शिक्षण और अधिगम को व्यापक बनाने वाला एक मंच है। अन्य ई-कंटेंट साइट्स, जैसे- ई-पाठशाला, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज (NROER) को भी DIKSHA के साथ एकीकृत किया जा रहा है ताकि आसान पहुंच सुनिश्चित सुनिश्चित की जा सके।
- सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के संबंध में लोगों की आवश्यकताओं की परिवर्तित होती हुई गतिशीलता को पूरा करने के लिए एक नई शिक्षा नीति बनाने की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य अपने छात्रों को अपेक्षित कौशल और ज्ञान से लैस करके भारत को एक नॉलेज सुपर पॉवर के रूप में परिवर्तित/स्थापित किया जा सके तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अकादमिक और उद्योग में जनशक्ति की कमी को समाप्त किया जा सके।

उच्च शिक्षा में अधिगम और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए की गईं पहलें (Initiatives taken for improving the quality of learning and teaching in higher education)

- **शिक्षक एवं शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission on Teachers and Teaching: PMMMNMTT):** इसका उद्देश्य प्रदर्शन मानकों की स्थापना द्वारा शिक्षकों के एक मजबूत पेशेवर कैडर का निर्माण करना और शीर्ष श्रेणी की संस्थागत सुविधाओं का निर्माण करना है।
- **HEFA:** उच्चतर शिक्षा संस्थानों, केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, एम्स और स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए स्थायी वित्तीय मॉडल प्रदान करने के लिए **उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (Higher Education Financing Agency: HEFA)** की स्थापना की गई है। इसके तहत 37,001.21 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 75 शिक्षण संस्थानों ने इस एजेंसी के माध्यम से वित्तपोषण का लाभ उठाया है।
- **प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन (National Educational Alliance for Technology: NEAT):** इसका उद्देश्य विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना है ताकि अधिगम को व्यक्ति सापेक्ष और अनुकूलित बनाया जा सके।

VISION IAS

- **शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेश कार्यक्रम (Education Quality Upgradation and Inclusion Programme: EQUIP)** नामक एक पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में रणनीतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से अगले पांच वर्षों (2019-2024) में भारत की उच्चतर शिक्षा प्रणाली में पूर्ण परिवर्तन लाना है।
- शीर्ष रैंकिंग विश्वविद्यालयों द्वारा संवर्धित सुविधाओं और गुणवत्ता के साथ ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रमों हेतु **स्वयं 2.0 (SWAYAM 2.0)** लांच किया गया है।
- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा **'दिक्षारंभ'** और **'परामर्श'** योजनाओं की शुरुआत की गई है। **'दिक्षारंभ',** छात्र प्रवेश कार्यक्रम के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है तथा **'परामर्श'** के तहत राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा आधिकारिक मान्यता की मांग करने वाले संस्थानों की निगरानी की जाती है।

कौशल विकास (Skill Development)

- सामान्य शिक्षा लोगों के ज्ञान में सुधार करती है जबकि कौशल प्रशिक्षण उनके रोजगार क्षमता में वृद्धि करने के साथ श्रम बाजार की आवश्यकताओं से निपटने हेतु उन्हें योग्यता प्रदान करता है।
- **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2017-18** के अनुसार 15-59 वर्ष के उत्पादक (कार्यशील) आयु समूह में केवल 13.53 प्रतिशत कार्यबलों (जिसमें 2.26 प्रतिशत औपचारिक रूप से प्रशिक्षित और 11.27 प्रतिशत अनौपचारिक रूप से प्रशिक्षित हैं) ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
    - तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में औपचारिक प्रशिक्षण दर सर्वाधिक रही है जबकि बिहार, झारखंड और असम में निम्नतम रही है। जबकि अनौपचारिक स्रोतों के जरिए प्रशिक्षित कार्यबलों की संख्या छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक रही है। इसके अतिरिक्त लगभग 55.9 प्रतिशत द्वारा स्व-प्रशिक्षण या वंशानुगत माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है।
- **कौशल विकास के लिए की गई पहलें:**
    - कौशल भारत मिशन के तहत, सरकार द्वारा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) को लागू किया गया है, जो सूची में सम्मिलित प्रशिक्षण केंद्रों/प्रदाताओं के माध्यम से बड़ी संख्या में भावी युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (STT) प्राप्त करने में समर्थ बनाती है और पूर्व अधिगम को मान्यता (Recognition of Prior Learning: RPL) प्रदान करती है। PMKVY के तहत देश भर में 69.03 लाख उम्मीदवारों को और STT के तहत 30.21 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
    - प्रशिक्षुता नीति के प्रचार-प्रसार और पहुँच के लिए प्रशिक्षुता नियमावली, 1992 में अनेक सुधार किए गए हैं।

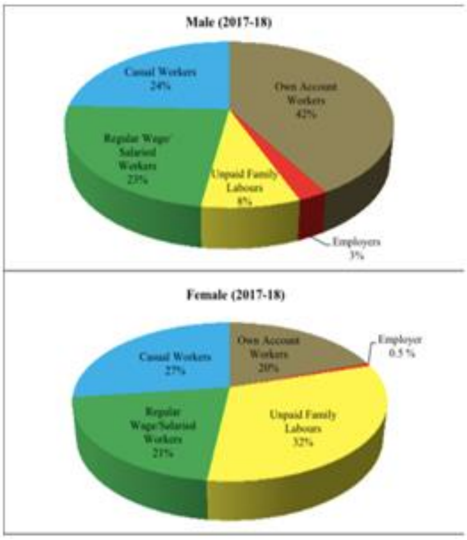

भारत में रोजगार की स्थिति (Status of Employment in India)

- वर्ष 2011-12 और वर्ष 2017-18 के मध्य के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) अनुमानों के अनुसार,
    - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नियमित मजदूरी / वेतनभोगी कर्मचारियों की हिस्सेदारी में 5% की वृद्धि हुई है। इसके तहत **महिला श्रमिकों के अनुपात में 8% की वृद्धि हुई** है।
    - वास्तविक रूप में, ग्रामीण क्षेत्रों में 1.21 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 1.39 करोड़ तथा महिला श्रमिकों के लिए 0.71 करोड़ नए रोजगारों के साथ उपर्युक्त श्रेणी में (लगभग 2.62 करोड़ नए रोजगार) महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
    - स्व-रोजगार श्रेणी में (जिसमें नियोक्ता, स्व-नियोजित कामगार और अवैतनिक पारिवारिक मजदूर शामिल हैं), जहाँ स्व-नियोजित कामगार और नियोक्ताओं के अनुपात में वृद्धि हुई है, साथ ही अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक {unpaid family labour (helper)} हिस्सेदारी में विशेष रूप से महिलाओं के अनुपात में कमी आई है, वहीं कुल स्व-नियोजित कामगार के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यह 52 प्रतिशत पर स्थिर है।
    - अनियमित श्रम श्रेणी में कामगारों के वितरण में ग्रामीण क्षेत्रों में 5% की गिरावट दर्ज की गई है।

VISION IAS

* **देश में रोजगार सृजन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:** निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना, बड़े निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं की फ़ास्ट ट्रैकिंग तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि।

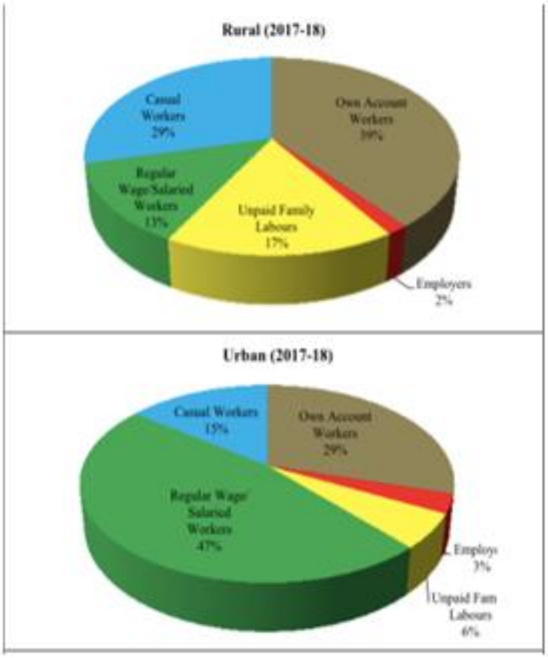

रोजगार का औपचारीकरण (Formalisation of Jobs)

* यह देखा गया है कि संगठित क्षेत्र में श्रमिकों का अनुपात वर्ष 2011-12 के 17.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 19.2 प्रतिशत हो गया तथा संगठित क्षेत्र के तहत कुल 9.05 करोड़ श्रमिक शामिल हैं।
* अर्थव्यवस्था में कुल औपचारिक रोजगार में वृद्धि हुई है और यह वर्ष 2011-12 के 8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 9.98 प्रतिशत हो गई (वर्ष 2017-18 में औपचारिक रोजगार में कुल 4.7 करोड़ श्रमिक शामिल थे)।
* NSO-EUS और PLFS 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार, गैर-कृषि और AGEGC (केवल फसल उगाने वाले, मार्केट गार्डनिंग, बागवानी और पशुपालन के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र) क्षेत्र में **अनौपचारिक श्रमिकों की हिस्सेदारी** वर्ष 2004-05 के 77.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 में 68.4 प्रतिशत हो गयी और यह गिरावट महिलाओं के मध्य अधिक देखी गई है।

श्रम बाजार के औपचारीकरण की दिशा में उठाए गए कदम (Steps Taken Towards Formalisation of the Labour Market)

* भविष्य निधि खातों की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा एक "सार्वभौमिक खाता संख्या" सेवा प्रारंभ की गई है।
* प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRPY) के अंतर्गत 15,000 रुपये प्रति माह तक वेतन आहरित करने वाले नए कर्मचारियों के संबंध में उनके रोजगार के प्रथम तीन वर्षों तक, सरकार EPFO को 12 प्रतिशत नियोक्ता अंशदान का भुगतान कर रही है।
* मनरेगा को छोड़कर, रोजगार के क्षेत्र में बिना भेदभाव किए सभी कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी और समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मजदूरी संहिता अधिनियम, 2019 तैयार की गई है।
* व्यवसायों के लिए औपचारिक ऋण सृजित करने हेतु मुद्रा (MUDRA) और स्टैंड-अप इंडिया की शुरुआत की गई है।
* कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की सदस्यता के लिए अधिदेशित मजदूरी सीमा को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह और ESI अंशदान की दर 6.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दी गई है।
* वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय करियर सर्विस (NCS) परियोजना में विविध रोजगार संबंधी सेवाएं, जैसे- करियर काउंसिलिंग, कौशल विकास पाठ्यक्रमों से संबंधित रोजगार अधिसूचना और सूचना तथा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आवश्यक रोजगार उपलब्धता जैसी रोजगार सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

रोजगार का लैंगिक आयाम (Gender Dimension of Employment)

* श्रम बाजार में लैंगिक समानता को स्मार्ट इकॉनमिक्स माना जाता है जो तीव्र आर्थिक वृद्धि और धन सृजन में सहयोग प्रदान करते हैं। वैश्वीकरण के युग में, कोई भी देश अपनी पूर्ण क्षमता विकसित नहीं कर सकता है, यदि उसकी आधी आबादी गैर-पारिश्रमिक, कम उत्पादक और गैर-आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो।

VISION IAS

- **श्रम बाजार में महिलाओं की सहभागिता**
    - NSO-EUS और PLFS के अनुमानों के अनुसार, कार्यशील आयु-समूह (15- 59 वर्ष) में महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में गिरावट दर्ज की गई है अर्थात् यह वर्ष 2011-12 के 33.1% से 7.8% घटकर वर्ष 2017-18 में 25.3% हो गई है तथा LFPR में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र गिरावट हुई है। जिसके परिणामस्वरूप, भारत के श्रम बाजार में लैंगिक असमानता में बढ़ोतरी हुई है।
- PLFS के अनुसार, महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात (Worker Population Ratio: WPR) वर्ष 2011-12 के 32.3% से घटकर वर्ष 2017-18 में 23.8% (ग्रामीण क्षेत्रों में 25.5% और शहरी क्षेत्रों में 19.8%) हो गया। इसके परिणामस्वरूप, पुरुष कार्य भागीदारी दर की तुलना में महिलाओं के अनुपात में भी (शहरी महिलाओं को छोड़कर), भारत में निरंतर गिरावट देखी गई है।
    - रुझान यह दर्शाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उन महिला श्रमिकों को जिनके पास स्थायी नौकरियां थीं अर्थात् जो स्थायी श्रमिक थीं, वे रोजगार में बनी रहीं जबकि वे महिलाएं जो पूर्णकालिक श्रमिक नहीं थीं, श्रम बाजार से बाहर हो गईं।

- **श्रम बल (Labour force)** उन श्रमिकों को संदर्भित करता है जो किसी संदर्भ अवधि में या तो किसी आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं अथवा किसी आर्थिक गतिविधि में शामिल होने की इच्छा रखते हों। इसमें (i) कार्यबल में सम्मिलित श्रमिक; और (ii) बेरोजगार श्रमिक दोनों शामिल होते हैं। इनमें से, कार्यबल उस आबादी को संदर्भित करता है जो किसी भी आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न हो और किसी संदर्भ अवधि में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हों जबकि बेरोजगार श्रमिक उस पूरी आबादी को संदर्भित करता है जो कार्य की तलाश कर रहे हों और कार्य के लिए उपलब्ध हो, किन्तु किसी संदर्भ वर्ष में कार्य की अनुपलब्धता के कारण उन्होंने कार्य नहीं किया हो।
- **श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate: LFPR)** को कुल जनसंख्या के संदर्भ में श्रम बल में शामिल के जनसंख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (Worker Population Ratio: WPR)** को कुल जनसंख्या के संदर्भ में नियोजित व्यक्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

- **महिला श्रम बल भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक:**
    - ऐसे तर्क दिए जाते हैं कि अल्प महिला LFPR और इनके गिरावट के पीछे मांग और आपूर्ति दोनों ही पक्ष संबंधित हैं।

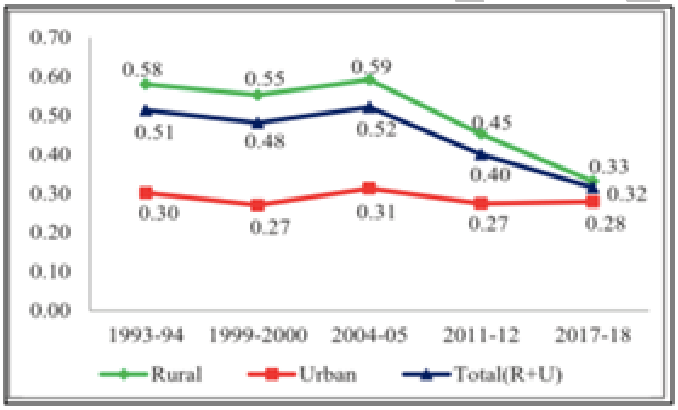

Table 9: Distribution of female attending domestic duties (ps+ss) by Age Group and Level of Education in India, 2017-18 (per cent)

Level of Education	Age Groups		
	15-29	30-59	15-59
Illiterate	8.0	26.1	18.5
Up to Middle Level	23.9	24.7	24.4
Secondary	14.3	9.8	11.7
Graduate and above	6.0	4.7	5.3
Total	**52.3**	**65.4**	**59.9**

आपूर्ति पक्ष

- वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक महिलाएं अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं जिसके कारण श्रम बाजार में उनके प्रवेश में विलंब हुआ है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर मजदूरी स्तर के कारण परिवारों की आय में वृद्धि हुई है।
- सांस्कृतिक कारक, सामाजिक बाधाएं और पितृसत्तात्मक मानदंड महिलाओं की गतिशीलता और स्वतंत्रता को बाधित करते हैं।
- भुगतान न किए जाने वाले कार्यों तथा देख-भाल में सापेक्षिक रूप से अधिक संलग्नता। **कामकाजी आयु की लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं केवल घरेलू कार्यों में संलग्न हैं** और इस अनुपात में पिछले दो दशकों में वृद्धि हुई है।
    - **मांग पक्ष**
        - नौकरी के अवसरों तथा गुणवत्ता वाली नौकरियों का अभाव और महत्वपूर्ण लैंगिक मजदूरी अंतराल।
        - उपयुक्त शिक्षा स्तर / कौशल योग्यता का अभाव।
        - शहरी क्षेत्रों में श्रम गहन उद्योगों के उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय मांग में गिरावट।

- कृषि क्षेत्र में निम्न महिला मजदूरी।
- कृषि क्षेत्र में रोजगार गिरावट, विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं हेतु अवसरों के सृजन को इंगित नहीं करते हैं, जहां माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त और मध्यम आय समूहों वाली अधिकांश महिलाएं रोजगार हेतु अभी भी प्रयासरत हैं।
- कृषि क्षेत्र में रोजगार संबंधी संरचनात्मक बदलाव और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन में गिरावट के साथ कृषि का मशीनीकरण।
- कृषि क्षेत्र में पुरुष भागीदारी के कम होने और शहरी क्षेत्रों में स्थित विनिर्माण क्षेत्रक की ओर स्थानांतरित होने के कारण, उन ग्रामीण महिलाओं के रोजगार में कमी आई है,जो पुरुषों के साथ बिना भुगतान वाले श्रमिकों के रूप में संलग्न थीं।

महिला श्रम भागीदारी में सुधार हेतु की गईं पहलें (Initiatives to Improve Female Work Participation)

- **कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा:** कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत सभी महिलाओं (चाहें उनकी आयु या रोजगार की स्थिति जैसी भी हो) को शामिल किया गया है तथा यह अधिनियम सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में (चाहे वह संगठित हो या असंगठित) यौन उत्पीड़न के विरुद्ध उन्हें संरक्षण प्रदान करती है।
- समुदाय भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए **महिला शक्ति केंद्र योजना।**
- **सुरक्षित और वहनीय आवास की उपलब्धता:** कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और वहनीय आवास प्रदान करने के लिए कामकाजी महिला हॉस्टल स्थापित किए गए हैं।
- **महिला हेल्पलाइन स्कीम (WHL):** एकल नंबर (181) के माध्यम से पूरे देश में महिलाओं से संबंधित सरकारी योजनाओं / कार्यक्रमों के बारे में रेफरल और जानकारी प्रदान करते हुए हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन तथा गैर-आपातकालीन सुविधा प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2015 से महिला हेल्पलाइन स्कीम की शुरुआत की गई है।
- **वन स्टॉप सेंटर (OSC):** इस योजना के तहत एकीकृत सेवा रेंज तक पहुंच की सुविधा प्रदान की जाती है जिनमे हिंसा से प्रभावित महिलाओं को पुलिस, चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक सहायता और अस्थाई आश्रय स्थल सहायता प्रदान किया जाना शामिल है।
- **महिला उद्यमशीलता:** महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा मुद्रा (MUDRA), स्टैंड-अप इंडिया और महिला ई-हाट जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)** के तहत 10 लाख रुपए तक की सूक्ष्म / लघु व्यवसाय इकाइयों को संस्थागत वित्त प्रदान करना।
- **राष्ट्रीय महिला कोष:** इसके अंतर्गत निर्धन महिलाओं को आजीविका और आय सृजन संबंधी विभिन्न कार्यकलापों के लिए रियायती शर्तों पर सूक्ष्म ऋण प्रदान किया जाता है।
- **प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):** इस योजना के तहत, महिला उद्यमियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना की स्थापना हेतु क्रमशः 25 प्रतिशत और 35 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- **दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM):** इसका उद्देश्य 8-9 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंच स्थापित करना तथा ग्राम एवं उससे उच्चतर स्तर पर, प्रत्येक परिवारों से एक महिला सदस्य को समानता आधारित स्वयं सहायता समूह (SHGs) और परिसंघों में संगठित करना है।

सभी के लिए स्वास्थ्य (Health for all)

- **स्वास्थ्य देखभाल के तहत चार महत्वपूर्ण स्तंभों** को शामिल किया गया है- निवारक स्वास्थ्य देखभाल, सस्ती/वहनीय स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा अवसंरचना का निर्माण करना और मिशन मोड हस्तक्षेप।
- **निवारक स्वास्थ्य सेवा**
    - **मिशन इन्द्रधनुष** के तहत, देश भर के 680 जिलों के 3.39 करोड़ बच्चों तथा 87.18 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है।
    - एक **बहु-क्षेत्रीय उपागम (multi-sectoral approach)** को अपनाना तथा सरकार की अन्य मिशन मोड पहलों, जैसे- ईट राइट एंड ईट सेफ, फिट इंडिया, एनिमिया मुक्त भारत एवं भारत पोषण अभियान और स्वच्छ भारत अभियान आदि के मध्य समन्वय स्थापित करना शामिल है।

VISIONIAS

- सरकार ने हाल ही में युवाओं और बच्चों में निकोटीन लत की आशंका को देखते हुए **ई-सिगरेट में सभी वाणिज्यिक कार्यकलापों/परिचालनों को प्रतिबंधित** कर दिया है।

- **स्वास्थ्य देखभाल की वहनीयता**
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) 2016-17 के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर (OoPE) में कमी आई है और यह वर्ष 2013-14 के 64.2 % से घटकर वर्ष 2016-17 में 58.7% हो गई है।
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अंतर्गत यह सिफारिश की गई है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यय का कम से कम दो तिहाई व्यय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर (जो स्वास्थ्य पर भारत के वर्तमान सार्वजनिक व्यय के 52.1% के लिए उत्तरदायी है) किया जाना चाहिए।
  - दवाओं और अस्पताल देखभाल के लिए OoPE संबंधी मुद्दे के निस्तारण हेतु विभिन्न पहलें की गई हैं, जैसे- आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY), नि:शुल्क दवा सेवा, नि:शुल्क नैदानिक सेवा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) और प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (PMNDP)।
- **चिकित्सा अवसंरचना**
  - भारत में **चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात, WHO द्वारा अनुशंसित 1:1000 की तुलना में 1:1456 है।** चिकित्सकों की कमी को दूर करने की दिशा में सरकार ने जिला अस्पतालों को चिकित्सा महाविद्यालयों में अपग्रेड करने के उद्देश्य से एक उल्लेखनीय कार्यक्रम की शुरुआत की है।
  - पिछले 5 वर्षों में, सरकार द्वारा **141 नए चिकित्सा महाविद्यालयों को स्वीकृति** प्रदान की गई है और MBBS और PG सीटों की संख्या में क्रमशः 27,235 और 15,000 की वृद्धि की गयी है।
  - देश के असेवित क्षेत्रों में अनुसंधान, चिकित्सीय देखभाल, चिकित्सा शिक्षा जैसी तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल क्षमता में वृद्धि हेतु **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY)** को शुरू किया गया है, जिसके तहत सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक स्थापित करके AIIMS जैसे संस्थान का निर्माण किया गया है और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को अपग्रेड किया जा रहा है।
  - AIIMS और JIPMER सहित सभी MBBS पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु एक सामान्य प्रवेश परीक्षा NEET-UG की शुरुआत करने के साथ-साथ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन को सक्षम बनाने के लिए **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019** को प्रख्यापित किया गया था।
  - राज्यों द्वारा चिन्हित रणनीतिक अवस्थिति वाले सुविधा केंद्रों के मामलें में चिकित्सकों को बहु-कौशल बनाने के लिए उल्लेखनीय प्रगति की गयी है, जहाँ पर विशेषज्ञों अर्थात एमबीबीएस चिकित्सकों की कमी है। वहां पर उन्हें आपातकालीन प्रसूति देखभाल, जीवन रक्षक संवेदन/एनेस्थीसिया स्किल और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में प्रशिक्षित किया जाता है।
  - नर्सिंग स्टाफ और **ANMs** की क्षमता निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं, जैसे- प्राथमिक स्वास्थ केंद्र (PHCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHCs) और DHs में आयुष सेवाओं की सह-स्थापना।
- **मिशन मोड हस्तक्षेप**
  - **आयुष्मान भारत** जन स्वास्थ्य (औषधि संबंधी) देखभाल के अलावा निवारक, प्रोत्साहक और प्रशामक देखभाल पर ध्यान केंद्रित करके; और द्वितीयक एवं तृतीयक अस्पताल देखभाल के लिए दुखद स्वास्थ्य व्यय के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को लक्षित करता है। यह महामारी विज्ञान (epidemiology) में परिवर्तन के कारण गैर-संचारी रोगों (NCDs) की उभरती चुनौतियों की पहचान और उन्हें संबोधित करता है और सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN), न्यूमोनिया को सफ़लतापूर्वक निष्क्रिय करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई (SAANS) और टीबी हारेगा देश जीतेगा जैसी पहल के माध्यम से RMNCH+A और संचारी रोगों के लिए प्रयासों को बनाए रखने के लिए भी लक्षित है।
  - कई राज्यों ने प्राथमिक स्वास्थ्य टीम की निरंतर क्षमता निर्माण हेतु ECHO जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के उपयोग की भी पहल की है।

VISION IAS

सभी के लिए आवास (Housing for all)

- हालिया (वर्ष 2018 में) NSO सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 76.7% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 96.0% परिवारों के पास पक्के घर उपलब्ध हैं।
- वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं, यथा- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) को प्रारंभ किया गया है।

पेयजल और स्वच्छता (Drinking water and Sanitation)

- वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के शुभारंभ के बाद से अब तक, ग्रामीण क्षेत्रों में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है; 5.9 लाख से अधिक गांवों, 699 जिलों और 35 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया है।
- जल शक्ति अभियान को भारत में जल के मामले में सर्वाधिक अभावग्रस्त ब्लॉक और जिलों में जल संरक्षण क्रियाकलापों पर प्रगति को और अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए आरंभ किया गया था। जल शक्ति अभियान द्वारा 256 जिलों में 3.5 लाख से ज्यादा जल संरक्षण संबंधी उपाय किए गए हैं, इनमें से 1.54 लाख जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के उपाय किए जा चुके हैं, 20,000 पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने पर कार्य किया जा रहा है, 65,000 से अधिक उपाय पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं से संबंधित हैं और 1.23 लाख जल संभरण (वाटरशेड) विकास परियोजनाएं शामिल की गई हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

- भारत की एक वृहत आबादी युवाओं (कार्यशील आयु समूह वाली) की है, जिसके चलते जनसांख्यिकीय लाभांश को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, जलापूर्ति और स्वच्छता जैसे सामाजिक क्षेत्रों में किए गए सुधार ने लोगों के जीवन की गुणवत्ता के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की उत्पादकता को अत्यधिक प्रभावित किया है। सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने की दिशा में भारत का यह कदम मानव पूंजी और समावेशी विकास में निवेश से जुड़ा हुआ है।